खण्ड २ — अंक २५
२२ मार्च, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

(खण्ड २—१६ मार्च से १६ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४९, ७५४ से ७५६, ७५८, ७६०, ७६२ से ७६४, ७३९, ७४६, ७५१ और ७५२ ६९२–७१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४६, ७४७, ७४८, ७५०, ७५३, ७५७, ७५९ और ७६१ ... ... ७१२–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१९ से ४४० ... ७१६–२१

दैनिक संक्षेपिका **७२२–२३**

अंक २२—सोमवार, १९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६५, ७९१, ७९७, ७६६, ७६७, ७६९ से ७७३, ७७६ से ७७९, ७८१, ७८४, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९५, ७९८ और ७९९ ... ७२४–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७५, ७८०, ७८२, ७८३, ७८५, ७८६, ७८८ और ७९६ ... ... ७४७–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४७७ ७५०–६३

दैनिक संक्षपिका **७६४–६५**

अंक २३—मंगलवार, २० मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०० से ८०८, ८११ से ८१४, ८१६, ८२० से ८२६, ८२८, ६१६, ८१० और ८१७ ७६६–८६

एक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि **७८६**

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ ७८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८१८, ८१९ और ८२७ ७८८–८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७८ से ४८६ ७८९–९२

दैनिक संक्षेपिका **७९३–९४**

पृष्ठ

अंक २४—बुधवार, २१ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२९ से ८३१, ८३३ से ८३९, ८४१, ८४३ और ८४५ से ८५६ ७९५–८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३२, ८४० से ८४२ और ८४४ ... ८१६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८७ से ४९९ ८१७–२०

दैनिक संक्षेपिका ८२१–२२

———

अंक २५—गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५७, ८५९ से ८६३, ८६५ से ८६७, ८६९, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८७८, ८८०, ८८२, ८८५, ८५८, ८६४ और ८८१ ८२३–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७०, ८७५, ८७९, ८८३, ८८४ और ८८६ ८४५–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०० से ५१७ ८४७–५३

दैनिक संक्षेपिका ८५४–५५

———

अंक २६—शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८७ से ८९२, ८९६ से ८९८, ९००, ९०२, ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९११, ८९४, ८९९, ९०१, ९१० और ८९५ ८५६–७३

प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभिन्न मंत्रालय के लिये दिन नियत करना ८७४

प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ८७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ९०३ और ९०५ ८७४–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१८ से ५२२ ८७५–७६

दैनिक संक्षेपिका ८७७–७८

———

अंक २७—बुधवार, २८ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१२, ९१५, ९१९, ९२१, ९२३ से ९२५, ९२८, ९२९, ९३१, ९४० से ९४३, ९४६ से ९४९, ९१६, ९१७, ९२६, ९२७, ९३३, ९३४, ९३८ और ९४४ ८७९–९०१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ९०१–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१३, ९१४, ९१८, ९२०, ९२२, ९३०, ९३२, ९३५ से ९३७, ९३९ और ९४५ ९०४–०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५४९ ९०७–१८

दैनिक संक्षेपिका ९१९–२०

अंक २८—गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५१, ९५३, ९५४, ९५६ से ९५९, ९६३, ९६५, ९६८, ९७४, ९७५, ९७८, ९८०, ९८२, ९८४ से ९८६, ९८९ से ९९१, ९९३, ९९६ और ९६० ९२१–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५०, ९५२, ९५५, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७३, ९७६, ९७७, ९७९, ९८१, ९८३, ९८७, ९८८, ९९२, ९९४, ९९५ और ९९८ से १००० ... ९४१–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० से ५५६ और ५५८ से ६०२ ९४८–६७

दैनिक संक्षेपिका ९६८–७०

अंक २९—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १००६, १००७, १०११ से १०१३, १०१५, १०१७ से १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३० से १०३२, १०३४ से १०३७, १०३९ और १०४० ९७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००२, १००४, १००५, १००८ से १०१०, १०१४, १०१६, १०२३, १०२५, १०२९, १०३३, १०३८ और १०४१ ९९४–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६२९ ... ९९८–१००८

दैनिक संक्षेपिका १००९–११

अंक ३०—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४६, १०४९, १०५३, १०५७, १०५९, १०६१, १०६३ १०६५, १०६९, १०७८, १०८०, १०७०, १०७१, १०७५, १०७९ और १०८१ से १०८४ ... १०१२–३४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०५० से १०५२, १०५४ से १०५६, १०५८, १०६०, १०६२, १०६४, १०६७, १०७२ से १०७४ और १०७६ ... १०३५–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३७ १०३९–४१

दैनिक संक्षेपिका **१०४२–४३**

अंक ३१—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८५, १०८७ से १०९१, १०९३ से १०९५, ११००, ११०१, ११०३ ११०५ से ११०७, १११०, ११३६, १११९ से १११६, १११९ और ११२० ... ... १०४४–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... १०६५–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९२, १०९६ से १०९९, ११०२, ११०४, ११०८, ११०९, १११७, १११८, ११२१ से ११३५, ११३७ से ११४२ और ११४४ से ११४९ ... ... १०६९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ६५२ और ६५४ से ६९४ १०८०–११०३

दैनिक संक्षेपिका **११०४–०७**

अंक ३२—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५०, ११५४ से ११५६, ११५९, ११६४, ११६५, ११६७ से ११६९, ११७१, ११७३ से ११७५, ११८० से ११८२, ११८६, ११८८, ११५२, ११६० और ११७९ ११०८–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१, ११५३, ११५७, ११५८, ११६१ से ११६३, ११६६, ११७०, ११७२, ११७६ से ११७८, ११८३ से ११८५, ११८७ और ११८९ से ११९१ ११२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ से ७२५ और ७२७ से ७३५ ११३४–४७

दैनिक संक्षेपिका **११४८–५०**

अंक ३३—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

बैठकों का समय **११५१**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२, ११९४ से ११९६, १२०१, १२०२, १२०५ से १२०७, १२०९ से १२१४, १२१७ से १२२० ११५२–७१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, ११९७ से १२००, १२०३, १२०४, १२०८, १२१५, १२१६, १२२१, १२२२ ... ... ११७१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३६ से ७४३ ११७५–७७

दैनिक संक्षेपिका **११७८–७९**

अंक ३४—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सत्र काल में संसदीय समितियों की बैठकों का समय **११८०**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३, १२२५, १२२६, १२२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३७, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२५०, १२५२, १२५३, १२५५ और १२५७ से १२६३ ११८०–१२०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ १२०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२४, १२२७, १२२८, १२३०, १२३३, १२३५, १२३६, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२५१, १२५४, १२५६, १२६४ और १२६५ ... ... १२०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७९७ १२०८–२७

दैनिक संक्षेपिका ... **१२२८–३०**

अंक ३५—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७४, १२७७, १२७८, १२८४, १२८६, १२८८, १२९० से १२९२, १२९४ से १२९६, १२९९, १२७५, १२८२, १२८७ और १२९७ १२३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६६, १२७६, १२७९ से १२८१, १२८३, १२८५, १२८९, १२९३ और १२९८ ... ... १२५३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८४० १२५६–७०

दैनिक संक्षेपिका **१२७१–७३**

अंक ३६—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ से १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१४ से १३१७, १३१९ से १३२१, १३२३ से १३२५, १३२७ से १३२९, १३३१, १३३३ से १३३५ और १३०० ... १२७४–९६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०२, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१८, १३२२, १३२६, १३३०, १३३२, १३३६ और १३३७ ... ... १२९६–९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४१, ८४२ और ८४४ से ८६४ १३००–०७

दैनिक संक्षेपिका ... १३०८–०९

अंक ३७—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ... **१३१०**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३३९ से १३४२, १३५०, १३५१, १३५३ से १३५५, १३५७, १३५९, १३६०, १३६३, १३६५, १३६६, १३६८, १३७० से १३७२, १३७७, १३७९, १३८१ और १३८२ ... १३१०–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १३४३ से १३४९, १३५२, १३५६, १३५८, १३६१, १३६२, १३६४, १३६७, १३६९, १३७३ से १३७६, १३७८, १३८० और १३८३ से १३८५ १३३१–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६५ से ९३०क १३३९–६१

दैनिक संक्षेपिका ... **१३६२–६५**

अंक ३८—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ से १३८८, १३९०, १३९२, १३९८, १४०१, १४०४, १४०६, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६ से १४१८, १३९७, १४००, १४०९, १४१३ और १४१४ १३६६–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ... १३८४–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८९, १३९१, १३९३, १३९४, १३९६, १३९९, १४०२, १४०३, १४०५ और १४०७ १३८८–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३३ से ९५२ १३९१–९८

दैनिक संक्षेपिका **१३९९–१४००**

अंक ३९—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१९, १४२०, १४२२, १४२३, १४२५ से १४२७, १४३० से १४३९ और १४४१ से १४४६ १४०१–२१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४२१, १४२४, १४२८, १४२९, १४४० और १४४७ से १४५२ १४२१–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९७४ १४२४–३४

दैनिक संक्षेपिका १३३५–३६

अंक ४०--सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ से १४५९, १४६४, १४६६ से १४६८, १४७०, १५०१, १४७३ से १४७५, १४७८, १४७९, १४८१, १४८२, १४८४ से १४८६ और १४८८ से १४९० १४३७–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४६० से १४६३, १४६५, १४७१, १४७२, १४७६, १४७७, १४८०, १४८३, १४८७, १९९१ से १५००, १५०२ और १५०३ १४५९–६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७५ से १०६९ १४६६–१५०३

दैनिक संक्षेपिका १५०४–०७

लोक-सभा

गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

लोक सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलों पर भोजन-व्यवस्था

†*८५७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांटियर मेल और ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के भोजन डिब्बों में क्रमशः २ रुपया ४ आना और १२ आना प्रति समय के भोजन के लिये भिन्न भिन्न दरें हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव** (**श्री शाहनवाज़ खां**) : (क) फ्रांटियर मेल के भोजन डिब्बे में थालियों में दिये जाने वाले शाकाहारी भोजन के लिये २ रु० ४ आना वसूल किया जाता है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी पर मद्रास से बल्लारशा वाली लाइन पर अच्छे प्रकार के शाकाहारी भोजन के लिये १३ आना लिया जाता है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में बल्लारशा से दिल्ली वाली लाइन पर भोजन डिब्बे द्वारा जो भोजन दिया जाता है, उसकी दर १ रु० ४ आना है ।

(ख) भोजन के डिब्बे जिन में प्रायः पाश्चात्य ढंग का खाना दिया जाता है, भारतीय ढंग के खाना देने वाले भोजन डिब्बे अथवा उपाहार कक्ष की अपेक्षा उनका अधिक मूल्य होना अधिक अच्छे ढंग से भोजन परोसने और विभिन्न प्रकार के भोजन देना है । मूल्यों में कमी करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सारे देश में समान दर पर और एक ही प्रकार का खाने का सामान देने की संभावना की जांच की गई है और क्या इस ओर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस पर काफी विस्तार में विचार किया जा चुका है किन्तु उपाहार डिब्बों और भोजन डिब्बों में खाना परोसने में अन्तर तो रहेगा ही । उपाहार डिब्बों में जो खाना दिया जाता है उसमें बहुत सी चीजें होती हैं और भोजन डिब्बों की अपेक्षा उनमें भोजन कहीं अच्छी तरह परोसा जाता है तथा अन्य चीजें भी अधिक अच्छी होती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री डाभी** : क्या यह सच नहीं कि फ्रांटियर मेल में २ रु० ४ आने में जो भोजन मिलता है, वह खाने की किस्म की दृष्टि से बहुत महंगा है और क्या इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां । यह सच है कि इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और आप देखेंगे कि भाग (ख) के उत्तर में यह कहा गया है कि मूल्यों में कमी करने का प्रश्न विचाराधीन है । इसके अलावा खाने की किस्म भी सुधारी जायेगी ।

†**श्री ए० एम० थामस** : स्वादों में अन्तर हो सकता है किन्तु खाने के लिये जो २ रु० ४ आना वसूल किया जाता है उसके बारे में सभासचिव जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं हम उससे सहमत नहीं हो सकते, कि वहां खाना अच्छी तरह से परोसा जाता है । हमारा अनुभव इसके ठीक विपरीत है । ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस पर जिन लोगों ने यात्रा की है उन सभी का यह अनुभव है कि तेरह आने में रेलों पर जो खाना मिलता है उनमें सबसे अच्छा होता है । किन्तु दरों में इतना अन्तर होने का कारण मैं नहीं समझ पाता । क्या सरकार तत्काल ही इस पर विचार करेगी ?

†**सरदार हुक्म सिंह** : स्वादों में भी अन्तर हो सकता है ।

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य और सभा को सूचित करना चाहूंगा कि १ अप्रैल से ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस पर भोजन के डिब्बे की व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगी और विभाग की ओर से उसे चलाया जायेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : सरकार को प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में इन गाड़ियों में कैसा खाना दिया जाता है, इसकी विभाग की ओर से आकस्मिक जांच की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां, ऐसी जांच की जा रही है और उनमें वृद्धि भी की जा सकती है ।

श्रीमती मणि बेन पटेल : क्या मंत्री महोदय का ध्यान फ्रांटियर मेल में कैटरिंग सर्विस में जो गिरावट आई है उसकी ओर गया है ? बर्तन भी गंदे होते हैं, कपड़े भी गन्दे होते हैं और खाना भी पहले जैसा नहीं मिलता है ?

†**श्री अलगेशन** : हम इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि जिस भोजन का दाम अधिक लिया जाता है, वह और जो सस्ता दिया जाता है, वह दोनों करीब-करीब एक से ही रहते हैं और क्या इस बात का कुछ प्रयत्न किया जा रहा है कि भोजन अच्छा होते हुये भी दाम सब जगह करीब-करीब एक से कर दिये जांय ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि अभी आनरेबुल डिप्टी मिनिस्टर कह चुके हैं, यह मसला ज़ेर-गौर है ।

रेलों पर खतरे की जंजीर का दुरुपयोग

†*८५९. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्री गाड़ियों को खतरे की जंजीर खींच कर कितनी बार रोका जाता है, इसका कोई रिकार्ड रखा जाता है,

(ख) यदि हां, तो १९५५ में प्रत्येक रेलवे पर कितनी बार जंजीर खींची गई; और

(ग) खतरे की जंजीर का कहां तक दुरुपयोग किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) ८७ प्रतिशत

†**श्री डाभी** : इनमें से कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और कितनों को दंडित किया गया ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जंजीर खींचने के ४३,२९५ कुल मामलों में से ६०० लोगों पर अभियोग चलाया गया था ।

†**श्री डाभी** : इतने मामलों में से केवल बहुत थोड़े व्यक्तियों पर ही क्यों मुकदमा चलाया गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अधिकांश मामलों में अपराधियों का पता ही नहीं लग सका ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि यह जो जंजीर खींचने की घटनायें हैं, यह बिहार में ही अधिक संख्या में हो रही हैं और क्या इसके कारण का पता लगाने की कोशिश की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : ऐसा तो नहीं है कि इस प्रकार की घटनायें सिर्फ बिहार में ही होती हैं, दूसरी जगहों पर भी होती हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मंत्रालय यह बता सकता है । कि जंज़ीर का कितने प्रतिशत मामलों में उचित उपयोग किया गया ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह प्रतिशत बहुत ही कम है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : बिहार के कुछ भागों में जंजीर अधिक खींची जाती है अथवा कम ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हाल ही में हमने इस बुराई को दूर करने के लिये कार्यवाही की है और देखा है कि उसमें कमी होती जा रही है ।

जल व्यवस्था और नाली योजनायें

†***८६०. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केंद्रीय सरकार द्वारा जल संभरण और नाली योजनाओं के लिये दिये गये ऋण का पूर्ण उपयोग कर लिया है;

(ख) उन राज्यों की संख्या क्या है जिन्होंने इन ऋणों को स्थानीय निकायों को दे दिया है; और

(ग) १९५५ में प्रत्येक राज्य सरकार ने इस योजना के आधीन कुल कितनी राशि व्यय की है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) जहां कहीं ये योजनायें लागू की जा रही हैं, वहां की स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों ने ऋण दे दिये हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** जहां तक नगरों में जल संभरण और सफाई योजनाओं का सम्बन्ध है, १२·७२ करोड़ रुपया अलग नियत कर दिया गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** संपूर्ण राशि इन योजनाओं पर क्यों नहीं व्यय की गई थी ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** वास्तव में इसमें से केवल ६४१·६२ लाख रुपयों का भुगतान राज्यों को कर दिया गया है जिसका कारण यह है कि राज्य सरकारों के पास इस योजना के लिये पर्याप्त प्रावधिक कर्मचारीवर्ग नहीं है । इसी कारण संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया है ।

†**श्री केशव अय्यंगार :** जल संभरण के लिये बंगलौर के निगम को यह सहायता देने से क्यों इन्कार कर दिया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** यह प्रश्न मैसूर सरकार से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** इस राशि को व्यय करने के मामले में क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया है जहां हैजा और अन्य संक्रामक रोग अधिक होते हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** राज्य सरकारें जब कभी योजनायें भेजती हैं, तो उनको राशि स्वीकृत कर दी जाती है यदि वे योजनायें अच्छी होती हैं । मांगी गई राशि नगरों के लिये ऋण के रूप में और ग्रामों के लिये सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है । राज्य सरकारें राज्यों के विभिन्न स्थानों की आवश्यकता अनसार निश्चित करती हैं ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :** इस प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को यह परामर्श दिया जाता है कि जिन स्थानों पर संरक्षणात्मक जल की आवश्यकता है, वे उन क्षेत्रों के लिये योजनायें प्रस्तुत करें किन्तु वास्तविक योजनायें तो राज्य सरकारों के हाथ में हैं ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** यह ऋण कितने वर्षों में और कितनी किस्तों में लौटाया जायेगा ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मेरे विचार से ३० वर्षों में ।

†**श्री गिडवानी :** माननीय उपमंत्री महोदया ने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, यदि यह सच है तो क्या केंद्रीय सरकार इस मामले की जांच करेगी और आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी क्योंकि यह प्रश्न पीने के पानी के संभरण से सम्बन्धित है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । इसके बारे में अब और अधिक भाषण नहीं हो सकता ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** राज्यों के लिये लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरों की उपलब्धता में वृद्धि करने के विचार से हमने अखिल भारतीय लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता संस्था में एक पाठ्य-क्रम जारी किया है । हमने लगभग १६ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है । वे आज कल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । यह पाठ्य-क्रम लगभग ३ मास का है और दूसरा एक वर्ष का है । इस प्रकार हम यह चाहते हैं कि प्रशिक्षित कर्मचारी काफी संख्या में हो जायें किन्तु यह कार्य राज्य सरकारों का है कि प्रशिक्षण के लिये वे अपने कर्मचारी भेजें ।

†**श्री ए० एम० थामस :** बृहद् बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं को दृष्टि में रखते हुये क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सहयोग से पीने के पानी के संभरण के लिये कोई योजना तैयार की है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** ऐसी कोई योजना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज :** क्या पिछड़े हुये पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां के लोग बहुत गरीब हैं, लोगों को ऋणों के बदले राजकीय सहायता दी जायेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मैं अपने उत्तर में ऐसा कह चुकी हूँ। राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं के अनुसार हम धनराशि देते हैं, गांवों के लिये इसे सहायतानुदान और नगरों के लिये इसे ऋण कहते हैं। योजनायें बनाना और निर्णय करना राज्य सरकारों के हाथ में है।

†**श्री जी० पी० सिन्हा :** विशेषतः छोटा नागपुर में इस वर्ष पड़े अकाल की दृष्टि से बिहार को कितना ऋण अथवा कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** १९५५ के अन्त तक बिहार को १०० लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

ज्योतिर्मठ–बद्रीनाथ रोड

*८६१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ तक मोटर के लिये सड़क बनाने के बारे में तब से क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : इस सड़क के बनाने का सम्बन्ध मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से है और वह अभी तक इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष जब माननीय उपमंत्री महोदय ने बद्रीनाथ की यात्रा की थी तो स्वयं उन्होंने इस सड़क की आवश्यकता अनुभव की थी, और क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा जा रहा है कि जल्दी की जाय ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी, हां। उत्तर प्रदेश की सरकार को कई दफा लिखा गया है। आखिरी बार जुलाई, १९५५ में लिखा गया था और उनका जवाब सितम्बर, १९५५ में आया था।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले दस वर्षों में इस सड़क में केवल दस मील की बढ़ोतरी हुई है, और चूंकि यह अखिल भारतीय महत्व की सड़क है क्या इस के लिये विशेष अनुदान देने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम इस सड़क को काफी जरूरी समझते हैं, और जैसा आप ने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर साहब उधर गये थे और वहां उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था। लेकिन इस सड़क को जल्दी बनाना उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर करता है। जो मदद हम देना चाहते हैं इस में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी।

सेठ गोविन्द दास : इस सड़क के बनाने में कितना रुपया खर्च होगा और बद्रीनाथ मंदिर के एक अखिल भारतीय संस्था होने के कारण उसमें से कितना रुपया केंद्रीय सरकार देने को तैयार है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक जो प्रोग्राम था जोशीमठ तक सड़क बनाने का, उस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ३३ लाख ७४ हजार रु० देने का वादा किया था और जो प्रांतीय सरकार है उसमें से निस्फ देना था। आगे का जो हिस्सा बद्रीनाथ तक का है उसके लिये एस्टिमेट्स मांगे गये हैं, जब वह आ जायेंगे तब फिर कोई फैसला किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गन्ना ढोने के लिये माल डिब्बों का दिया जाना

*८६२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में विभिन्न रेलवे स्टेशनों से गन्ना ढोने के लिये रेलवे से छोटी लाइन और बड़ी लाइन के कितने डिब्बे मांगे गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे ने अपेक्षित संख्या में माल डिब्बों को देने के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों का गन्ना चीनी मिलों तक समय पर पहुंचाने के लिये और कौन से उपायों को सोचा गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) गन्ना भेजने के लिये डिब्बों की प्राय: सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है केवल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों पर कुछ मांगें पूरी नहीं की जा सकीं क्योंकि उनका पूरा करना रेल-प्रशासनों के वश की बात नहीं थी ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कुल ५३,६६६ डब्बे बड़ी लाइन के लिये मांगे गये हैं, १,३६,०५७ डब्बे छोटी लाइन के लिये मांगे गये हैं और इन में से १,०७,८२७ डब्बे पूर्वोत्तर रेलवे के लिये मांगे गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर सकती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बड़े-बड़े स्टेशन हों जहां से गन्ना ज्यादा लादा जाता है उन पर सरकार की तरफ से बड़ी-बड़ी ट्रक चलाई जायें ताकि किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंच जाये और सरकार को भी आमदनी हो ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक पूर्वोत्तर रेलवे के लिये रेलवे प्रशासन ने २,२५० डब्ब सिर्फ गन्ना ढोने के लिये रखे हैं और ३५ गन्ना शट्ल गाड़ियां भी चलती हैं । हमें कोई खास दिक्कत गन्ना हटाने के बारे में महसूस नहीं हुई है । जब कोई ऐसी दिक्कत महसूस होगी तो फिर शायद किसी दूसरी चीज पर गौर किया जाय, लेकिन अभी तक कोई खास दिक्कत महसूस ही नहीं हुई ।

श्री विभूति मिश्र : अभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में कोई दिक्कत नहीं है, इस के पहले जो बयान दिया उस में उन्होंने कहा था कि दिक्कत महसूस हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो बयानों में से किस पर विश्वास किया जाये ।

श्री शाहनवाज़ खां : बयान में मैने कहा था कि केवल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों पर कुछ मांगें पूरी नहीं की जा सकीं । वह अभी तक पूरी नहीं हो सकीं पर हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके हो जाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ भागों में मालगाड़ी के डिब्बों की इतनी कमी अनुभव की जा रही है कि माल न ले जाये जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में निर्वाह व्यय बढ़ गया था ? ऐसी परिस्थितियों में क्या मंत्रालय उस क्षेत्र को पूर्ववर्तिता दे रहा है और यह कठिनाई कब तक दूर हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : क्या मैं मांगे गये डिब्बों और माल लदाने के आंकड़े बता सकता हूँ ? जैसा कि अभी श्री विभूति मिश्र ने बताया कि १,०७,८२७ डिब्बों की मांग की गई थी और १,०२,४३४ डिब्बों का संभरण किया गया था। इसमें बहुत कम अन्तर रह जाता है जो लगभग ५,००० का है। यह स्थिति विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हुई है। मैं उन्हें नहीं बताना चाहूंगा। आय व्ययक पर चर्चा के दौरान में मैं विस्तृत सूचना दे चुका हूँ। कुछ लाइनों को हम दोहरा कर रहे थे। यह सब लाइन की क्षमता के कारण है। चालू वर्ष में मालगाड़ी के डिब्बों के संभरण की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी क्योंकि छोटी लाइन के काफी डिब्बे हमें मिल रहे हैं। लाइन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करनी है और जिसे इस वर्ष काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लाइन की क्षमता बढ़ाने का कार्य पूरा हो जाने पर और अधिक डिब्बे और गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। गन्ना लाने ले जाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। यदि यातायात के दूसरे साधनों की आवश्यकता पड़ती है तो यह काम रेलों का नहीं है। निजी भारवाहक इस कार्य को कर सकते हैं अथवा यदि अन्य कोई अभिकरण इस कार्य को करना चाहे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या मालगाड़ी के डिब्बों की कमी इस्पात के अधिक उत्पादन हो जाने के कारण हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तो गन्ने की चर्चा कर रहे हैं।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या इस्पात के उत्पादन के लिये बड़ी परियोजनाओं के कारण ही यह कमी हुई है ?

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : इस्पात के बारे में कुछ कठिनाई रही है। संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय यह सुझाव देने का है कि मालगाड़ी के डिब्बे तथा अन्य दूसरी चीजों के बनाने का कार्य इस्पात की कमी के कारण रुक गया है किन्तु अब स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और हम आशा करते हैं कि जहां तक रेलों का सम्बन्ध है, इस्पात के संभरण में अब कोई कठिनाई नहीं होगी।

इंग्लैंड के साथ विमान समझौता

†*८६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और इंग्लिस्तान के बीच द्विपक्षीय विमान समझौते पर कब तक पुनर्विचार करने का विचार है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : दोनों सम्बन्धित सरकारों द्वारा चालू विमान-सेवाओं के आगामी बारह महीनों में विमानों का आवागमन निश्चित करने के लिये वार्षिक पुनर्विचार अप्रैल, १९५६ के मध्य में करने का विचार है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि इंग्लिस्तान की सरकार भारत और इंग्लैंड के बीच हमारे विमानों के आने जाने में वृद्धि करने से सहमत नहीं है ?

†**श्री राज बहादुर** : जी, नहीं। हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि इस प्रकार के जहां कहीं भी सम्मेलन हुये हमने आपसी तौर पर ऐसे मामले तय किये हैं और दोनों देशों में से प्रत्येक देश के विमानों के आने-जाने के बारे में सहमति दी है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने इंग्लिस्तान के साथ भी, जैसा कि अन्य देशों के साथ किया है, यात्रियों के लिये स्थान सुरक्षित करने का प्रबन्ध किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : ऐसे प्रश्न तो सम्मेलन के समय ही उत्पन्न होते हैं। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि इंग्लैंड के क्षेत्र में विमानों के आवागमन ५ बार से बढ़ा कर ६ बार करना चाहते थे और इसके लिये गत वर्ष वह सहमत हो गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र

†*८६५. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सहकारिता प्रशिक्षण केंद्रों में अब तक कितने उम्मीदवारों ने प्रशिक्षा ली है; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) १८९ उम्मीदवारों ने उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और १९५ उम्मीदवारों ने माध्यमिक स्तर का ।

(ख) उच्च और माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर भारत के रिजर्व बैंक ने १-६-५४ से ३१-१-५६ तक ५·७ लाख रुपया व्यय किया है ।

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या इन सभी व्यक्तियों ने देश अथवा विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : उन सब ने देश में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या रक्षित बैंक द्वारा सहायता प्राप्त, कोई सहकारी प्रशिक्षण संस्था त्रावन-कोर-कोचीन राज्य में काम कर रही है, कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिला है, क्या उन सभी को प्रशिक्षण के पश्चात् नौकरी मिल गई अथवा नहीं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हम राज्यों के क्रम से नहीं लेते हैं । त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कोई ऐसी संस्था है या नहीं, यह बताने के लिये हमें पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रशिक्षण १३ राज्यों में होता है उनमें त्रावनकोर-कोचीन का भी नाम है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सच है कि प्रशिक्षण केंद्रों में अथवा सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में जो प्राध्यापक अथवा अध्यापक नियुक्त हैं, वे केवल स्थानीय कालेजों के थोड़े समय काम करने वाले व्यक्ति हैं तथा उन्हें सहकारी आन्दोलन अथवा उसके टेक्निकल पहलू में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : यह योजना राज्य सरकार की सेवा में पूरे समय काम करने वाले व्यक्तियों से संबंध रखती है । मैं नहीं समझा कि मेरे मित्र कौन सी कठिनाई बताना चाहते हैं और किस हल की आशा करते हैं । मैं प्रश्न को ठीक तरह समझ नहीं सका हूँ ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या इन में से किन्हीं केंद्रों में, सहकारी कर्मचारियों से जिस कार्य की आशा की जाती है, उसे ध्यान में रखकर, उन्हें नयी अभिनति दी गयी है, यदि नयी अभिनति दी गयी है तो यह विशेष प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : वस्तुत: यह प्रशिक्षण सहकारिता में ही दिया जाता है और प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तीन श्रेणियों में विभाजित है । उच्च कर्मचारी, मध्यम वर्ग के कर्मचारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी । उच्च कर्मचारियों को पूना कालेज में प्रशिक्षण दिया जाता है । मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को ५ स्थानों यथा पूना, मद्रास, राँची, मेरठ और इन्दौर में प्रशिक्षण दिया जाता है और अधीनस्थ कर्मचारियों को १३ राज्यों में प्रशिक्षण दिया जाता है । सहकारिता के प्रशिक्षण का यह पूर्ण पाठ्क्रम है ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : मेरा प्रश्न यह था कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सामुदायिक विकास तथा विस्तार सेवाओं के परिणामस्वरूप सरकार को नये प्रकार के सहकारी कर्मचारियों की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आवश्यकता होगी, क्या इस प्रकार के कार्य को करने के लिये इन प्रशिक्षार्थियों से कोई लाभ होगा ?

†**श्री ए० पी० जैन** : ग्राम सहकारी पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या उन सभी अभ्यर्थियों को जिन को प्रशिक्षण मिला है, नौकरी में ले लिया गया है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मेरे विचार से लगभग सभी सरकारी नौकरी में हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सहकारी क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया है ? क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की संस्थाओं के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता अनुभव की है ? मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान इस शिकायत की ओर दिलाना चाहता हूँ —जो उस समय की गई थी जबकि वह त्रावनकोर-कोचीन में सहकारी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे—कि सहकारी कालेजों द्वारा दी गई उपाधियों को मान्यता नहीं दी जाती है ।

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जैसा कि लोक-सभा जानती है, प्रशिक्षण का यह सारा कार्यक्रम भारत के रक्षित बैंक के जिम्मे है । निसंदेह इन संस्थाओं की स्थापना करते समय और प्रशिक्षण की व्यवस्था करते समय उन्हें आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का अनुमान अवश्य होगा । मुझे विश्वास है कि कारण होने पर मान्यता, अमान्यता अथवा स्तर को उठाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं इतना और कह दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये अपेक्षित प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों का अनुमान लगाया जा चुका है प्रशिक्षण देने वाली जिन संस्थाओं की स्थापना की जायेगी उनकी संख्या का अनुमान लगा लिया गया है और सारी योजना पूर्ण है ।

चीनी मिलें

*८६६. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **खाद्य और कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी आधार पर चीनी मिलें चलाने के लिये किसानों को कितनी राशि सहायता के रूप में देने का विचार है; और

(ख) राजस्थान को कितना कोटा नियत किया गया है, वहां कितनी मिलें खोली जायेंगी और वे कहां-कहां खोली जायेंगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राज्य सरकारों को सहकारी चीनी की मिलों की अंश पूंजी (शेयर कैपिटल) में हिस्सा लेने के लिये ५ करोड़ रुपयों की कर्ज के लिये व्यवस्था की गई है । राज्य व भारत सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भारतीय इंडस्ट्रियल फिनैन्स कार्पोरेशन) भी ३५ लाख से ४५ लाख रुपये फ़ी मिल कर्जा दे रही है ।

(ख) राज्यवार बटवारा नहीं किया गया है ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : अब तक सहकारिता के ढंग पर इस किस्म की कितनी मिलें खुली हैं और उनको कितनी सहायता दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह हमारा अनुमान है कि काश्तकार लोग जो को-आप्रेटिव मिलों की स्थापना करें वह १० से लेकर १५ लाख तक का कैपिटल खुद इकट्ठा करें और उतना ही शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट उसमें डाले । उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन उनको कुछ कर्जा देगी । कुल खर्चा ६५ लाख से ८० लाख तक जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार समझती है कि जहां पर मिल की स्थापना की जाती है वहां के गरीब किसान १०-१५ लाख तक के शेयर खरीद सकते हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जी हां, सरकार बिल्कुल ऐसा समझती है और ऐसा हुआ भी है और कई जगह पर इतना रुपया इकट्ठा किया गया है ।

†**श्री वेलायुधन :** प्रश्न के भाग 'क' के सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं क्या कुछ उद्योगपतियों ने सहकारी समितियां बना ली हैं जिन के फलस्वरूप जब ये मिलें दी जायेंगी तो सहकारी आन्दोलन भावना ही समाप्त हो जायेगी ।

†**श्री ए० पी० जैन :** प्रश्न को बिल्कुल गलत समझा गया है क्योंकि ये सहकारी समितियां गन्ना उगाने वालों की सहकारी समितियां हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : अब तक कितने किसानों ने कितनी रकम के हिस्से इन सहकारी मिलों में खरीदे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं अन्दाजे से कह रहा हूँ कि करीब-करीब २५ को-आप्रेटिव मिलों के लाइसेंस दिये गये हैं । उनमें से दो चार ऐसी भी शायद हैं जिनको दिये जा रहे हैं । एक मिल लग गई है और १० मिलों के आने वाले क्रशिंग सीजन से पहल यह मिलें लग जायेंगी । बाकी केसिस में से भी कुछ ने पैसा इकट्ठा कर लिया है ।

श्री श्रीनारायण दास : मेरा सवाल यह था कि ...

नौवहन

†*८६७. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन जाने अथवा वहां से लौटने वाले भारतीय जहाजों को मार्ग के बन्दरगाहों यथा कोलम्बो, अदन और पोर्ट सैद में माल उठाने से वंचित कर दिया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय नौवहन समवायों को, इन बीच के व्यापार क्षेत्रों को प्रशासित करने वाली नौवहन कांफ्रेंस (बैठकों) में इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया है कि वर्तमान सदस्य नौवहन समवायों द्वारा यह व्यापार समुचित रूप से चल जाता है ।

(ग) स्वयं नौवहन समवायों ने इस विषय पर सम्बद्ध कान्फ्रेंस लाइनों से बातचीत की है, वे और अपने अधिकार प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये इस स्थिति पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री पी० सी० बोस :** क्या सरकार का ध्यान इंडियन शिपिंग मैगजीन के इस वकतव्य की ओर भी आकर्षित हुआ है कि इस कठिनाई के फलस्वरूप उनकी बहुत हानि हो रही है ?

†**श्री अलगेशन :** मुझे इस विशेष पत्रिका को देखने का अवसर नहीं मिला है । हमारे नौवहन समवायों के ऊपर डाली गई इस कठिनाई के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं कि उन्होंने इस मामले को व्यवसायिक स्तर पर ले लिया है और वे इन बीच के मार्गों में प्रवेश पाने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री सारंगधर दास :** क्या नौवहन समवायों ने इस विषय को हल करने में सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मैंने यही बात समझाने का प्रयत्न किया था । नौवहन समवाय स्वयं सदस्य समवायों से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने अभी सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है । ऐसी स्थिति आने पर सरकार अवश्य विचार करेगी कि इस विषय पर क्या किया जा सकता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि ब्रिटेन और भारत के बीच लादे जाने वाले माल के सम्बन्ध में भारतीय नौवहन समवायों के साथ विभेदात्मक बर्ताव किया जाता है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रश्न को ठीक से समझ नहीं सका । यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि देश विदेश की सरकारों के स्तर पर जहाजों पर माल लादने, में विदेशी जहाजों को भारतीय जहाजों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है तो यह ठीक नहीं है ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या वे कोलम्बो में बन्दरगाह प्राधिकारी तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच श्रीलंका के अथवा श्रीलंका द्वारा चलाये जाने वाले मालवाही जहाजों के मुकाबले भारतीय मालवाही जहाजों के साथ विभेदात्मक बर्ताव करते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हमें कोई ऐसी किसी विभेदात्मक कार्यवाही का ज्ञान नहीं है किन्तु हम इस बात की जांच करेंगे ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच है कि भारतीय समवाय बहुत पहिले से ही इन विशेषाधिकारों से वंचित है, और भारतीय नौवहन समवायों ने इस मामले पर पहिले कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? सरकार इस विषय में कब हस्तक्षेप करने वाली है ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसी बात नहीं है कि नौवहन समवायों ने इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की है । वे निरन्तर इसकी शिकायत करती रही हैं और इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न कर रही हैं । लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है । हम आशा करते हैं उन्हें शीघ्र ही सफलता मिल जायेगी ।

मटर से गर्भ-निरोधक औषधि तैयार करना

†*८६९. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'कलकत्ता वेक्टीरियोलोजिकल इंस्टीट्यूट' (कलकत्ता जीवाणु संस्था) के डा० एस० एन० सान्याल ने साधारण मटरों से एक गर्भ-रोधक औषधि तैयार की है जो बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि की परीक्षा की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). औषधि का अभी परीक्षण किया जा रहा है और उसके परिणाम का पता अभी लगाना है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार ने डा० सान्याल को कोई वित्तीय सहायता भी दी है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है, परन्तु, चालू वित्तीय वर्ष में इस विषय पर परीक्षण करने के लिये हमने ३२,१४० रुपये मंजूर किये थे ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री के एक भाषण की ओर आकर्षित हुआ है जिस में उन्होंने कहा था कि बेकारी की समस्या को हल करने के सारे उपाय तब तक व्यर्थ होंगे जब तक जनसंख्या इसी तेजी के साथ बढ़ती रहेगी । उन्होंने कहा है कि किसी देश की तरक्की विनियोग की रफ्तार के ऊपर निर्भर है तथा भारत में राष्ट्रीय बचत की रफ्तार में वृद्धि करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि जनसंख्या की वृद्धि को न रोका जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को इस प्रकार सभा का समय नहीं लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी :** प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रख कर आगे और कौन सी कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न यह है कि साधारण मटरों का इस प्रयोजन के लिये किस सीमा तक उपयोग हो सकता है । इस प्रश्न में जन संख्या सीमित करने की सामान्य नीति की चर्चा है ।

†**श्रीमती ए० काले :** क्या डाक्टर सान्याल ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह बताया गया हो कि इस कार्य में अब तक कितने प्रतिशत सफलता मिली है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : डाक्टर सान्याल ने हमारे पास खाई जाने वाली गर्भ-रोधक औषधि का नमूना यह कह कर भेजा था कि यह बहुत प्रभावशाली है । लेकिन हम उसे यों ही एक प्रभावशाली औषधि नहीं मान सकते । इसलिये हम परीक्षण कर रहे हैं । हमने बंबई में कुछ जांच की है और हम वहां आगे और जांच भी कर रहे हैं । केवल इतना ही नहीं, हम आगे और परीक्षण भी करना चाहते हैं । हमने इस नमूने को कलकत्ते के 'आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ' (स्वास्थ्य रक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की अखिल-भारतीय संस्था) में भेजा है और आगे और परीक्षणों के लिये ३२,१४० रुपये की राशि भी स्वीकार की है । इन परीक्षणों के समाप्त होने के पश्चात् हम कह सकेंगे कि यह औषधि प्रभावशाली है या नहीं ।

रेवाड़ी-भटिन्डा लाइन पर गाड़ियां

†***८७१. श्री आर० के० गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे की रेवाड़ी-भटिन्डा लाइन पर गाड़ियां सामान्यत: लेट हो जाया करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री आर० के० गुप्त : क्या यह ठीक है कि इन गाड़ियों के लेट होने का मुख्य कारण इंजिनों की खराबी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां । आनरेबिल मेम्बर का फरमाना किसी हद तक बजा है । इस लाइन पर पुराने किस्म के इंजिन थे जिन को अब नये किस्म के वाई० वी० लोकोमोटिव्स से तबदील किया जा रहा है और इसकी वजह से काफी तरक्की हो चुकी है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सभासचिव सभा पटल पर यह दिखलाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष ये गाड़ियां कितने दिनों ठीक समय पर चलीं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि जनवरी १९५६ में समय-पालन की प्रतिशतता ९४·१ थी जो वास्तव में काफी ऊंची प्रतिशतता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि ये गाड़ियां अक्सर लेट चलती हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह सच नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनन उद्योग के लिये माल-डिब्बे

†*८७२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ है कि बिहार के सिंहभूम जिले में लोहा और मेंगनीज का खनन उद्योग माल-डिब्बों के न मिलने के कारण संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सिंहभूम जिले के बड़ा जमदा क्षेत्र के स्टेशनों से लौह और मेंगनीज अयस्क का कलकत्ता बन्दरगाह में निर्यात करने के सम्बन्ध में, डिब्बों की उचित मांग के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। यह सच है कि इस क्षेत्र से अयस्क भेजने के लिये जैसा कि सामान्यत: कार्य के मौसम में होता है यातायात के परिमाण में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण डिब्बों के संभरण की स्थिति कुछ बिगड़ी है।

(ख) उपलब्ध हो सकने वाले सारे डिब्बों की संख्या के अनुरूप ही, अयस्क को इस क्षेत्र से बाहर भेजने के लिये यथा संभव अधिक डिब्बे भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि कलकत्ता-पत्तन को भेजे जाने वाले लोहे के अयस्क तथा मेंगनीज अयस्क की कितनी मात्रा सिंहभूम जिले के विभिन्न रेलवे प्लेट फार्मों पर पड़ी हुई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें वहां पर पड़ी हुई मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान नहीं है ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या नये बनाये जाने वाले तीन इस्पात के कारखानों के लिये जितने लौह अयस्क की आवश्यकता है, उसे संभरित करने के लिये रेलवे डिब्बों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये गये हैं।

†**श्री पी० सी० बोस** : लौह अयस्क को ले जाने के लिये प्रतिदिन लगभग कितने माल-डिब्बे मांगे जाते हैं, और रेलवे कितने डिब्बे देती है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : वास्तविक लाइन क्षमता है तीन गाड़ियां प्रतिदिन; परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, बरबनी, बड़ा जमदा और राज खारसांवां के बीच की लाइन को दोहरा किया जा रहा है और संभव है कि इस कार्य के समाप्त होने तक गाड़ियों का संभरण तीन से और भी कम करके प्रतिदिन दो या डेढ़ करना पड़े ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन माल-डिब्बों की आवश्यकता कितनी है और कितने संभरित किये जाते हैं !

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जुलाई से नवम्बर तक के मासों की दृष्टि से महीनों को लेते हुये—या यों कहिये कि गत वर्ष की चालू वर्ष से तुलना करते हुये—माल-डिब्बों के संभरण में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उस संभरण के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री किसी भी दिन के आंकड़े बता सकते हैं जो भी माननीय सदस्य पूछें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास मास-वार आंकड़े हैं। जब कि जुलाई, १९५४ में २,३२९ माल-डिब्बे संभरित किये गये थे, १९५५ में २,६९२ माल-डिब्बे संभरित किये गये हैं। मेरे पास कई मासों के आंकड़े हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मांग क्या है ?

†**श्री अलगेशन** : मांग के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उनके पास जानकारी होती तो वह बता सकते हैं कि इतना संभरण है और इतनी मांग है।

गन्ना

†८७३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २५ नवम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना और चीनी के मूल्यों में समन्वय करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गई थी, उसकी रिपोर्ट क्या सरकार को अब मिल गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी, नहीं।

श्री के० सी० सोधिया : यह कमेटी कब मुकर्रर की गयी थी।

डा० पी० एस० देशमुख : साल भर हुआ है। इसमें एक से ज्यादा कमेटियां मुकर्रर हुई हैं। पहली तो अप्रैल सन् १९५५ को मुकर्रर हुई और एक उसके कुछ पूर्व हुई।

श्री के० सी० सोधिया : इसकी रिपोर्ट कब तक मिलने की उम्मीद है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कहना जरा मुश्किल है, वैसे जल्दी मिलने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या विशेषज्ञों द्वारा नैनीताल जिले में तराई क्षेत्र के सम्बन्ध में अभिव्यक्त की गयी इस राय को ध्यान में रखते हुये कि वहां पर गन्ने से चीनी की प्राप्ति ९·६ प्रतिशत है, सरकार मूल्यों को फिर से उसी दर पर निर्धारित करने की संभावना पर विचार करेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : सरकार निरन्तर प्राप्ति के आंकड़े का निरीक्षण कर रही है यदि और भी आवश्यकता हुई, फिर से वे ही मूल्य निर्धारित कर दिये जायेंगे।

†**श्री झुनझुनवाला** : क्या समिति को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वह मूल्यों के बारे में निर्णय किस आधार पर करे—प्राप्ति के आधार पर अथवा किसी और आधार पर ?

†**श्री ए० पी० जैन** : उस समिति को यही तो सिफारिश करनी है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि नैनीताल जिले और देहरादून जिले में जो चीनी की मिलें हैं उनमें चीनी की रिकवरी कम होने के कारण गन्ने का मूल्य घटा दिया गया था और वहां की जनता ने इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी किया था और क्या मैं जान सकता हूं कि अब उस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ए० पी० जैन : यह वाक़या है कि देहरादून और नैनीताल की तराई में कीमत घटा दी गई थी लेकिन उसी के साथ में यह रखा गया था कि अगर जितनी कीमत घटी है उसकी निस्बत में रिकवरी ज्यादा होगी तो जितना बाकी पैसा है वह उनको दिलाया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुद्ध-जयन्ती

†*८७४. **श्री वीरस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५००वीं बुद्ध-जयन्ती के सम्बन्ध में बौद्ध केंद्रों को तथा वहां से कोई विशेष गाडियां चलाई जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों से;

(ग) क्या इन सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रादेशिक भाषाओं में भी कोई प्रचार किया जायेगा; और

(घ) क्या उन बौद्ध स्थानों की, जहां पर रेल जाती है, यात्रा करने के लिये सभी रेलवे स्टेशनों से वापिसी टिकट जारी किये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, जहां तक संभव हो सकेगा और अतिरिक्त यातायात को देखते हुये इसकी आवश्यकता होगी ।

(ख) इसका निर्णय तो यातायात के परिमाण पर और इस बात पर निर्भर करेगा कि उस यातायात की मांग को सामान्य गाड़ियों से या उनमें कुछ अतिरिक्त डिब्बे लगा कर कहां तक पूरा किया जा सकता है ।

(ग) जब भी विशेष गाडियां चलाने के बारे में विज्ञापन किया जाता है तो उसका उपयुक्त प्रचार किया जाता है ।

(घ) जिन स्थानों पर विमान या पोत आते जाते हों वहां से विदेशी बौध यात्रियों को तीर्थ स्थानों के लिये रियायती वापसी टिकट जारी किये जायेंगे ।

†**श्री वीरस्वामी** : इस जयन्ती के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों से बौद्ध स्थानों को आने वाले भारतीयों को ये वापिसी टिकट जारी क्यों नहीं किये जा सकते ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें आशा है कि विदेशों से बहुत अधिक संख्या में बौद्ध यात्री आयेंगे । हम इस देश में बहुत अधिक लोगों को रियायतें देकर कोई जटिलता उत्पन्न नहीं करना चाहते ।

†**श्री वीरस्वामी** : इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं किया है कि क्या इस जयन्ती के सम्बन्ध में कोई विशेष गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सरकार इस सम्बन्ध में सारा प्रबन्ध रखेगी और यदि यह समझा जायेगा कि विशेष गाड़ियों की आवश्यकता है तो तुरन्त इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : माननीय मंत्री के इस कथन को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से बौद्ध भारत पधारेंगे, क्या स्टेशनों पर उन लोगों को गाड़ियों आदि के बारे में ठीक ठीक जानकारी देने के लिये और उनकी सहायता करने के लिये कोई द्विभाषियें होंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : यदि आवश्यकता हुई तो हम यह प्रबन्ध भी कर देंगे ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या रेलवे मंत्रालय की यह इच्छा है कि अन्य स्टेशनों से इन बौद्ध केंद्रों को आने वाले भारतीय यात्रियों को प्रोत्साहित न किया जाये और विदेशी यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाये ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: हमारी यह इच्छा नहीं है कि भारतीय यात्रियों को प्रोत्साहित न किया जाये । यह रियायत विदेशियों को इसलिये दी गयी है कि उन्हें यहां पर आने पर

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक खर्च करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि उनकी इस तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाये। जहां तक भारतीय यात्रियों का सम्बन्ध है, अन्य कई रियायती टिकट हैं जिन से वे लाभ उठा सकते हैं। दशहरा, दीवाली, और क्रिसमस के अवसर पर, मई से दिसम्बर तक कई महीनों के लिये रियायती पर्यटन टिकट तथा वापसी टिकट जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष से जुलाई से लेकर सितम्बर तक सामान्य वापसी टिकट जारी करने की भी प्रस्थापना है। हमारे लोग इन सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं।

†**श्री वीरस्वामी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बुद्ध जयन्ती मई से प्रारम्भ हो रही है, क्या विभिन्न स्टेशनों से आने वाले भारतीय लोगों को उस दिन से वापसी टिकट जारी करना उचित नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा मैंने पहले कहा है हम नहीं समझते कि यह उचित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री वीरस्वामी** : एक प्रश्न और, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष मसोदय** : जी, नहीं। बहुत से प्रश्नों की अनुमति दी जा चुकी है।

प्रकाश स्तम्भ-विकास

†*८७६. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश के प्रकाश-स्तम्भ विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिये दो विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये विशेषज्ञ किस देश के हैं; और

(ग) उनकी सेवाओं के निबन्धन क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां। भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहायता बोर्ड के अधीन दो विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की हैं।

(ख) एक तो फ्रांस के हैं और दूसरे डेनमार्क से।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१**]

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : इन विशेषज्ञों के वेतन पर लगभग कितना खर्च आता है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह सब कुछ विवरण में दिया हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि इन विशेषज्ञों को वेतन संयुक्त राष्ट्र संघ देता है।

कैनेडा में सहकारिता प्रणाली

†*८७७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस भारतीय मिशन के प्रतिवेदन पर विचार किया है जो कि १९५३ में कनाडा में सहकारी प्रणाली का अध्ययन करने के लिये वहां पर गया था; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) देहात-ऋण-सर्वेक्षण-समिति के प्रतिवेदन पर आधारित सहकारी संस्थाओं की रूप रेखा बनाने में इस प्रतिवेदन में की गयी प्रमुख सिफारिशों का उचित ध्यान रखा गया है जो बड़ी-बड़ी ऋण संस्थाओं सीमित दायित्व सहकारी विवरण तथा शिक्षा के सम्बन्ध में हैं । शेष सिफारिशों का सहकारी विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति में विशेष ध्यान रखा जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन सुझावों अथवा सिफारिशों के परिणामस्वरूप सहकारी कार्य-कर्त्ताओं की प्रशिक्षण पद्धति में कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जी, हां । हम इसे नवीनतम रूप देना चाहते हैं और इस दल ने कनाडा को जो कुछ देखा है उससे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में इस समिति द्वारा की गयी सिफारिश देहात-ऋण-सर्वेक्षण-समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुरूप ही है ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : इस विशेष सिफारिश के सम्बन्ध में मैं इसी समय तो कुछ नहीं कह सकता । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार को कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : इन सिफारिशों को अलग-अलग कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । वास्तव में यह दल कनाडा गया, वहां की सहकारी प्रणाली का अध्ययन किया और कई सिफारिशें कीं । हमने भारत में सहकारी संगठन स्थापित करने के लिये सामान्य योजना बनाते समय इन फैसलों पर विशेष ध्यान दिया; और ये सिफारिशें इस दल के प्रतिवेदन के द्वारा आंशिक रूप में प्रभावित हुई हैं ।

†**श्री बंसी लाल** : क्या सरकार वहां पर औद्योगिक सहकारी आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये एक मिशन भेजने का विचार कर रही है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : न ही केवल औद्योगिक आन्दोलन अपितु उत्पादन सहकारी संस्थाओं और विशेषकर कृषि उत्पादन सहकारी संस्थाओं के विकास का अध्ययन करने के लिये भी ।

†**श्री बंसी लाल** : क्या इस मिशन के सदस्यों के चुनाव के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : अभी नहीं ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : इस मिशन पर कितना खर्च किया गया था ?

†**श्री ए० पी० जैन** : खर्च थोड़ा सा ही था लगभग ८०० रुपया क्योंकि शेष खर्च तो कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा सरकार द्वारा वहन किया गया था ।

बुद्ध जयन्ती

†***८७८. श्री विश्व नाथ राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई मास में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कसिया में टेलीफोन लगाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : कसिया में टेलीफोन की सुविधा पहले ही विद्यमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ राय** : जी, नहीं । यह बिल्कुल गलत है ।

†**श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य इसे गलत सिद्ध कर दें तो मैं अपने कथन में सुधार कर लूंगा । मेरी जानकारी यह है कि ११-७-५५ को पडरौना देवरिया एक्स्चेंज से एक सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र खोला गया था ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : माननीय मंत्री की जानकारी के लिये मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि कसिया में तार का कनैक्शन ही है, परन्तु टेलीफोन के कनैक्शन नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसके सम्बन्ध में पूछ-ताछ करेंगे ।

मद्रास सैंट्रल स्टेशन

†*८८०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर स्नान के लिये अपर्याप्त प्रबन्ध हैं और वहां पर केवल एक ही प्रथम श्रेणी का स्नानघर है जब कि वहां पर यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस स्टेशन पर स्नानघरों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) अतिरिक्त स्नानघर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस सम्बन्ध में किसी निर्णय तक पहुंचने में उस स्टेशन पर प्रतिदिन पहुंचने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हां ।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार बम्बई तथा कलकत्ता जैसे अन्य स्थानों पर भी, जिन्हें पहले प्रैजीडेंसी नगर कहा जाता था, स्नानघरों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी, हां । सरकार निरन्तर इसी बात का प्रयत्न कर रही है कि यात्रा करने वाली जनता को हर प्रकार की संभव सुविधायें और सुख दिये जायें । सारी स्थिति पर निरन्तर पुनर्विचार किया जाता रहा है ।

रेलों पर भोजन व्यवस्था

†*८८२. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री १३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५७ के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण (२) की मद २७ तथा २८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (१) भोज्य-यानों या जलपान-यानों में चाय और काफी और भोजन की बिक्री की कीमतों के प्रमापीकरण और (२) फेरी वालों द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी की गुंजाइश के सम्बन्ध में रेलवे की वाणिज्यिक समिति की सिफारिशों पर अब निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख) . जी हां । संलग्न विवरण में वाणिज्यक समिति की जो सिफारिशें दिखाई गई हैं उन्हें सरकार ने स्वीकार

---

†मूल अंग्रेजी में

कर लिया है और रेलवे प्रशासन को उन्हें लागू करने के लिये आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

†**श्री डाभी** : मैंने भोजनयानों में दिये जाने वाले भोजनों के दामों के सम्बन्ध में पूछा था परन्तु जलपान गृहों में दिये जाने वाले भोजनों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : दाम वहां बताये गये हैं। जलपान गृहों में भोजनों के जो दाम हैं उन से भोजनयान में भोजन के दाम ४ आने अधिक हैं।

†**श्री डाभी** : मैंने भोजनयानों में भोजन के दामों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : १ रुपया चार आने भोजन का दाम है।

†**श्री डाभी** : क्या यह सच नहीं कि २ रुपये ४ आने लिये जाते हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम है। जलपान-यान में जो भोजन मिलता है वह भोजन-यान में मिलने वाले भोजन से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। वे क्षेत्र भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं और भोजन की सूची में भी अन्तर होता है। जलपान सूची में अधिक वस्तुयें होती हैं। इसमें खीर तथा फीरनी भी होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्यों को यह मालूम करने में समय गंवाना चाहिये कि दाम १ रुपया ४ आने हैं या १ रुपया ६ आने हैं ? यह बात समय सारिणी से या कहीं और से जानकारी प्राप्त करके मालूम की जा सकती है या माननीय सदस्य वहां जायें तो वह केवल एक टिकट ले लें और फिर इस बात को मालूम कर लें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यदि कोई नीति सम्बन्धी बात हो कि एक वस्तु में और किसी अन्य वस्तु में इतना अधिक अन्तर क्यों होना चाहिये, तो यह बात पूछी जा सकती है, परन्तु यह मालूम करना कि इसका दाम एक रुपया है या १ रुपया ४ आना, १३ आने हैं या १२ आने—क्या संसद् ऐसी छोटी-छोटी बातों पर अपना समय गंवा सकती है ? अब मैं इन प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

बहिर्विभागीय कर्मचारी

*८८५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री १२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के बहिर्विभागीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और वेतन क्रमों को संशोधित करने क प्रश्न पर तब से अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बारे में विवरण सभा के टेबल पर रखा जायगा ?

संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : आप की कठिनाइयां क्या हैं जिन के कारण अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है ?

श्री राज बहादुर : कठिनाइयां तो प्रत्यक्ष हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या ७०,००० से ऊपर है और अगर एक कर्मचारी की तन्ख्वाह पांच रुपये भी बढ़ाई जाय तो आप इस का अन्दाज लगा सकते हैं कि लगभग ४७ लाख रुपये के खर्चा आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या यह आशा की जा सकती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कम से कम इस सम्बन्ध में निर्णय हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि इस के लिये भी मौलिक सिद्धांत है और वह यह कि यह कोई तन्ख्वाह नहीं है। यह एक तरह का ऐलाउंस है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो स्वयं इस काम को करने आता है। वह एक या दो घंटे काम करता है और उस के लिये ऐलाउंस पाता है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं माननीय मंत्री को स्मरण करा दूं कि पिछले वर्ष जब मंत्रालय के अनुदान पर वाद विवाद हो रहा था तब उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि इन व्यक्तियों की परिस्थितियों में सुधार की बात की ओर सरकार बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और कोई निर्णय क्यों नहीं किया गया है।

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैंने कहा है, इस विषय पर सोच विचार हो रहा है। इस में वित्तीय अड़चनें अन्तर्ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक कर्मचारियों के भविष्य का सम्बन्ध है, हम ने आयु सीमा में छूट दे कर और तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की अर्हताओं को ढीला करके विभाग में नियमित भर्ती के लिये और नियमित सेवा के लिये शर्तों को ढीला करके इन कर्मचारियों के लिये कुछ किया है।

†**श्री टी० एन० सिंह** : क्या यह समझना ठीक होगा कि जहां तक सेवा के निबन्धनों और शर्तों क पनरीक्षण का सम्बन्ध है इस विषय पर विचार नहीं किया जा रहा है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यह प्रश्न उठाने से पहले मैं माननीय सदस्यों से इस व्यवस्था की मौलिक बातों को ध्यान में रखने की प्रार्थना करूंगा। यह व्यवस्था इस आधार पर चलती है कि जिन अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को पोस्ट मास्टरों के रूप में नौकरी दी जाती है उन्हें जिस समय अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के रूप में नियुक्त किया जाता है उस समय उनकी जीविका का केवल यही एक मात्र आश्रय नहीं होता है बल्कि उनकी जीविका के अन्य साधन भी होते हैं। सेवा की एक शर्त यह है कि उनकी जीविका के अन्य साधन भी हैं। फिर हमें ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के विस्तार को भी देखना है और यदि हमें उन्हें विभागीय कर्मचारियों के आधार पर या उनके लगभग ही वेतन देना हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक डाक संबंधी सुविधाओं का विस्तार बिल्कुल ही असंभव हो जायेगा। इसी लिये हमें इस व्यवस्था को बनाये रखना होगा। परन्तु इस प्रश्न पर सोच विचार किया जा रहा है कि जो अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टर या एजेंट नियमित पदाली में न्यूनतम अपेक्षित अर्हतायें रखते हैं, उन्हें किस सीमा तक हम खपा सकते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि इन अतिरिक्त विभागीय पोस्ट-मास्टरों को अपने भत्ते में से आकिस्मकताओं के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है।

†**श्री राज बहादुर** : उन्हें इन के लिये खर्च नहीं करना पड़ता है। उन्हें अपेक्षित प्रपत्र, लेखन सामग्री आदि चीजें दी जाती हैं।

†**श्री ए० के० गोपालन** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इन में से अधिकतर व्यक्ति प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापक हैं और उनका वेतन बहुत ही कम है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस अतिरिक्त विभागीय कार्य के लिये इन अध्यापकों को जो भत्ता मिलता है उससे उनका वेतन अनुपूरित होता है। इस सीमा तक वे लाभ में रहते हैं। यह प्रश्न उनके लिये इस कार्य को स्वेच्छापूर्वक करके अपनी आय बढ़ाने का है और हमारे लिये ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा का विस्तार करने का है।

†**श्री ए० के० गोपालन** : वेतन तथा भत्ते को मिला कर कुल रकम कितनी होती है ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रत्येक राज्य में यह रकम विभिन्न होगी। मुझे मालूम नहीं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अध्यापकों का वेतन क्या है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : त्रावनकोर-कोचीन नहीं, मालाबार ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री विट्ठल राव । अनुपस्थित ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : मेरे पास प्राधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसे दे दिया गया है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कौन सा प्रश्न है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : ८५८ ।

हावड़ा-बर्दवान विद्युतीकरण योजना

†*८५८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (श्री टी० बी० विट्ठल राव की ओर से)** : क्या रेलवे मंत्री १ दिसम्बर १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा और मोगलसराय के बीच अधिक माल गाड़ियों के चलाये जाने की दृष्टि से उक्त सैक्शन की क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या प्रस्ताव किये गये हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों को लागू करने के फलस्वरूप कितनी अतिरिक्त माल गाड़ियां चलाई जा सकेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हावड़ा और मोगलसराय सैक्शन की क्षमता में वृद्धि के लिये जो अल्पकालीन कार्यवाहियां की गई हैं उनका ब्योरा लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ख) २ माल गाड़ियां ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : मोगलसराय और किऊल के बीच माल गाड़ियों के चलने की क्षमता में कुल कितनी वृद्धि होगी और इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन** : ये दो, अतिरिक्त माल गाड़ियां कई दिन पहले से ही चल रही हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : लोक-सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें कहा गया है :

"किऊल में एक डाऊन आने वाली लाइन की और अप तथा डाऊन आने और जाने वाली लाइनों के बीच एक साथ आने और जाने की व्यवस्था—४५ प्रतिशत ।" ४५ प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । पूरा काम समाप्त करने में और कितना समय लगेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस में देर नहीं लगनी चाहिये । माननीय सदस्य ने देखा होगा कि कुछ अन्य काम पहले ही, नवम्बर या दिसम्बर में पूरे किये जा चुके हैं ।

डाक विभागीय जीवन बीमा प्रधान कार्यालय

†*८६४. **श्री के० के० दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार डाक विभागीय जीवन बीमा के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता से हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ए० एम० थामस** : प्रशासन प्रतिवेदन में कहा गया है कि कार्यालय को वहां से हटाने का एक सुझाव है ।

†**श्री राज बहादुर** : कार्यालय को हटाने का सुझाव नहीं है । विचार यह है कि कार्य के विकेंद्रीयकरण के और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि डाक विभागीय जीवन बीमा के निदेशक का निदेशालय के साथ होना खास तौर पर जरूरी है, केवल निदेशक को वहां से अन्य स्थान पर भेज दिया जाये । परन्तु कार्यालय को कहीं और भेजने का विचार नहीं है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक पर वाद-विवाद के समय डाक विभागीय जीवन बीमा की जो कड़ी आलोचना की गई थी क्या संचार मंत्रालय को वह मालूम है । उस समय कहा गया था कि यद्यपि यह केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है तथापि इसने पर्याप्त प्रगति नहीं की है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री ए० एम० थामस** : ....इसने गैर-सरकारी क्षेत्र जैसी प्रगति नहीं की है और क्या सरकार ने इसके कार्यावहन के सुधार के लिये कोई कार्यवाहियां की हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह अपनी-अपनी राय की बात है । मेरे विचार में जहां तक विभागीय जीवन बीमा के काम का सम्बन्ध है, हमने पर्याप्त प्रगति की है । इस बात का प्रमाण बीमा की किस्तों से होने वाली आय में वृद्धि से, बीमा-पत्रों की संख्या में वृद्धि से और कारबार में सामान्य वृद्धि से मिलता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : मेरे पास प्रश्न संख्या ८८१ पूछने का भी प्राधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

खनन बोर्ड

†*८८१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (श्री टी० बी० विट्ठल राव की ओर से)** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के खान अधिनियम द्वारा अपेक्षित कितने खनन बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं;

(ख) इन बोर्डों को विनियमों के प्रारूप कब निर्दिष्ट किये गये थे;

(ग) क्या विनियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी बोर्ड ने अपने विचार बताये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन विनियमों को कब प्रख्यापित किया जायेगा ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९२३ के भारतीय खान अधिनियम के अधीन बनाये गये चार खनन बोर्ड १९५२ के खान अधिनियम के अधीन कृत्य कर रहे हैं । इनके पुर्नगठन और अन्य क्षेत्रों में ऐसे और अधिक बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से पहले ही बातचीत की जा रही है ।

(ख) कोयले की खानों से सम्बन्धित विनियमों का प्रारूप और धातुयुक्त खानों से सम्बन्धित-विनियमों के प्रारूप खनन बोर्ड से परामर्श के लिये क्रमशः १८-११-१९५५ तथा २-१२-१९५५ को राज्य सरकारों को निर्दिष्ट किये गये थे ।

(ग) पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के खनन बोर्डों के विचार प्राप्त हो चुके हैं । बिहार के दो खनन बोर्डों के विचारों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) खनन बोर्डों के विचार प्राप्त होने पर इन विनियमों को त्रिपक्षीय समितियों के समक्ष रखने का प्रस्ताव है ताकि वे उन पर विचार कर सकें। इसके बाद उन्हें आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जायेगा; और, जैसी कि अधिनियम में अपेक्षा है, जनता को उन पर अपनी राय देने के लिये तीन महीने का समय दिया जायेगा। आशा है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इन विनियमों को प्रख्यापित कर दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती** : त्रिपक्षीय सम्मेलन कब तक होगा और इन विनियमों को कब तक प्रख्यापित किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : सम्भवतः मई १९५६ में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नौवहन

†***८६८. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में कितने रूसी मालवाही जहाज बम्बई बन्दरगाह पहुंचे; और

(ख) इन जहाजों में क्या-क्या सामान था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १ अप्रैल, १९५५ से १६ फरवरी, १९५६ तक की कालावधि में छः रूसी जहाज बम्बई बन्दरगाह पहुंचे।

(ख) प्रदर्शन वस्तुयें जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, कृषि-उपकरण, इस्पात की कड़ियां और नल, फुटकर सामान, आदि।

आंध्र में चीनी के कारखाने

†***८७०. श्री लक्ष्मय्या** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र में द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में चीनी के कितने कारखाने खोले जाने की प्रस्थापना है;

(ख) क्या आन्ध्र राज्य सरकार ने चीनी के कारखानों की स्थापना—एक चित्तूर जिले में और दूसरी अनन्तपुर जिले के हिन्दुपुर में—की सिफारिश की है,

(ग) यदि हां, तो क्या ये सहकारी आधार पर स्थापित की जायेंगी या निजी आधार पर;

(घ) क्या उपरोक्त दो कारखानों को लाइसेंस दे दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब भी लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) चीनी के नये कारखानों के लिये लाइसेंस दिये जाने के लिये राज्यवार संख्या निश्चित नहीं की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) सहकारी आधार पर।

(घ) अभी नहीं।

(ङ) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलों का बिजली से चलाया जाना

†*८७५. **श्री तेलकीकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में रेलों के बिजली से चलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने मीलों में रेलों के बिजली से चलाये जाने की व्यवस्था की जायेगी; और

(ग) रेलों के बिजली से चलाये जाने के फलस्वरूप कितने कोकिंग कोयले की बचत होगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :(क) जी हां ।

(ख) १९५६-५७ में किसी नये सैक्शन पर बिजली से रेल चलाये जाने की आशा नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहकारी खेती

†*८७९. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी खेती के परिणामस्वरूप १९५५-५६ में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) उस कालावधि में कितने क्षेत्र में सहकारी खेती हुई;

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी खेती के लिये कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) इस बात का अलग अनुमान नहीं लगाया गया है कि सहकारी खेती के फलस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ।

(ख) लगभग १,८२,००० एकड़ में ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीप्रिन्टर

†*८८३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में कितने व्यावहारिक फर्मों को दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) की सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ख) प्रेस एजेंसियों के लिये कितने नये पारेषण परिपथ (ट्रांसमिशन सर्किट) स्थापित किये गये; और

(ग) इन पर कितना धन व्यय किया गया ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १८ ।

(ख) अब तक प्रेस तथा समाचार एजेंसियों को जितने परिपथ (सर्किट) दिये गये उनकी संख्या १११ है ।

(ग) परिपथों (सर्किट्स) की स्थापना की लागत बताना सम्भव नहीं है । सामान्य तथा सरकार पार्टियों के लिये परिपथ (सर्किट) स्थापित नहीं करती । विभाग उन्हें केवल 'चैनल' देता है जो बने

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाये होते हैं। हां, नई स्वर-आवृत्ति तार सरणियां (वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ्स सिस्टम्स) बनाते समय सरकारी कार्यालयों और जनता की मांगों का ख्याल रखा जाता है। नया निर्माण केवल तभी किया जाता है जब ऐसा करना परमावश्यक हो या जब लाइन का केवल कोई भाग बनाया जाना हो।

गुडूर-रेनिगुनटा लाइन

†*८८४. **श्री लक्ष्मय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडूर से रेनिगुनटा तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य किस सीमा तक पूरा हो गया है;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ग) अनुमानित व्यय कितना है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) अब तक कार्य में ३५ प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) लगभग ६६ लाख रुपये।

(ग) अनुमान है कि इस पर २१६·५ लाख रुपये व्यय होंगे।

(घ) आशा है कि यह कार्य जनवरी १९५७ तक पूरा हो जायेगा।

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

†*८८६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **श्रम** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला खान विवाद) ने अब सरकार को अपना पंचाट दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) अभी नहीं।

(ख) मार्च के अन्त तक या अप्रैल १९५६ के शुरू में।

भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी

†५००. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में प्रत्येक राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिकों को काम दिलाऊ दफ्तरों के द्वारा नौकरियां दिलाई गई; और

(ख) कितने व्यक्तियों के नाम अब भी प्रतीक्षा-सूची पर हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

बीकानेर स्टेशन का हटाया जाना

†५०१. **श्री करणी सिंहजी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बीकानेर स्टेशन (राजस्थान) के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाये जाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) इसकी जांच की जा रही है ।

नलकूप कार्यक्रम

†**५०२. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप योजना के सम्बन्ध में क्या विकास कार्यक्रम रखा गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित राज्यों में सिंचाई के लिये ३,७५६ नलकूप बनाने की प्रस्थापना है जिन पर लगभग २४ करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है :

राज्य	नलकूपों की संख्या
१. पंजाब	४६६
२. पेप्सू	२५०
३. उत्तर प्रदेश	१,५००
४. बम्बई (उत्तर गुजरात)	४००
५. बम्बई (ताप्ती घाटी)	१००
६. बिहार (औरंगाबाद मबुआ)	२००
७. मद्रास	१४०
८. आन्ध्र	२००
९. पश्चिमी बंगाल	१५०
१०. उड़ीसा	५०
११. मध्य प्रदेश	१००
१२. सौराष्ट्र	५०
१३. राजस्थान	५०
१४. आसाम	५०
१५. मध्य भारत	५०
	३,७५६

परन्तु पंजाब, पेप्सू, उत्तर प्रदेश और बम्बई (उत्तर गुजरात) के अतिरिक्त क्षेत्रों में नलकूपों का निर्माण भारत सरकार के इन क्षेत्रों के लिये किये जाने वाले प्रयोगात्मक नलकूप कार्यक्रम के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

२. आशा है कि इस कार्यक्रम के फलस्वरूप १२ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होने लगेगी ।

तीर्थ यात्री कर

†**५०३. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नर्मदा नदी में स्नान करने के लिये होशंगाबाद आने वाले यात्रियों पर कर लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं । जब तक रेलवे यात्रियों पर सीमा कर (यात्री कर को सम्मिलित कर के) लगाने के लिये सामान्य विधि नहीं बन जाती तब तक सरकार इस प्रकार का कोई कर नहीं लगा सकती ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेलों पर पानी ठंडा करने के यंत्र

†**५०४. श्री आर० के० गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ के दौरान में उत्तर रेलवे पर पानी ठंडा करने के कितने यंत्र लगाने का विचार है; और

(ख) पानी ठंडा करने के ये यन्त्र किन-किन स्टेशनों पर लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ४५ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

रेलों पर सामान बेचने वाले

†**५०५. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय, पूर्व, और पूर्वोत्तर रेलवे के कितने छोटे-छोटे विक्रेताओं तथा चाय के स्टालों के ठेकेदारों के ठेके १९५५-५६ के दौरान में समाप्त किये गये हैं अथवा समाप्त किये जाने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). सम्बन्धित रेलवे प्रशासनों के परामर्श के आधार पर जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन

†**५०६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५ के दौरान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुल कितनी अधिछात्रवृत्तियां दी हैं; और

(ख) किन-किन मुख्य विषयों की विदेशों में प्रशिक्षा के लिये प्रार्थियों का चयन किया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) ११ ।

(ख) परिचर्या, शरीर चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, बीमारियों के लिये समाज कार्य, शिशि रोग चिकित्सा सम्बन्धी, यक्ष्य नियंत्रण और स्वच्छता इंजीनियरिंग ।

लोक-स्वास्थ्य संगठन

†**५०७. श्री इब्राहीम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिये केंद्रीय सरकार ने कितने संगठनों को सहायता दी है; और

(ख) १९५५-५६ के दौरान में वास्तव में कितनी सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) केंद्रीय सरकार ने १९५५-५६ के दौरान में २१० चिकित्सा और स्वास्थ्य संगठनों को सहायता दी है ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । **देखिये संख्या एस—११०-५६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

डाकघर बचत बैंक लेखे

†५०८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के कितने डाकखाना बचत बैंक लेखा और प्रमाणपत्रों का अब तक पाकिस्तान से भारत को स्थानान्तरण किया गया है; और

(ख) कितने व्यक्तियों के, जो पाकिस्तान चले गये हैं; डाकखाना बचत बैंक लेखा और प्रमाण-पत्रों को अब तक भारत से पाकिस्तान स्थानान्तरित किया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ९ मार्च १९५६ तक पाकिस्तान से भारत को स्थानान्तरण किये गये डाकखाना बचत बैंक लेखा तथा प्रमाणपत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

बचत बैंक लेखा	६४,८३४
डाक (प्रमाणपत्र)	३०,९११

(ख) ९ मार्च १९५६ तक भारत में पाकिस्तान को स्थानान्तरित किये गये डाकखाना बचत बैंक लेखा तथा डाक प्रमाण पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

बचत बैंक लेखे	२६,२५६
डाक के सर्टिफिकेट	१५,७४८

कोडई कनाल वेधशाला

†५०९. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोडई कनाल वेधशाला ने बताया है कि अभी हाल में एक बहुत बड़ा और गतिशील धब्बा सूर्य के विम्ब में जाता हुआ दिखाई पड़ा था; और

(ख) यदि हां तो उससे किस प्रकार के विघ्न हुये ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) कोडइ कनाल वेधशाला में १८ जनवरी से २६ जनवरी, १९५६ के दौरान में भू-चुम्बकीय और आयनकरण क्षेत्र में काफी विघ्न हुये हैं । २० जनवरी, १९५६ को कुछ रेडियो संवाद पर प्रभाव पड़ने की सूचना मिली है ।

मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों के लिये गवेषण-केंद्र

†५१०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा कहीं गवेषणा केंद्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां पर हैं; और

(ग) इन केंद्रों में १९५५ में कितने व्यक्तियों को रखा गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). जी हां । इस प्रकार का केवल एक केंद्र अर्थात अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर, है ।

(ग) लगभग ४,५०० ।

अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन

५११. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य और कृषि मंत्रालय ने अप्रैल १९५५ में जो अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन बुलाया था, उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : खाद्य और कृषि मंत्रालय ने ऐसा कोई सम्मेलन नहीं बुलाया, लेकिन नई दिल्ली में एक अप्रैल से पांच अप्रैल १९५५ तक किसानों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । यह फार्मस फोरम, इंडिया के तत्वावधान में हुआ जोकि एक प्राइवेट बाडी (गैर-सरकारी संस्था) है और रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटीज एक्ट १८६० के अधीन रजिस्टर्ड है । इसलिये इसके खर्च के साथ खाद्य और कृषि मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आसाम चावल मिल सन्था

†५१२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम चावल मिल सन्था, गोहाटी ने बिजनी, तिन्धू, खोराबाड़ी, तांगला, ऊदलगुड़ी, और अन्य स्टेशनों पर नवम्बर, दिसम्बर १९५५ के दौरान में वैगनों के पंजीयन सम्बन्धी मांग को जो पूरी नहीं हुई दिखाने वाला एक विवरण भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) सम्पूर्ण मांग की पूर्त्ति करने के लिये चालू फसल के दौरान में आसाम में चावल के लदान की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है जैसा कि इस उदाहरण से प्रकट होता है कि नवम्बर १९५५ से २० फरवरी १९५६ तक आसाम के अलीपुर-द्वार और लुभदिंग जिलों के स्टेशनों से जिन में उल्लिखित स्टेशन भी सम्मिलित हैं २,८९२ वैगनों का लदान किया गया है; जब कि १९५४-५५ के दौरान में उसी समय में २,००१ वैगनों का लदान किया गया था; इस प्रकार इस वर्ष में ४४·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड

†५१३. **श्री आर० के० गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ के दौरान में डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड द्वारा वस्तुओं के खो जाने और क्षति हो जाने के परिणामस्वरूप कितनी राशि का दावा किया गया है ; और

(ख) उत्तर रेलवे द्वारा उपरोक्त दावों के लिये डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड को उपरोक्त समय के दौरान में वास्तव में कितनी राशि दी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** :

*(क) १९५४–५५—**४,९९९–०–० रुपये
१९५६–५६—††४,९९८,–०–० ,,
(दिसम्बर १९५५ तक)

(ख) १९५४–५५—२,०८९–०–० रुपये
१९५५–५६—कुछ नहीं
(दिसम्बर, १९५५ तक)

*चूंकि प्रश्न के भाग (ख) में उत्तर रेलवे के बारे में जानकारी मांगी गई है, भाग (क) का उत्तर उक्त रेलवे के बारे में हैं ।

**इन आंकड़ों में उन दो दावों की रकम सम्मिलित नहीं है क्योंकि उनके बारे में स्पष्टत: नहीं कहा गया है ।

††इन आंकड़ों में उन ग्यारह दावों की रकम सम्मिलित नहीं है क्योंकि उनके बारे में स्पष्टत: नहीं कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खगड़पुर वर्कशॉप

†५१४. **श्री सुबोध हासदा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खडगपुर वर्कशॉप में वर्कशॉप खलासी के स्थान के लिये १९५५ के दौरान में दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर के कर्मचारी सम्बन्धी अधिकारी को अनुसूचित जाति के कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को काम मिला; और

(ग) उस वर्कशॉप में १९५५ में अनुसूचित आदिम जाति के लिये अभ्यंश कितना है; और क्या उसकी पूर्त्ति हो गई थी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) १५६ ।

(ख) ८२ ।

(ग) ७७ जिस में से ५६ स्थानों की पूर्त्ति तो उस वर्ष में हो गई थी, शेष २१ स्थानों की पूर्त्ति जनवरी १९५६ में की गई थी ।

गाड़ी की जांच करने वाले निरीक्षक

†५१५. **श्री बाघमारे :**
श्री एन० बी० चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को जो आजकल रेल आवागमन निदेशक के अधीन कार्य कर रहे हैं और पूर्वी पाकिस्तान (सन्ताहर) में माल को इधर-उधर भेजने के सिलसिले में वहां नियुक्त हैं, विदेशी राष्ट्रों में नियुक्त होने के कारण उन्हें १७५ रुपये प्रति मास के हिसाब से भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां तो पूर्व रेलवे के गाड़ी जांच करने वाले उन निरीक्षकों को वह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता जो डिब्बों आदि को बदलने के सिलसिले में पूर्वी पाकिस्तान गये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

रेल आवागमन निदेशक

†५१६. **श्री किरोलिकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पूर्व रलवे का दो रेलों में विभाजित हो जाने के कारण रेल आवागमन निदेशक; कलकत्ता के पद को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** यह मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हावड़ा-बर्दवान विद्युतिकरण योजना

†५१७. **श्री टी० बी० विठ्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री २७ फरवरी १९५६ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-बर्दवान लाइन पर बिजली से रेल चलाने के लिये सामान किन-किन देशों से आयात किया जा रहा है; और

(ख) उसका मूल्य कितना है ?

†**रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) कलकत्ता रेलवे पर बिजली से रेल चलाने क लिये सामान का आयात करने के लिये निम्नलिखित देशों को आर्डर दिया गया है ।

इंगलिस्तान, जर्मनी, स्विटजरलैंड, इटली, स्वीडन, बेलजियम, हालैंड, हंग्री, जापान और डेनमार्क ।

(ख) विदेशों को दिये गये आर्डर का मूल्य अनुमानत: ८·७७ करोड़ रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षपिका

[गुरुवार, २२ मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...		८२३–४५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८५७	रेलों पर भोजन व्यवस्था ...	८२३–२४
८५९	रेलों पर खतरे की जंजीर का दुरुपयोग	८२४–२५
८६०	जल व्यवस्था और नाली योजनाएं	८२५–२७
८६१	ज्योतिर्मठ-बद्रीनाथ रोड ...	८२७
८६२	गन्ना ढोने के लिये माल डिब्बों का दिया जाना ...	८२८–२९
८६३	इंग्लैंड के साथ विमान समझौता ...	८२९
८६५	सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र	८३०–३१
८६६	चीनी मिलें	९३१–३२
८६७	नौवहन	८३२–३३
८६९	मटर से गर्भनिरोधक औषधि तैयार करना	९३३–३४
८७१	रेवाड़ी-भटिंडा लाइन पर गाड़ियां	८३४
८७२	खनन उद्योग के लिये माल-डिब्बे	८३५–३६
८७३	गन्ना	८३६
८७४	बुद्ध जयन्ती ...	८३७–३८
८७६	प्रकाश स्तम्भ-विकास	८३८
८७७	कैनेडा में सहकारिता प्रणाली	८३८–३९
८७८	बुद्ध जयन्ती ...	८३९–४०
८८०	मद्रास सैन्ट्रल स्टेशन	८४०
८८२	रेलों पर भोजन व्यवस्था	८४०–४१
८८५	बहिर्विभागीय कर्मचारी	८४१–४३
८५८	हावड़ा–बर्दवान विद्युतीकरण योजना	८४३
८६४	डाक विभागीय जीवन बीमा प्रधान कार्यालय	८४३–४४
८८१	खनन बोर्ड	८४४–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८४५–५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
८६८	नौवहन	८४५
८७०	आन्ध्र में चीनी के कारखाने	८४५
८७५	रेलों का बिजली से चलाया जाना	८४६
८७९	सहकारी खेती	८४६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८८३ टेलीप्रिन्टर ८४६–४७
८८४ गुडूर-रेनिगुनटा लाइन ८४७
८८६ अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ८४७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५०० भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी ... ८४७
५०१ बीकानेर स्टेशन का हटाया जाना... ८४७–४८
५०२ नलकूप कार्यक्रम ८४८
५०३ तीर्थयात्रा कर ... ८४८–४९
५०४ रेलों पर पानी ठंडा करने के यन्त्र ... ८४९
५०५ रेलों पर सामान बेचने वाले ... ८४९
५०६ विश्व स्वास्थ्य संगठन ८४९
५०७ लोक-स्वास्थ्य संगठन ८४९
५०८ डाकघर बचत बैंक लेखे ८५०
५०९ कोडई-कनाल वेधशाला ८५०
५१० मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों के लिये गवेषणा केंद्र ... ८५०
५११ अखिल भारतीय कृषक सम्मेलन ८५०–५१
५१२ आसाम चावल मिल सन्था ८५१
५१३ डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड... ८५१
५१४ खड़गपुर वर्कशाप ८५२
५१५ गाड़ी की जांच करने वाले निरीक्षक ... ८५२
५१६ रेल आवागमन निदेशक ८५२
५१७ हावड़ा-बर्दवान विद्युतीकरण योजना ८५३

M25LSD—190—29-5-57—GIPF—3

गुरुवार
22 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड २, १९५६

(५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खण्ड २--५ मार्च से २३ मार्च, १९५६)

पृष्ठ

अंक १६, सोमवार, ५ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६८१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ६८१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें--रेलवे १९५५-५६ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, रेलवे, १९५०-५१ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५१-५२ ६८२
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रेलवे, १९५२-५३ ६८२
रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा ६८२-७२१

दैनिक संक्षेपिका ७२२

अंक १७, मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में प्रक्रिया का प्रश्न ७२३-३२
समिति के लिये निर्वाचन--भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ७३२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
ब्रिटिश बैंक दर में परिवर्तन ७३२-३३
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७३३-७६

दैनिक संक्षेपिका ७७७

अंक १८, बुधवार, ७ मार्च, १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न--
सत्र-काल में सदस्य के बन्दीकरण का वारंट ७७९
सभा का कार्य ... ७८४
रेलवे आय-व्ययक सामान्य चर्चा ७८५-८१८
अनुदानों की मांगें--रेलवे ८१८-३८
मांग संख्या १--रेलवे बोर्ड ८१९-३८
मांग संख्या २--विविध व्यय ८१९-३९
मांग संख्या ३--चालू लाइनें आदि के लिये भुगतान ८१९-३८
मांग संख्या १४--चालू लाइनों पर काम--(राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८१९-३८
मांग संख्या १५--नये रेल-पथों का निर्माण--पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ८१९-३८

दैनिक संक्षेपिका ... ८३९

पृष्ठ

अंक १६, गुरूवार, ८ मार्च, १६५६

अध्यक्ष का निर्वाचन ... ८४१–४७
तारांकित प्रश्नों के उत्तर की शुद्धि ८४७–४८
सभा का कार्य ... ८४८
अनुदानों की मांगें––रेलवे ८४८–७४
मांग संख्या १––रेलवे बोर्ड ८४८–७४
मांग संख्या २––विविध व्यय ... ८४८–७४
मांग संख्या ३––चालू लाइनें, आदि के लिये भुगतान ... ८४८–७४
मांग संख्या १४––चालू लाइनों पर काम ––(राजस्व)–– श्रम कल्याण के अतिरिक्त ८४८–७४
मांग संख्या १५––नये रेल-पथों का निर्माण–– पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि ... ८४८–७४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय––प्रशासन ८७४–६३
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय––मरम्मत तथा संधारण ८७४–६३
दैनिक संक्षेपिका ८६४

अंक २०, शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६

आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ८६५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ८६५–६२४
मांग संख्या ४––साधारण कार्यवहन व्यय-प्रशासन ८६५–६१०
मांग संख्या ५––साधारण कार्यवहन व्यय–मरम्मत तथा संधारण ८६५–६१०
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–संचालक कर्मचारी ६११–२४
मांग संख्या ७––साधारण कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ६११–२४
मांग संख्या ८––साधारण कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन ६११–२४
मांग संख्या ६––साधारण कार्यवहन व्यय–विविध व्यय ६११–२४
मांग संख्या १०––साधारण कार्यवहन व्यय–श्रम कल्याण ६११–२४
राष्ट्रीय विकास (जनता द्वारा भाग लिया जाना) विधेयक ६२४
राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार पर सवेतन छुट्टी विधेयक ६२४
श्री काशी-विश्वनाथ मन्दिर विधेयक विचार करने का प्रस्ताव ... ६२४–३५
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ७१-क आदि का हटाया जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६३५–४३
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) विचार करने का प्रस्ताव ... ६४३–४५
दैनिक संक्षपिका ६४६

पृष्ठ

अंक २१, सोमवार, १२ मार्च, १९५६

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ९४७
लेखानुदानों की मांगें ९४७–५१
आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाने के बारे में वक्तव्य ९५१–५५
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ९५५
अनुदानों की मांगें––रेलवे ९५५–७३
मांग संख्या ६––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन कर्मचारी ९५५–६८
मांग संख्या ७––सामान्य कार्यवहन व्यय––संचालन (ईंधन) ... ९५५–६८
मांग संख्या ८––सामान्य कार्यवहन व्यय––कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय ९५५–६८
मांग संख्या ९––सामान्य कार्यवहन व्यय––विविध व्यय ... ९५५–६८
मांग संख्या १०––सामान्य कार्यवहन व्यय––श्रम कल्याण ९५५–६८
मांग संख्या ११––अवक्षयण रक्षित निधि के लिये विनियोग ९६८–७२
मांग संख्या १२––साधारण राजस्व में देय लाभांश ९६८–७२
मांग संख्या १३––चालू लाइनों पर काम––(राजस्व)––श्रम कल्याण... ९६८–७२
मांग संख्या १६––चालू लाइनों पर काम विस्तार ९६८–७३
मांग संख्या १७––चालू लाइनों पर काम प्रतिस्थापन ९६८–७३
मांग संख्या १८––चालू लाइनों पर काम––विकास निधि ... ९६८–७३
मांग संख्या १९––विशाखापटनम् पत्तन पर पूंजी व्यय ९६८–७३
मांग संख्या २०––विकास निधि के लिये विनियोग ९६८–७३
विनियोग (रेलवे) विधेयक ९७३
१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें––रेलवे ... ९७३–९२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ९९२
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक ... ९९२–९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक ९९३
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक ९९३
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक––
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ... ९९३–९५
पीलिया जांच-समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा ९९५–१००१
दैनिक संक्षेपिका १००२–०३

अंक २२, मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १००५
राज्य-सभा से संदेश १००५
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५१ के अमान्यीकरण से उत्पन्न हुई स्थिति १००६
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक ... १००६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) विधेयक ... १००६
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १००७
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक १००७–०८
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १००८–५१
पीलिया जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा १०५१–६१
दैनिक संक्षेपिका १०६२–६३

अंक २३, बुधवार, १४ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०६५
राज्य-सभा से संदेश १०६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छयालीसवां प्रतिवेदन ... १०६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना––
पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों का त्रिपुरा में पुनर्वास १०६६–६७
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक ... १०६७
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १०६७–१११
दैनिक संक्षेपिका ... १११२

अंक २४, गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव––
जनसंघ के कार्यकर्त्ता को जम्मू जाने से मना करना १११३–१४
राज्य-सभा से संदेश १११४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) १११५
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक का वापस लिया जाना ... १११५
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ... १११६–६३
दैनिक संक्षेपिका ... ११६४

अंक २५, शुक्रवार, १६ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ११६५
राज्य-सभा से संदेश ११६५–६६, ११९८
प्राक्कलन समिति––तेईसवां प्रतिवेदन ... ११६६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––
तेरहवां प्रतिवेदन ११६६
याचिका समिति––
आठवां प्रतिवेदन ११६६
सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा ११६७–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––
छियालीसवां प्रतिवेदन ११९८
मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ११९८–१२०५, १२०६–१३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के बारे में औचित्य प्रश्न १२०६
दैनिक संक्षेपिका ... १२१४–१५

अंक २६, सोमवार, १९ मार्च, १९५६	**पृष्ठ**
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना	१२१७–१८
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	१२१८
राज्य-सभा से सन्देश	१२१८
प्राक्कलन समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन ...	१२१८
अनुपस्थिति की अनुमति	१२१९
जीवन-बीमा निगम विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१२१९–७०
दैनिक संक्षेपिका ...	१२७१–७२
अंक २७, मंगलवार, २० मार्च, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
हुसैनीवाला हेडवर्क्स पर भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़	१२७३
उपाध्यक्ष का निर्वाचन ...	१२७४–७६
विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य	१२७६–८२
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	१२८२
जीवन-बीमा निगम विधेयक	१२८२
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	१२८२–१३१०
आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का भेद खुल जाना	१३११–३१
दैनिक संक्षेपिका ...	१३३२
अंक २८, बुधवार, २१ मार्च, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१३३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	१३३३
अनुदानों की मांगें— ...	१३३४–९७
मांग संख्या ११—प्रतिरक्षा मंत्रालय ...	१३३४–९७
मांग संख्या १२—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-सेना ...	१३३४–९७
मांग संख्या १३—प्रतिरक्षा सेवायें,—क्रियाकारी-नौ-सेना	१३३४–९७
मांग संख्या १४—प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—वायु बल	१३३४–९७
मांग संख्या १५—प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय	१३३४–९७
मांग संख्या १६—प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१३३४–९७
मांग संख्या ११७—प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय ...	१३३४–९७
दैनिक संक्षेपिका ...	१३९८
अंक २९, गुरुवार, २२ मार्च, १९५६	
प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा	१३९९
सभा का कार्य	१३९९–१४००
अनुदानों की मांगें	१४००–६२
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	१४००–६२
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	१४००–६२

	पृष्ठ
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान	१४००–६२
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा ...	१४००–६२
मांग संख्या ९—उड्डयन	१४००–६२
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११४—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) ...	१४००–६२
मांग संख्या ११५—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	१४००–६२
मांग संख्या ११६—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१४००–६२
सभापति-तालिका के लिये नामनिर्देशन ...	१४६२
दैनिक संक्षेपिका ...	१४६३

अंक ३०, शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर-कोचीन में मंत्रिमंडल की रचना	१४६५–६६
अनुदानों की मांगें ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९५—परिवहन मंत्रालय ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९६—पत्तन तथा पोतमार्ग-प्रदर्शन	१४६६–९९
मांग संख्या ९७—प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोत	१४६६–९९
मांग संख्या ९८—केन्द्रीय मार्ग निधि ...	१४६६–९९
मांग संख्या ९९—संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) ...	१४६६–९९
मांग संख्या १००—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४०—पत्तनों पर पूंजी व्यय	१४६६–९९
मांग संख्या १४१—सड़कों पर पूंजी व्यय ...	१४६६–९९
मांग संख्या १४२—परिवहन मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	१४६६–९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५००
सभा का कार्य ...	१५००
गोद लेने की प्रथा की समाप्ति विधेयक ...	१५००
बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन)	१५०१
समान पारिश्रमिक विधेयक ...	१५०१
दण्ड विधि संशोधन विधेयक	१५०१
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक— (धारा २, आदि का संशोधन)	१५०१
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन ...	१५०२
कारखाना (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०३
विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ...	१५०५–१५
विचार करने का प्रस्ताव ...	१५०५
दैनिक संक्षेपिका	१५१६

M102LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, २२ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११—३० म० पू०

प्रश्नों की ग्राह्यता

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में मुझे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिस माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो वह नोटिस आफिस के पदाधिकारी को सूचित कर सकते हैं और यदि फिर भी वह सन्तुष्ट न हों तो वह यह कह सकते हैं कि इस मामले पर अध्यक्ष विचार करें तथा मेरे पास आने पर मैं उस की जांच करूँगा। मैं यथासम्भव शिकायतें दूर करने का प्रयत्न करूँगा।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : आप की अनुमति से अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये दिनांकों में परिवर्तन करने की घोषणा करता हूँ।

इन परिवर्तनों के अनुसार निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगें चर्चा के लिये निम्न रूप से ली जायेंगी :

शिक्षा मंत्रालय.....११ अप्रैल के बजाय ३ अप्रैल

स्वास्थ्य मंत्रालय.....केवल ४ अप्रैल के बजाय ३ और ४ अप्रैल

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तालिका माननीय सदस्यों में परिचालित कर दी जायेंगी।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** :

उत्पादन मंत्रालय .....९ अप्रैल के बजाय ५ अप्रैल

खाद्य और कृषि मंत्रालय.....३ अप्रैल के बजाय ९ अप्रैल

श्रम मंत्रालय.....५ अप्रैल के बजाय ९ और १० अप्रैल

दिनांकों का पुनरीक्षित कार्यक्रम लोक-सभा समाचार द्वारा भी सदस्यों को बता दिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० एन० सिंह** : (जिला बनारस-पूर्व) : क्या हम जान सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के लिये नियत समय में कमी और स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के लिये नियत समय में वृद्धि क्यों कर दी गई है ?

†**एक माननीय सदस्य** : स्वास्थ्य अधिक महत्व रखता है ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : समय में कमी नहीं की गई है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : सम्बन्धित मंत्रियों की सुविधा के लिये, जिनका पहले कुछ कार्यक्रम बन चुका था दिनांक बदल दिये गये हैं, सबसे पहले दिनांक निश्चित करते समय हमें इस बात का पता नहीं था ।

†**श्री टी० एन० सिंह** : स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के लिये एक-एक दिन नियत किया गया था । अब शिक्षा मंत्रालय के लिये सम्भवतः केवल आधा दिन रहेगा जिसमें से आधा और अगला दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये उपलब्ध होगा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : नियतम दिनों में नहीं घंटों में किया गया है । हमने पहले जो कार्यक्रम बनाया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगी । इस मंत्रालय की मांगों के लिये ६ घंटे नियत किये गये हैं, जैसा कि सभा को विदित है ।

माननीय सदस्य कटौती प्रस्तावों को १५ मिनट के अन्दर पटल पर रख दें और यदि वे सभा में उपस्थित हुये और प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल हुये तो वे प्रस्तुत किये हुये समझे जायेंगे । कटौती प्रस्तावों के प्रस्तुत कर्त्ताओं के लिये सामन्यतः भाषण देने का समय १५ मिनट और दलों के नेताओं के लिये २० मिनट ही रहेगा ।

मुझे खेद है कि कल प्रतिरक्षा मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा में मैं उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर न दे सका जो बोलने के लिये तैयार होकर आये थे । अन्य मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कब होगी, इसका पता उन्हें बुलेटिन से चल जायेगा । अब सभी दल वाले, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, नामों की सूची मेरे पास भेज सकते हैं ।

उदाहरण के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय को ले लीजिये । कुछ माननीय सदस्य इस मंत्रालय की सेवा, आयुध कारखानों, सेना अथवा नौवहन आदि पर बोलना चाहेंगे – इस प्रकार काफी अच्छी चर्चा हो सकती है ।

एक प्रथा हम यह भी चला सकते हैं कि यदि हम किसी मंत्रालय विशेष के लिये अधिक समय नहीं दे सकते तो मंत्री अथवा उपमंत्री आपस में बैठकर उस पर विचार विनिमय कर सकते हैं । भविष्य में इस प्रथा को बढ़ावा देना चाहिये ।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मैं दलों के नेताओं के सुझावों का स्वागत करूँगा । यदि वे चाहें तो दो-तीन दिन पहले से सदस्यों के नाम लिख कर मेरे पास भेज दें । यदि सम्भव हो सका तो जिन लोगों को मैं बोलने के लिये कहना चाहता हूँ उसकी सूचना भी निकलवा दूंगा । ऐसा

---

†मूल अंग्रेजी में

करने में मुझे केवल एक कठिनाई यह दिखाई पड़ती है कि अन्य सदस्य यह समझेंगे कि जिनके नाम बताये जा चुके हैं केवल वे सदस्य ही बोलेंगे।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : तो फिर नाम न बताइये।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा :

†**श्री ए० के० गोपालन** (कन्ननूर) : हम इससे सहमत हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक चीज़ यह कहनी है कि १९५७ में चुनाव होने जा रहा है। अतः सभा का प्रत्येक सदस्य बोलना चाहेगा। हमें सभी दलों के लोगों को बोलने का अवसर देना होगा।

भिन्न-भिन्न सदस्यों ने भिन्न-भिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों अथवा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग लिया था जिसमें से कुछ लोगों को कई बार बोलने का अवसर मिल चुका है। अतः समय समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य बोलने का अवसर प्राप्त करने के लिये मेरी दृष्टि में आ जाये जिससे सभी को सन्तोष प्राप्त हो सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
५	संचार मंत्रालय	१५,१४,०००
६	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	४८,१४,२७,०००
७	अन्तरिक्ष विज्ञान	१,२५,१८,०००
८	समुद्रपार संचार सेवा	९६,५०,०००
९	उड्डयन	३,४७,६३,०००
१०	संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१५,१३,०००
११४	भारतीय डाक तथा तार पर पूँजी व्यय (राजस्व से न देय)	२२,४४,३३,०००
११५	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३,०९,१५,०००
११६	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६,१४,१९,०००

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : संचार मंत्रालय ने वास्तव में काफी प्रगति की है और केन्द्र के लोकप्रिय मंत्रालयों में से एक है।

यदि पोस्टकार्ड अथवा अन्तर्देशीय पत्र के मूल्यों में वृद्धि हुई तो जन-साधारण पर इसका प्रभाव पड़ता किन्तु पंजीयन और तार की दरें बढ़ जाने से मैं नहीं समझता कि हाय-तोबा मचाने की आवश्यकता है। साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि मंत्रालय इससे अधिक राशि कमाये। बुक पैकेट की दर बढ़ाने से जनता ने रोष प्रकट किया है। अनेक उन्नत देशों में इस विभाग को व्यापार के रूप में न चलाकर हानि पर चलाया जा रहा है। अतः यह कहना उचित नहीं कि चूंकि डाक सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है, अतः दरों में वृद्धि होनी चाहिये।

इस वर्ष के आय-व्ययक के प्राक्कलनों के अनुसार ७० लाख रुपये की बचत होती है किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार २·२७ करोड़ रुपये की बचत निकलती है जबकि आगामी वर्ष के आय-व्ययक प्राक्कलन से बचत कम रह जायेगी और चालू वर्ष में पर्याप्त बचत होगी।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

संचार मंत्रालय द्वारा किये गये कार्य पर गर्व प्रकट करते हुए और अन्य देशों से तुलना करते हुये यह कहा जा सकता है कि तार और टेलीफोन की सुविधायें हमारे यहां कम हैं किन्तु फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में और भी वृद्धि हो सकेंगी।

एक बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ यह है कि संचार मंत्रालय को राष्ट्र की सेवा में सहयोग देना चाहिये। अतः डाक तथा तार विभाग का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह अधिकाधिक ग्रामवासियों की बचत को यथाशक्ति चलिष्णु बनाने का प्रयत्न करे 'शिष्टाचार' सप्ताह की भांति ही डाक तथा तार विभाग को 'बचत सप्ताह' भी मनाने चाहिये जिससे ग्रामीणों की अल्प बचत को चलिष्णु बनाया जा सके।

डाक जीवन बीमा के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं। डाक जीवन बीमा केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। १९४८ से १९५२ तक इस क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई है। चूंकि सरकारी कर्मचारियों की आय स्थिर होती है, अतः आशा यह की जाती है कि भविष्य में डाक जीवन बीमा के बारे में और अधिक प्रगति होगी।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि गांवों में डाक सेवा अधिक अच्छी और शीघ्रतर होनी चाहिये। विमान से डाक ले जाने की प्रथा चलाने के लिये स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई को जनता कितना चाहती है। वैसे कहा तो यह जाता है कि हवाई डाक सेवा में विलम्ब होता है किन्तु मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि गांवों में डाक सेवा और शीघ्रगामी होनी चाहिये। अब तो आने-जाने की सुविधायें बढ़ जाने के कारण पत्रों के पहुंचने में पहले की अपेक्षा बहुत कम समय लगना चाहिये। मैंने जब डाकघरों के अधीक्षक को डाक के देर से मिलने के बारे में लिखा तो उसने यातायात पदाधिकारियों द्वारा नियंत बसों के समय के कारण देर हो जाना बताया। अतः ऐसे कार्य किये जाने चाहिये जिससे गांवो तक में अविलम्ब डाक मिल जाया करे। इन चीज़ों पर डाक तथा तार निदेशालय और संगठन तथा वरीका विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिये।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के बारे में मुझे यह कहना है कि उनमें से कुछ लोग कुछ अन्य कार्य भी करते हैं किन्तु उनमें से कुछ लोगों की जीविका केवल इसी पर निर्भर है। बहुत से लोगों को विवश होकर यह कार्य करना पड़ रहा है। अतः मेरा सुझाव है मंत्रालय को पदोन्नति के अलावा इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कुछ सुधार किया जाये।

भूतपूर्व रियासतों के कर्मचारियों की शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि गाडगील के प्रतिवेदन को लागू करने से कुछ अनियमित परिणाम निकल रहे हैं। मैं दो-एक मिनट अन्तरिक्ष सम्बन्धी विभाग के दायित्वों पर भी बोलना चाहूँगा।

मैं समझता हूँ कि एक मंत्रालय के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उचित समायोजन नहीं है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मौसम सम्बन्धी कार्य में अनेक कठिनाइयां हैं फिर भी हमें कार्य तो करना ही है जिसके लिये काफी संख्या में विभागीय प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होगी। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में भूमि तथा अन्य चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अन्तरिक्ष विभाग के लाभ हमें तो कुछ अभी तक पता नहीं लग सके हैं। कहा यह जाता है कि यह विभाग असैनिक और सैनिक उड्डयन कृषि तथा सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं आदि विभिन्न क्षेत्रों के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ है। यदि जनता यह समझती है कि यह विभाग इतना उपयोगी है तो देहातों में भी इसे खोला जाना चाहिये। योजना आयोग ने भी इस विभाग को महत्वपूर्ण बताया है।

असैनिक उड्डयन में कुछ प्रगति जान पड़ती है क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में अभी तक एक ही विमान दुर्घटना हुई है। भले ही इस विभाग का व्यय बढ़ जाये किन्तु अच्छे प्रकार के और आधुनिक ढंग के विमान खरीदने में हमें संकोच नहीं करना चाहिये।

असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों के बारे में इतना तो निश्चित ही है कि उन्हें कुछ शिकायतें हैं। यदि कुछ सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे तो मैं सरकार को इसके बारे में बताऊँगा। वहां के कर्मचारियों में असन्तोष है। इस कारण मंत्रालय को उसकी जांच करनी चाहिये। अन्त में मैं मांगों का समर्थन करते हुये मंत्रालय ने जो बढ़िया रेकार्ड कायम कर रखा है, उसके लिये बधाई देता हूँ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : यह वाद-विवाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में है। अतः हमें दो दृष्टिकोणों को सम्मुख रखकर इसे देखना चाहिये—एक तो यह है कि यह वास्तविकता को लेकर बनी है अथवा नहीं जिससे इस विशाल देश की आवश्यकता पूर्ण हो सके और दूसरे यह कि क्या इससे मंत्रालयवार आवश्यकताओं की पूर्ति और समायोजन होगा या नहीं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना योजना को सफल बनाने के लिये आवश्यक है।

इस कारण मैं कहूँगी कि डाक तथा तार विभाग की वित्तीय नीति में परिवर्तन होना चाहिये। यह चीज उस समय के लिये ठीक थी जब विदेशियों का राज्य था और प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उनके सम्मुख लाभ का दृष्टिकोण रहा करता था। यही कारण था कि डाक तथा तार विभाग को राजस्व का ५० प्रतिशत देना पड़ता था। किन्तु स्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात् सेवा की भावना को अधिक प्रश्रय दिया गया है। इसीलिये दूर के गांवों में डाकघर खोले गये हैं जो हानि पर चलते हैं। इन कमियों की पूर्ति सामान्य राजस्व से की जानी चाहिये। जन साधारण यह समझते हैं कि तार विभाग को लाभ हो रहा है, अतः उसकी मांगें पूरी की जा सकती हैं। किन्तु डाक का कार्य कुछ समय तक हानि पर ही चलेगा, इस कारण इस क्षेत्र में जितनी सुविधायें मिलनी चाहिये, नहीं मिल रही हैं।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : क्या सुविधाओं में कोई भेद रखा गया है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं अभी आपको यह बात बताऊंगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। इसका खर्च सेवाओं से न दिया जाकर सामान्य राज्यकोष से दिया जाये। अन्यथा कार्य कुशलता में कमी होगी और विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार पैदा होंगे।

रेलवे डाक सेवा में सदा कर्मचारियों की कमी बनी रहती है। लेखे के ढंग और भरती के ढंग भी इसके लिये उत्तरदायी हैं। भरती के पश्चात् चुने गये व्यक्तियों के नाम पुलिस की जांच के लिये भेजे जाते हैं। इस कार्य में कई महीने लग जाते हैं। क्या एक प्रजातन्त्र राज्य में यह उचित है। फिर तीन महीने तक इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और अन्तिम चुनाव के बाद इनको काम पर लगाने की घड़ी आती है तो मालूम होता है कि कई व्यक्ति यहां से नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरियों पर चले गये हैं। फिर सारी कार्यवाही की पुनरावृत्ति होती है। प्रजातन्त्र की दुहाई देकर जनहत्या न कीजिये। आप व्यक्ति से अधिकतम काम लीजिये किन्तु उस से सदा यह न कहिये कि वह निर्धारित समय से अधिक काम करे। हाल ही में दिल्ली डाक घर के आर० एम० एस० विभाग में निर्धारित समय से अधिक के लिये भत्ता न देने के प्रश्न पर कुछ गड़बड़ हो गई थी। उन्होंने अधिकारियों से इस विषय पर विस्तृत वार्ता की और अब स्थिति सुधर गई होगी। लेकिन उन व्यक्तियों को जो यहां से बहुत दूर हैं इन समस्याओं के समाधान में महीने और वर्ष लग जाते हैं छुट्टी जाने वाले व्यक्तियों के स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी यही बात है। हमें ज्ञात है कि एक वर्ष की सेवा के पश्चात्

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं होता। स्वाभाविक है कि लोग बड़ी संख्या में अवकाश के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं किन्तु उनके स्थान पर काम करने वाले व्यक्ति कम होने से बहुत अधिक व्यक्तियों को मना कर दिया जाता है।

मंत्रालय में शक्ति का केन्द्रीयकरण इतना अधिक है कि लगभग सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां महानिदेशक में निहित है।

पदवृद्धि के सम्बन्ध में कोई उचित योजना नहीं है। पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध एवं कुण्ठित प्रतीत होता है। कर्मचारियों में निराशा है।

कर्मचारियों को खादी की बर्दियां दिये जाने के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है किन्तु वे इतनी शीघ्र मैली और जर्जर हो जाती है कि उन्हें चार जोड़ी बर्दी मिलना चाहिये। यह सही है कि यह लोकोपयोगी सेवा है फिर भी छुट्टियों के दिनों में काम करने के लिये उन्हें प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

मंत्रालयों में समन्वय होना आवश्यक है। प्रायः हम रेलवे तथा डाक और तार विभाग में मतभेद देखते हैं रेलवे में नव निर्माण कार्य किया जा रहा है लेकिन रेलवे डाक सेवा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सार्वजनिक उपयोगिता से सम्बन्धित सेवा है। यह सरकारी विभाग है। यह भी रेलवे के समान महत्वपूर्ण है।

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों को विश्राम नहीं मिलता है। उन्हें प्रतीक्षा कक्षों का उपयोग नहीं करने दिया जाता। रेलवे और डाक तथा तार में समन्वय होना आवश्यक है।

असैनिक उड्डयन संचार मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस पर देशवासियों का ही नहीं किन्तु विदेशियों की भी सुरक्षा और कल्याण निर्भर है। इसके कर्मचारियों को शहरों से दूर रहना पड़ता है। उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती हैं। क्वार्टरों की बड़ी आवश्यकता है। हवाई पट्टी आरम्भ करने से पहले क्वार्टर बनाये जाने चाहिये। कहा गया है कि द्वितीय योजना की अवधि में साठ प्रतिशत लोगों के लिये आवास का प्रबन्ध हो जायेगा।

कर्मचारियों के लिये परिवहन और भत्तों की व्यवस्था होना चाहिये। कोई कर्मचारी इतना बीमार नहीं है कि वह अस्पताल में भरती किया जा सके किन्तु इस बीमारी की अवस्था में उनके लिये परिवहन की व्यवस्था होना चाहिये।

व्यक्ति दिन रात काम में लगे रहते है तथा इन्हें सप्ताहांत छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसी अवस्था में बीस दिन की आकस्मिक छुट्टियां दी जानी चाहिये। पचास प्रतिशत पदोवृद्धि विभागीय होना चाहिये। परिश्रमी उधमशील और उत्साही व्यक्ति उत्पन्न करने के लिये विभागीय पदोन्नति आवश्यक है।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों में गहरी निराशा है। उनका स्टैण्डर्ड कम हो गया है। अकेले दिल्ली में ही ५०० व्यक्ति बिना किसी विज्ञापन के भरती कर लिये गये। ऐसी भावना फैल रही है कि गुणों की कोई पूछ नहीं है। एक स्टोर्स आफिसर नियुक्त किया गया जो वहां किसी का सम्बन्धी था। सम्भव है यह बात सच न हो किन्तु यह बिल्कुल नया आदमी था और और उसके नीचे के पदाधिकारियों ने उसे काम बताया। इन सब बातों की जांच होनी चाहिये। हम राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं किन्तु यह देखना भी हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीयकृत उद्योग गैर-सरकारी उद्योग से अधिक अच्छा काम करे।

पदाधिकारी प्राविधिक प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजे जाते हैं किन्तु यहां आने पर वह प्रशासनिक कार्य करते हैं। बाहर से पुर्जों का आर्डर देने वाले और उन्हें यहां काम में लेने वाले व्यक्तियों में समन्वय नहीं है। उनके पास साधारण औजार भी नहीं हैं।

श्री राज बहादुर ने एक बार कहा था कि वाइकिंग अधिक वर्ष चलता है और यह बहुत समय तक काम देते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि बार-बार मांग प्रस्तुत की जाती है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि हमें अच्छे और नये विमान चाहिये। इसमें १४ सीटें होती हैं। मितव्ययता की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। केवल इण्डोनेशिया में इनका उपयोग होता है। इनकी संचालन लागत इतनी अधिक है कि एक वर्ष में संचालन और निर्वहन लागत एक मशीन की कीमत के बराबर हो जाती है। जिस प्रकार की मशीनों का हम उपयोग कर रहे हैं प्राय: बड़ी-बड़ी कमियां पैदा होती दिखाई देती हैं या तो उनमें सारी मशीन बदलनी पड़ती है अथवा अनेक रूपभेद करना होता है। यही कारण है कि हम इतनी अधिक हानि उठा रहे हैं।

अब हम विस्काउंट खरीद रहे हैं यह १९५८ में मिलेंगे। बताया गया है कि इनका ईंधन व्यय कम है। किन्तु इनकी सफाई आदि में अधिक खर्चा होता है। पुस्तकों में लिखा है कि हरकुलस की उम्र १००० घंटे होती है किन्तु भारत जैसे गर्म देश में उनकी आयु ६०० घंटे ही है। बाद में हमारे चालक इसे ८५० घंटे तक चला सके हैं। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये।

हमारे विमान चालक ऐशियाई देशों द्वारा प्रशंसित किये जा चुके हैं। हमें उन पर गर्व है।

एक उत्तम राष्ट्रीयकृत सेवा वस्तुत: श्रम पर निर्भर है। राष्ट्रीयकरण विधेयक में सम्मिलित श्रम सम्पर्क समिति अभी तक नहीं बनाई गई है। स्थायी आदेश हाल में गजट में प्रकाशित किये गये हैं। यह गलत प्रक्रिया है। वास्तविक आपत्तियां कर्मचारियों से आमंत्रित करना चाहिये। हम कितनी ही योजनायें बनायें, कितने ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें किन्तु जब तक इसके मानवीय पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक उद्योग संगठित नहीं होगा और वह कुशलता से सम्पन्न नहीं हो सकेगा।

†**श्रीमती मणिबेन पटेल** (कैरा–दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहती हूँ। आपने रिपोर्ट में बतलाया है कि अब डाक समय पर लोगों को मिलने लगी है और पत्र न खोने में काफी प्रगति हुई है। मंत्री महोदय ने रिपोर्ट में संख्या दी है और बतलाया है कि पिछली साल जितनी शिकायतें थीं उतनी इस साल नहीं हैं। मेरा आपको कहना यह है कि लोग शिकायत कर करके थक गये हैं इसलिये शिकायतों की संख्या कम है। कभी-कभी लिफाफे पर या कार्ड पर उस जगह का जहां से वह आया है या जहां वह आया है सिर्फ वहीं का सिक्का होता है दूसरी जगह का सिक्का नहीं होता। तो फिर आप को लिख कर क्या करें, क्योंकि आप किस तरह से जानेंगे कि उसमें कहां रुकावट आयी और किस तरह से रुकावट आयी। तो, आपके पास शिकायतों की संख्या कम हो गई है इस से यह मान लेना कि सब ठीक हो गया है सही नहीं होगा।

इसमें एक बात और भी है और वह यह कि एक आदमी की डाक दूसरे के यहां दे दी जाती है। बम्बई में तो ऐसा बहुत बार होता है? एक-एक मकान में पच्चीस-पच्चीस या तीस-तीस आदमी रहते हैं। उन घरों में एक आदमी की डाक दूसरे के यहां डाल दी जाती है। इस तरह से बहुत से पत्र गुम भी हो जाते हैं।

आप बड़े-बड़े शहरों में तो डाकखानों के लिये बड़े-बड़े मकान बना रहे हो लेकिन देहातों में और बहुत से डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जो आपके डाकखानों के मकान हैं, जो कि किराये के नहीं हैं, कभी आप उनकी हालत देखते हो? वहां के लिये आप दो सौ, तीन सौ चार सौ या पांच सौ रुपया सालाना व्हाइट वाशिंग के लिये दे देते हो, उससे काम नहीं होता है। उन मकानों पर काफी ध्यान देने की जरूरत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मनिबेन पटेल]

आपने हवाई अड्डों पर बगीचे लगा कर बहुत अच्छा बना रखा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, छोटे-छोटे गांवों में और छोटे शहरों में पोस्ट आफिसों के आस-पास आपकी जमीन है। उसमें अगर आप इसी तरह से बगीचे बनाने की सोचो तो अच्छा होगा। आज हम देखते हैं कि खाली कम्पाउंड पड़े हैं, वहां न कोई पेड़ है, न झाड़ है, न फूल हैं, वहां कूड़ा और कचरा पड़ा रहता है। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा सुझाव है कि इसकी तरफ भी आपको सोचना चाहिये।

एक बात यह भी है कि पहले जो लोग पोस्ट आफिस में, टेलीग्राफ में और टेलीफोन में काम करते थे उनको यह उम्मीद होती थी कि उनके लड़कों को उस विभाग में जगह मिल जायेगी। मैं यह नहीं कहती कि बिना लियाकत वाले को जगह मिलनी चाहिये परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ को प्रोत्साहन देने के लिये, ताकि वे अपने काम में ज्यादा दिलचस्पी ले सकें, यह अच्छा हो कि आप उनके रिश्तेदारों के लिये जो कि क्वालीफाइड हों, अपने रिक्रूटमेंट (भर्ती) में कुछ परसेंटेज निश्चित कर दें।

मैंने डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में यह देखा है कि पोस्टमैनों को और तार ले जाने वालों को बहुत दिनों तक वर्दी नहीं मिलती। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्यों ऐसे फिरते हो तो उन्होंने बताया कि हमको कपड़े मिलें तब तो हम उनको पहनें। हम को कपड़े देते ही नहीं तो हम क्या करें। बड़े शहरों में तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि वहां अक्सर मंत्री लोग जाते हैं और अफसर भी जाते होंगे। लेकिन यह तो छोटे-छोटे गांव और देहात हैं वहां भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

टेलीफोन के बारे में जो मुझे अपना अनुभव हो रहा है वह मैं आपको बतलाती हूँ। अभी भी यह होता है कि अगर हम किसी दूसरे के साथ बात करते हों तो दूसरे की बात भी सुनायी देती है और अगर किसी का नम्बर जोड़ा जाता है तो वह भी सुनायी देता है। हमारी बातों में तो कोई ऐसा महत्व नहीं होता लेकिन हो सकता है कि आपकी भी कोई गुप्त बात इस तरह से किसी को सुनायी दे जाय इसलिये मैं कहती हूँ कि इस तरफ भी आपको काफी ध्यान देना चाहिये। टेलीफोन व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कार्यक्षमता पहले से कुछ घटी है और घंटी बजती रहती है लेकिन उसको कोई रिसीव करने वाला नहीं होता। इस टेलीफोन व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं अपने सन् ३६, ३७ और ३८ के साल के अनुभव की बात बताती हूँ कि एक बार मैंने राजाजी को कौल करना चाहा तो टेलीफोन विभाग ने उनके बारे में मद्रास में तलाश की तो मालूम हुआ कि वे मद्रास में नहीं है, तब उन्होंने यह जानने की कोशिश की वे किस गांव में गये हुए हैं और उन्होंने मुझे बतलाया कि राजाजी फलां गांव में गये हुए हैं और उस गांव में टेलीफोन की व्यवसथा नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि इतना प्रयत्न उन्होंने किया और यह इत्तिला मुझे उन्होंने दी। अब तीन हफ्ते पहले का अनुभव मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने सेवाग्राम में वर्धा के पास जहां कि मैं टेलीफोन करना चाहती थी, टेलीफोन आपरेटर को नम्बर दे दिया, तो वह लड़की कहती है कि वहां टेलीफोन ही नहीं है और मुझ से पूछने लगी कि वह कौन सर्किल में है, किस टाउन में है, अब आप ही बतलाइये कि मैं जब उसको टेलीफान का नम्बर देती हूँ तो मुझसे वह सर्किल पूछती है मुझे तो मालूम है तो मैंने ट्रंक सुपरवाइजर को कहा लेकिन अब एक मामूली आदमी जिसके पास खाली टेलीफोन का नम्बर हो वह कैसे इस तरह की सारी इनफारमेशन (जानकारी) दे सके जो कि वास्तव में जानना उनका कार्य है और जब वे इतना नहीं जानतीं तो कैसे ट्रंक कौल बुक होगी और कैसे उसका काम बनेगा? यह भी देखने में आया है कि ट्रंक कौल करने के लिये टेलीफोन का नम्बर दे दिया जाता है और उसको दिये ६, ६ और ८, ८ घंटे बीत जाते हैं और लाइन नहीं मिल पाती और बातचीत नही हो पाती। अरजेंट टेलीफोन करने के लिये भी कहा जाता है कि आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। देखने में यह भी आया है कि टेलीफोन एक्सचेंज को अपना नम्बर दे देते हैं कि इस टेलीफोन से हम फंला जगह ट्रंक कौल करना चाहते हैं तो जवाब यह दे दिया जाता है कि घंटे भर बाद अपनी

पोज़ीशन पूछियेगा, और घंटे भर बाद पूछने पर जवाब दे दिया जाता है कि आध घंटे बाद पूछियेगा और जब आध घंटे के बाद पूछा जाता है तो कह देते हैं कि दस मिनट के बाद पूछना और जब फिर पूछते हैं तो कहते हैं कि आपका टेलीफोन तो हो गया, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की आपकी काम की एफिशियेंसी होगी तो लोग कितने परेशान होंगे । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उसके लिये उनको आवश्यक उपाय करना चाहिये ।

हमारी सरकार कर्टसी वीक हर जगह करती है, तो मेरा कहना है कि टेलीफोन विभाग में कर्टसी वीक करने की काफ़ी ज़रूरत है । हमारा यह अक्सर का अनुभव है कि टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन की घंटी बजती रहती है परन्तु उसको रिसीव नहीं करते और अगर करते भी हैं तो यह कह कर चल देते हैं कि अभी ठहरो, पकड़े रहो, हम अभी आते हैं और काफी देर हो जाती है और वह लौट कर नहीं आते । मेरा कहना है कि टेलीफोन विभाग में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये और मंत्री महोदय को सम्बन्धित अधिकारियों को इस खराबी को हटाने के लिये उचित कार्रवाई करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मुझे एक ओर आपका और ध्यान दिलाना है और वह यह है कि आपके टेलीफ़ोन विभाग में काफ़ी तादाद में हमारी बहनें काम करती हैं उनके लियें मैं ठीक से समझी नहीं हूं कि इस डारमेट्री का आपकी किताब में जो जिक्र आया है उससे क्या मतलब है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी उन बहनों के लिये कोई ऐसा सुभीता है कि जिस समय काफ़ी रात गये तक उनको ड्यूटी देनी-पड़ती है और काफ़ी देर में रात में ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वे घर जाती हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे वे आराम से अपने घरों को जा सकें और उनको रास्ते में कोई जोखिम न हो । मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उनके आराम करने के लिये कोई एक अलग सी व्यवस्था होती है या नहीं, इसकी उन्हें सुविधा प्राप्त है नहीं ? यह सूचना अगर मंत्री महोदय देंगे तो अच्छा होगा ।

एक जगह आपने लिखा है कि आप तार डालने के लिये वुडन पोल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या उन में दीमक नहीं लगेगी और मैं यह जानना चाहती हूं कि उनमें दीमक न लगे, इसके लिये आपने क्या कदम उठाया है ?

पहले आप जो यह टेलीफोन डाइरेक्ट्रीज़ बनाते थे तो उनमें आखिर में नम्बर दिये जाते थे और उसके सामने वह कौन से पृष्ठ पर मिलेगा उसका पेज नम्बर लिखा रहता था और उससे काफी आसानी रहती थी और अगर खाली नम्बर ही उनके पास हो तो वह डाइरेक्ट्री में से ढूंढ सकते थे कि यह किसका नम्बर है । आज वह नहीं किया जाता है और मेरी सूचना है कि इसको फिर से शरू करना उचित होगा । पहले तो एक निश्चित समय रहता था कि हर ६ महीने या १२ महीने बाद पहली तारीख को नई टेलीफ़ोन की डाइरेक्टरी ज़रूर निकलेगी, लेकिन आज यह नहीं होता है । इस प्रकार की निश्चितता फिर से लानी जरूरी है । अब जो डाइरेक्ट्रीज़ बनती हैं उनमें बारबार फ़र्क किया जाता है और जिसके कारण नम्बर ढूंढने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है । आज मेडिकल प्रैक्टीशनर्स की हेडिंग के अन्दर डाक्टरों को लिखा जाता है तो कल उनको डाक्टर्स की हैडिंग में लिखा जाता है, इस तरह से फर्क करते रहते हैं । मेरा कहना है कि अगर आप डाइरेक्टरी में कुछ फ़र्क करें तो उसकी पहले पृष्ठ पर सूचना दे देनी चाहिये कि इस प्रकार का फ़र्क किया जा रहा है जिससे हमको और हर एक टेलीफ़ोन नम्बर ढूंढने में आसानी रहे ।

अब मैं थोड़ा सा हवाई जहाज़ों के बारे में भी कहूंगी । हमें यह क़बूल करना चाहिये कि जब से हमने इसका नेशनलाइज़ेशन (राष्ट्रीयकरण) किया है तब से उसके काम में पहली जैसी एफिशियेंसी नहीं रही है और हम देखते हैं कि अब उसका टाइम शेडयूल भी ठीक नहीं रहता । मैं कोई बहुत ज्यादा हवाई जहाज में सफर नहीं करती हूं लेकिन लोगों को हवाई जहाज़ पर छोड़ने और रिसीव करने

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

जाना पड़ता है और मैंने देखा है कि जो उसका शेड्यूल टाइम होता है निश्चित टाइम होता है उस पर वह छूटता नहीं है, हवाई अड्डे पर उसका वक्त पर न पहुँचना तो समझ में आ भी सकता है क्योंकि समय पर पहुंचना बहुत कुछ हवा के रुख पर निर्भर करता है लेकिन मेरा कहना है कि जहां से उसको चलना होता है वहां से तो उसको ठीक वक्त पर चल देना चाहिये। देखा यह जाता है कि जब हवाई जहाज़ के छूटने का समय होता है तब उसके कर्मचारी इधर-उधर दौड़ते फिरते हैं और कोई भाग कर आफिस में जाते हैं और कागज़ या कोई जरूरी चीज़ जो रह जाती है उसको लाते है और इस तरह वक्त पर हवाई जहाज़ नहीं छूट पाता है। यह एक बार का अनुभव नहीं है बल्कि अक्सर मैंने इस तरह की गड़बड़ी होते देखी है। मैं कहना चाहती हूँ कि पहले से ही क्यों नहीं अपने सारे जरूरी कागज़ों और चीज़ों को ठीक से रख लिया जाता ताकि हवाई जहाज़ वक्त पर छूट सके।

आपने हवाई अड्डों के इर्द गिर्द साफ सुन्दर बगीचे बना कर उनको सुन्दर बनाने की कोशिश की है लेकिन अभी दस, पन्द्रह रोज़ की ही बात है मुझे किसी कार्यवश दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से वापिस फिर दिल्ली आना पड़ा और मैंने बीच में जयपुर में जहाँ कि हवाई जहाज़ ठहरता है और सफाई करने के लिये आदमी अन्दर आता है यह देखा कि वह आदमी हालांकि वाल्टी और झाड़ू दोनों लेकर सफाई को पहुँचता है परन्तु वह कचड़ा निकाल कर वहां नीचे ही फेंक देता हैं और कूड़ा जमा करने के लिये वाल्टी का उपयोग नहीं करता है। इसके अलावा आपने माधोपुर हवाई अड्डे पर तार के इनक्लोजर्स बनाये हैं उनकी पर्वाह न करके उनके बीच में से हवाई जहाज़ और डाकखाने के कर्मचारी डाक के थेले लाते ले जाते हैं। अब जब आपके ही कर्मचारीगण उन तारों को इस तरह लांघते हैं तो फिर दूसरे लोग इस तरह की हरकत क्यों न करेंगे और उस हालत में इन तार के इनक्लोजर्स को रखने की जरूरत ही क्या है।

इसके अतिरिक्त हवाई जहाज़ों में जो सीटें होती हैं उनका ऊपर का कपड़ा काफी गंदा रहता है और सफाई ठीक तरह से नहीं होती और मैंने हवाई जहाज़ में मक्खी और मच्छरों का भी अनुभव किया है और जब मैंने उसके बारे में कहा तो बतलाया गया कि हमने फिलट कर दिया है अब आपने फिलट किया या नहीं किया इससे मतलब नहीं है, सवाल यह है कि वहां पर गंदगी रहती है और मक्खी और मच्छर तक रहते हैं। ये हेरोन की सीटें भी छोटी होती हैं और उनके बीच मूविंग स्पेस भी बहुत कम होता है और मैं समझती हूँ कि अगर हमारे इस विभाग के दोनों मिनिस्टर भी उन सीटों पर बैठें तो उन्हें भी कुछ दिक्कत मालूम होगी, दुबले पतले आदमी के लिये तो वे ठीक हो भी सकती हैं परन्तु मैंने देखा है कि मोटे और लम्बे आदमियों को उन पर बैठने में और उनको वहां चलने में काफी कठिनाई होती थी। आपके यह हवाई जहाज़ और इनका सीटिंग अरेंजमेंट में मैं देखती हूँ मोटे और लम्बे आदमी तकलीफ पाते हैं और मैं हवाई जहाज़ में अहमदाबाद से आ रही थी तब किसी कारण से होस्टेस नहीं था उसकी जगह एक आदमी काम कर रहा था तो चूंकि वह जरा मोटा और लम्बा था तो उसको आने जाने में दुश्वारी पेश आती थी और मोटा था इस कारण हर बार मेरी सीट से टकरा कर जाता था। और उसमें उसका कोई कसूर नहीं था और मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी कि इन हवाई जहाज़ों में सिर्फ़ दुबले पतले आदमी जाने वाले नहीं हैं, मोटे और लम्बे भी सफर करेंगे और इसलिये मैं चाहूँगी कि उनको ऐसे हवाई जहाज़ देख कर लेना चाहिये कि जिनमें काफ़ी जगह हो और सीटें आरामदेह हों और पैसेंजर्स को तकलीफ़ न हों। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो हवाई जहाज़ों के छूटने की टाइमिंग्स रक्खे हैं, चूंकि अब गर्मी आ गई है इसलिये उनमें परिवर्तन हो सकता है और उनको जरा और तड़के छूटना चाहिये।

ऐयरमेल लेटर्स के बारे में मुझे यह कहनां है कि ऐयरमेल लेटर्स का पैसा तो आप लेते हैं परन्तु गुजरात में उसका हमें कोई फायदा ही नहीं मिलता है क्योंकि आपके हवाई जहाज़ों के टाइमिंग्स ऐसे हैं

कि तीसरे दिन पत्र मिलते हैं और उस दिन मिलते हैं तो चार बजे के बाद मिलते हैं जिससे कि उसका जवाब उस दिन जा ही नहीं सकता चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो। इसलिये यह मांग है कि पहले जिस तरीक़े से यहां पर हवाई जहाज़ डाक लेकर ११ या साढ़े ग्यारह बजे पहुंचता था, वैसा कोई प्रबन्ध करें, तो अच्छा होगा और लोग दिन में चिट्ठी पाकर उसी रोज़ जवाब दे सकेंगे और अब तो दिन भी काफ़ी बढ़ गया है और उससे जो रास्ते में गर्मी के कारण तकलीफ़ होती है, वह तकलीफ़ भी बच जायगी। आज तो सब जगह यह कहा जाता है कि आज हमने जो नैशनलाइज़ेशन किया है, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ और डेटेरियोरेशन ही होता चला जाता है। जब मैं इस ओर आपका ध्यान खींचती हूँ तो आप कहते हैं कि हम क्या करें, इतनी कठिनाइयां हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब आपने इसको लिया था तो यह समझ कर ही लिया होगा कि आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तब फिर आज आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? मेरा तो आप से यही कहना है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ फर्क करना पड़े तो वह भी आपको करना चाहिये। अगर यह बहुत बड़ी चीज़ है और एक कारपोरेशन से आप सारे देश को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो इसकी व्यवस्था करने का कोई और तरीका सोचिये। लेकिन नैशनलाइज करने के बाद इसमें ज्यादा एफिशिएन्सी आये इस प्रकार का प्रबन्ध करना चाहिये।

†**पण्डित सी० एन० मालवीय** (रायसेन) : माननीय महिला सदस्यों की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ किन्तु मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है, कठिनाइयाँ पार नहीं की हैं अथवा पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में सफल नहीं हुआ है।

रेलवे तथा सुरक्षा की भांति यह महत्वपूर्ण विभाग है। यह लोक उपयोगिता सेवा विभाग है। मंत्रालय की सफलता का श्रेय उसमें काम करने वाले २६२,००० कर्मचारियों को है। इनमें से ७४,८३२ कर्मचारी अस्थायी हैं। भ्रष्टाचार और काम की उपेक्षा का यह भी एक कारण है। इसी प्रकार पद-वृद्धियों में नियमों के अनुसार काम नहीं किया जाता है और उचित व्यक्तियों के अधिकार न देखते हुए चुनाव लिया जाता है। किन्तु कर्मचारियों के अधिकारों का समर्थन करते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनकी कार्य कुशलता में कमी न हो। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण राशि का ४ प्रतिशत इस मंत्रालय को दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल २ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पहली बार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा नियमों का लाभ प्राप्त हुआ है। केवल यही ऐसा विभाग है जिसमें चतुर्थ श्रेणी को भविष्य निधि का भी लाभ प्राप्त है। २,००० से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में डाक तार व्यवस्था का प्रसारण कर दिया गया है। ऐसे गांव नहीं रखे गये हैं जहां डाक नहीं पहुँचती थी।

शिकायतों के चार्ट में यदि विचारार्थ और नई शिकायतों को मिलाकर और निबटाई गई शिकायतों को अलग-अलग बताया जाता तो अच्छा होता। विभाग में संगठन तथा प्रणाली यूनिट है। माननीय मित्र श्री ए० एम० थामस ने इस यूनिट द्वारा किये जाने वाले अनेक कार्यों का उल्लेख किया है। किन्तु यदि उसके कार्य के परिणाम प्रतिवेदन में दिये जाते तो अच्छा होता। प्रादेशिक समितियां अत्यन्त सफल सिद्ध हुई हैं क्योंकि सम्बन्धित क्षेत्र की शिकायतें वहां उपस्थित की जाती हैं और उन पर पदाधिकारी शीघ्र ध्यान देते हैं।

असैनिक उड्डयन के बारे में शिकायत की गई है कि उसका राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया है। कहा गया है कि इसका काम ठीक नहीं चल रहा है। किन्तु आंकड़ों से दूसरी ही बात सिद्ध होती है। इतने विशाल संगठन में थोड़ी सी अकुशलता हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित सी० एन० मालवीय]

१९५२ में ३६,०००.डाकघर थे, १९५५ में ५३,००० डाकघर हैं, १९५२ में तार घरों की संख्या ३,५९२ थी अब १९५५ में वे ५,००० हो गये हैं टेलीफोन १६८,००० से २६०,००० हो गये हैं और सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या ३३८ से १,२०० तक बढ़ गई है। रेडियो तार सम्बन्ध १२ देशों से है; रेडियो टेलीफोन १६ देशों से और पांच देशों के साथ रेडियो फोटो सम्बन्ध है।

इण्डियन टेलीफोन उद्योग का कार्य भी अत्यन्त संतोषजनक है।

मेरा एक सुझाव यह है कि प्रत्येक गांव में डाकघर खोले जायें। कुछ सीमा तक यह कार्यक्रम पूरा हुआ है। अतिरिक्त विभागीय डाक घरों में काम करने वाले व्यक्तियों की सेवा निस्संदेह ही स्वैच्छिक सेवा है। अभी अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टर को १५ रुपये और पोस्टमेन को २५ रुपये मिलते हैं। मेरा सुझाव है कि यह काम एक व्यक्ति को सौंपा जाये और उसे ४०) रुपये दिये जायें।

यह भी आवश्यक है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहिये। एक योजना थी कि गांव का मुखिया ऐसी व्यवस्था करे कि गांव का कोटवार स्वेच्छापूर्वक काम करे और वह सड़क पर जाकर डाक का थैला डाक की बस तक पहुँचा दे। ग्राम पंचायतों से यह काम करवाना चाहिये। मेरा यह अभिप्राय: नहीं है कि उन्हें उस काम के लिये विवश किया जाये। सरपंच को यह काम दिया जाना चाहिये क्योंकि मास्टर को यह काम देने से वह अपना काम ठीक प्रकार नहीं कर पाता। क्षेत्रीय समितियों में लगातार इस बात की मांग की गई है कि अंग्रेजी के तारों का अंग्रेजी सार के साथ साथ हिन्दी में भी अनुवाद होना चाहिये। यह हिन्दी अनुवाद तार भेजने वाले को भी, और विशेषत: ग्रामों में जहां कि अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं होते, भेजना चाहिये।

जिन व्यक्तियों के पते अंग्रेजी में पंजीकृत हैं उनको हिन्दी में तार भेजने के लिये अतिरिक्त फीस देने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ कि यह अनुचित है। अंग्रेजी में पता रजिस्टर कराने वाले व्यक्तियों को हिन्दी के तार उसी पते पर भेजे जाने चाहिये और उसके लिये अतिरिक्त फीस नहीं ली जानी चाहिये।

मेरा विचार है कि दोषविवेचना (सैन्शरशिप) आवश्यक है। किन्तु यह बड़ी सावधानी से की जानी चाहिये। आजकल इसका ढंग बड़ा मूर्खतापूर्ण है। पत्र खुले हुए मिलते हैं। शिकायत करने पर उत्तर मिलता है कि 'रास्ते में खुल गया होगा।'

नियम के अनुसार पोस्टमास्टर तथा उसके कर्मचारियों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे असुविधा उठाकर जनता की सहायता करें। किन्तु इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड चिट्ठी लेकर जाये और उसके तोलने के लिये कहे और कर्मचारी तोलने से इन्कार कर दे। इस नियम को जनता की मांग तथा उसकी सेवा की दृष्टि से बदल देना चाहिये।

हांलाकि बचत बैंक द्वारा काफ़ी रुपये इक्ट्ठे किये गये हैं किन्तु फिर भी बचत बैंक निक्षेप की वृद्धि के लिये मंत्रालय का आन्दोलन जारी करना चाहिये तथा बचत बैंक में रुपया जमा करने के लिये जनता को उत्साहित करना चाहिये। प्रयोगात्मक तथा अतिरिक्त विभागीय डाक घरों को भी बचत बैंक लेखाओं का भी कार्य देना चाहिये।

डाकघर राष्ट्रीय बचत पत्र बेचते हैं किन्तु मैं समझता हूँ कि डाक घर इसमें पूरा उत्साह नहीं ले रहे हैं। इन राष्ट्रीय बचत पत्रों को बेचन में डाकघरों को पूरी रुचि से कार्य करना चाहिये।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : परिवहन और संचार और उनका प्रभावशाली कार्यकरण सभ्यता के अस्तित्व के लिये अपरिहार्य है। रेलवे, जलमार्ग और अन्य संचार साधन,

†मूल अंग्रेजी में

जैसे डाक व तार तथा प्रसारण देश के विकास में एक विशेष महत्व रखते हैं। आज हम संचार मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदान के लिये प्रस्तुत की गई मांगों पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं कुछ आलोचना करूं या सुझाव दूं, मैं उक्त मंत्रालय द्वारा असैनिक उड्डयन और डाक व तार इन दो पक्षों द्वारा की गई प्रगति के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा।

असैनिक उड्डयन का हमने १९५३ में राष्ट्रीयकरण किया था और उसके बाद देश के अंदर और बाहर वायु सेवाओं के विस्तार में कुछ प्रगति हुई है। विशेषकर विदेशों को जाने वाली वायु सेवाओं को प्रारम्भ करने के लिये मैं माननीय मंत्री का अभिनन्दन करता हूँ, लगभग १६ देशों से सम्पर्क स्थापित करने में वह सफल हुए हैं। सेवाओं की विशेषकर ब्रिटेन को जाने वाली सेवाओं की बारम्बारता भी बढ़ाई गई है। एयर-इन्डिया इन्टरनेशनल की कार्यदक्षता पर्याप्त रही है और मेरा खयाल है कि विरोधी दल के सदस्य भी इस सम्बन्ध में की गई प्रगति को स्वीकार करेंगे।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाले वर्ष में एयरइंडिया इन्टरनेशनल को ३३·६५ लाख रुपये का लाभ हुआ है। इसमें आस्तियों के अवक्षयण और पुर्जों के अप्रचलन के लिये उपबन्धित क्रमश: ४१ लाख रुपये और १३·७५ लाख रुपये की राशियां शामिल नहीं हैं। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि एयर-इन्डिया इन्टरनेशनल को लाभ हुआ है। यदि हम एयर-इन्डिया इन्टरनेशनल की प्रगति की तुलना एयर लाइन्स कारपोरेशन से करें तो उनमें काफी अन्तर है? उसी वर्ष में एयरलाइन्स कारपोरेशन को ९८.९६ लाख रुपये का घाटा हुआ है। इसके लिये हमें जो कारण बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

(१) असैनिक उड्डयन के कर्मचारियों के पदों और सेवा की शर्तों का संशोधन किया जाना;

(२) विस्तार कार्यक्रम के एक प्रमुख अंग के नाते कारपोरेशन की गतिविधियों का अनिवार्यत: विस्तार किया जाना।

जहां तक विस्तार का सम्बन्ध है मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूँ कि विस्तार तो एयर-इन्डिया इन्टरनेशनल का भी किया गया है और मुझे ज्ञात हुआ है कि उसके कर्मचारियों के पदों और सेवा की शर्तों को भी संशोधित किया गया है। यदि ऐसा है, तो एयर-लाइन्स कारपोरेशन को घाटा कैसे हुआ यह मेरी समझ में नहीं आता है। माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि एयर-इंडिया इंन्टरनेशनल पर यातायात में वृद्धि हुई है और अगर यही एकमात्र कारण है तो हमें यह बात इन्हीं शब्दों में बताई जाये ताकि मुझे और अन्य माननीय सदस्यों को इस पहलू के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके।

असैनिक उड्डयन को मार्ग प्रदर्शन करने वाले आधारभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत होने चाहिये कार्यकुशलता और अच्छी सेवा। कार्यकुशलता के प्रयोजन के लिये एक से अधिक बातों के किये जाने की आवश्यकता है। प्रथम तो कर्मचारियों को समुचित वेतन मिलना चाहिये; दूसरे परिवहन के लिये जो विमान काम में लाये जाते हैं वह अच्छी किस्म के होने चाहिये।

कर्मचारियों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि पदों के वैज्ञानिकन के बावजूद और उनकी उपलब्धियों में की गई वृद्धि के बावजूद कर्मचारियों में काफी असंतोष है। इसके सम्बन्ध मैं एक-दो उदाहरण देता हूँ। आसाम में हवाई अड्डे पर काम करने के लिये जिन व्यक्तियों को भेजा जाता है उन्हें वहां क्वार्टर नहीं दिये जाते हैं। उन्हें निवास स्थानका प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता है। यह तो भलीभांति विदित है कि हवाई अड्डे शहर से काफ़ी दूर होते हैं और इस कारण कर्मचारी कार्य स्थान से बहुत दूर रहते हैं। इसलिये जब तक कर्मचारियों के रहने का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है तब तक उनसे कार्यदक्षता की आशा नहीं की जा सकती है। यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता है कि कर्मचारी सदा लोभी होते हैं और उन्हें संतोष

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

ही नहीं होता है। जब तक उनकी न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी नहीं की जायेंगी तब तक वह कार्यदक्ष नहीं होंगे। इसलिये उनके निवास स्थान का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। यही नहीं बल्कि हवाई अड्डे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे शहरों से अलग रहते हैं और इसलिये उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और संचार की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। मैं अधिक विस्तार के साथ नहीं कहूँगा किन्तु मैं यही बताना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में काफ़ी कुछ किया जाना है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्रालय इस ओर अधिक ध्यान देगा। उसे इस पहलू की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये और कर्मचारियों की जो वैध शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के लिये अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरे परिवहन की दक्षता यात्रियों को प्रदत्त सुख सुविधा पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिये, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने एक विशेष बनावट के विमान खरीदे थे। इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा हेरोन किस्म के आठ विमान खरीदे गये थे और मुझ से पूर्व जिस महिला सदस्या ने इस बात का उल्लेख किया था उन्होंने बताया कि उक्त प्रकार के विमानों में यात्रियों के बैठने के लिये स्थान बहुत ही सीमित होता है और यात्रियों की सुख-सुविधा की दृष्टि से वह उपयुक्त नहीं हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे विमान खरीदने में जो गलती हुई है वह मंत्रालय को भी ज्ञात हो चुकी है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि एक विशिष्ट हेरोन विमान के किसी हिस्से में दरार पड़ गई थी और यदि विमान चालक का ध्यान उस दरार की ओर न गया होता तो वह टूट जाता और विमान चालक को चोट आती या उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस सम्बन्ध में कोई जांच की जा रही है। यदि यह सही है, तो हमें इस मामले के और जांच के बारे में बताया जाना चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यह विमान यात्रियों के लिये उपयुक्त नहीं थे और उनकी खरीद के लिये लन्दन की फर्म से जिस अधिकारी ने संविदा किया था उसे दंड दिया जाये। मैं वह कारण भी जानना चाहता हूँ जिनसे मंत्रालय उक्त विमानों को खरीदने पर बाध्य हुआ है।

असैनिक उड्डयन विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य यात्रियों की सुरक्षा का उपबन्ध करना है। इसके बाद उनकी सुख सुविधा और उन्हें दी जानेवाली सेवा की बातें आती हैं। इन बातों को देखते हुए जो विमान खरीदे गये हैं वह यात्रियों के लिये उपयुक्त नहीं हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इन विमानों के बदले में अन्य विमान प्राप्त करने के लिये मंत्रालय उक्त फर्म से पत्र व्यवहार आदि कर रहा है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त फर्म उन विमानों को उनके आधे मूल्य पर लेने के लिये तैयार है। यदि यह सच है तो जो अधिकारी इन विमानों की खरीद के लिये उत्तरदायी हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिये।

अब मैं डाक और तार विभाग की गतिविधियों को लेता हूँ। कुछ क्षेत्रों में डाक व तार सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार का जहां तक सम्बन्ध है इस विभाग ने कुछ प्रगति की है। किन्तु वह प्रगति पर्याप्त नहीं है। इस विभाग की अकर्मण्यता वृद्धि पर है। इसी सदन में डाक और तार विभाग की दक्षता के लिये मंत्रालय को बधाइयां दी गई हैं किन्तु मेरा निवेदन है उसकी दक्षता का पतन अकर्मण्यता में हो रहा है। इसका कारण एक यह हो सकता है कि कदाचित उस विभाग के अधिकारी और मंत्री भी यह सोचते हों कि जो कुछ प्रगति हुई है वह पर्याप्त है और अब कुछ करने को बाकी नहीं है। किन्तु तथ्य यही है कि अदक्षता बढ़ती जा रही है। इसके लिये कर्मचारियों को दोष देना व्यर्थ है। सरकार को चाहिये कि सम्पूर्ण देश के ग्रामों में डाक व तार विभाग की सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये वह आवश्यक कार्यवाही करे। मैं जानता हूँ कि सरकार का लक्ष्य वही है किन्तु उसे हम कब तक प्राप्त करेंगे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी प्रत्येक ग्राम के लिये एक डाक घर का उपबन्ध किये जाने की कोई योजना नहीं की गई है।

†**श्री जगजीवन राम** : प्रत्येक ग्राम में एक डाकघर होना आवश्यक नहीं है ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : इसका अर्थ है ५,५०,००० डाकघर ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : इस बात पर माननीय मंत्री और मुझ में मतभेद है । मेरा ख्याल है कि प्रत्येक ग्राम में एक डाकघर होना आवश्यक है और माननीय मंत्री के अनुसार वह आवश्यक नहीं है ।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उन्होंने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : किन्तु मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि प्रत्येक ग्राम के लिये एक डाकघर खोले जाने के प्रस्ताव पर वह कम से कम अगली पंचवर्षीय योजना में विचार करें ।

मैं कहना चाहता हूँ कि उच्च पदाधिकारियों में शक्ति के संकेन्द्रण के कारण विभाग की अदक्षता बढ़ गई है । डाक और तार विभाग में शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों का विभाजन विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के बीच समुचित ढंग से नहीं हो रहा है । इस बात की ओर ध्यान दिये जाने की नितांत आवश्यकता है ।

अदक्षता का दूसरा कारण यह है कि कर्मचारियों में अत्यन्त ही असन्तोष है । पहली शिकायत यह है कि यद्यपि यह एक ऐसा उद्योग है जो राज्य के प्रशासन के अन्तर्गत हैं और सरकारी क्षेत्र में है तथापि इसके बावजूद कर्मचारियों को प्रबन्ध के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध नहीं किया गया है । सभी राष्ट्रीयकृत बातों में यह समस्या उत्पन्न होती है । किन्तु डाक और तार विभाग सरकार के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और यहां हम कर्मचारियों को प्रबन्ध से सम्बद्ध क्यों न करें ? इस बात पर पिछले वर्षों में कई बार आग्रह किया जा चुका है और अब इस पर पूर्ण गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिये क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी समाज की नई नीति की घोषणा की है । अन्यथा समाजवादी समाज का उनका ढांचा या समाजवाद निरर्थक होगा । इस दृष्टिकोण से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कर्मचारियों को प्रबन्ध में अधिक भाग और दायित्व दें ।

मेरे पास इस समय डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की मांगों की सूची नहीं है । उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मांग दूसरे वेतन आयोग के गठन से सम्बन्ध रखती है । मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री मुझ से सहमत नहीं होंगे किन्तु मेरा निवेदन है कि जिस समय पहला वेतन आयोग नियुक्त किया गया था तब देश की स्थिति आज से भिन्न थी । इसलिये मेरा उनसे स्पष्ट अनुरोध है कि वह वेतन आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करें ।

दूसरे, हमें यह बताया गया है कि एक अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किया गया है जिसमें एक ही सदस्य है । मुझे ज्ञात हुआ है कि वह सदस्य डाक और तार विभाग का एक सेवानिवृत्त अधिकारी है और इसलिये मेरा खयाल है कि कर्मचारियों के मामलों में उसके द्वारा की गई जांच अथवा परीक्षण से कोई परिणाम नहीं निकलेगा । उक्त अधिकारी अपने विचारों में संकीर्ण होगा और चूंकि वह कोई न्यायिक कर्मचारी नहीं रहा है इसलिये वह इस काम को सही ढंग से नहीं कर सकता है ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं । अपीलीय न्यायाधिकरण के लिये किस व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी यह अभी घोषित नहीं किया गया है इसलिये माननीय सदस्य ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वह यदि वंचनात्मक नहीं तो काल्पनिक अवश्य हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : माननीय मंत्री मुझे प्राप्त गलत जानकारी को उचित तरीके से सुधार सकते थे। उसमें वंचनात्मक कुछ भी नहीं है। उनका कथन है कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है और यदि यह सही है तो मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम** : अभी तक किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : यदि अब तक किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वह किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नहीं वरन न्यायिक अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करें। मैं उनसे यह अनुरोध भी करता हूं कि उस न्यायाधिकरण में एक के बजाय तीन व्यक्ति हों ताकि निष्पक्षता और सही न्याय की संभावनायें अधिक हों।

शिकायतें और भी हैं किन्तु समयाभाव के कारण मैं एक या दो के बारे में ही कहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के नागरिक अधिकारों में बहुत कटौती की गई है। उदाहरण के लिये, असैनिक सेवा संहिता नियमों में कहा गया है कि वह अन्य कार्मिक संघों से अथवा श्रमजीवी वर्ग संगठनों से सम्पर्क नहीं रख सकते हैं। जब कभी किसी कार्मिक संघ का अध्यक्ष या सचिव कार्मिक संघ की गतिविधियों में कुछ अधिक रुचि लेता है तो उसका किसी अन्य स्थान को तबादला अवश्य कर दिया जाता है।

मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री यह देखें कि कर्मचारियों को कार्मिक संघ के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों और उनके नागरिक अधिकार किसी भी कारण कम न हों। असैनिक सेवा आचरण संहिता नियमों का प्रजातंत्रीकरण होना चाहिये। मैं यह सभी बातों की व्याख्या नहीं कर सकता हूं किन्तु मैं यही कहूँगा कि इन नियमों के दुरुपयोग के बारे में लोगों को काफी शिकायतें हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उन नियमों में संशोधन करें और कर्मचारियों के अधिकारों और दायित्वों की सुरक्षा के लिये समुचित परित्राणों का उपबन्ध करें।

† **श्रीमती इलापाल चौधरी** (नवद्वीप) : इस आधुनिक संसार में संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके अभाव में प्रशासन, प्रतिरक्षा, और स्वयं नागरिक जीवन असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संचार मंत्रालय ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है उसके लिये मैं उसे बधाइयां देती हूं।

हमने यह सब कुछ प्राप्त कर लिया है किन्तु हमने शेष संसार के साथ असैनिक उड्डयन के माध्यम से जो सम्पर्क स्थापित कर लिया है वह खतरे से सर्वथा खाली नहीं है। एक वर्ष में २४ दुर्घटनायें कम नहीं होती हैं। सुरक्षा के लिये इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार इन विमानों की मरम्मत स्वयं करती है अथवा उसका कुछ भाग गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा भी किया जाता है ? इस सम्बन्ध में मरम्मत करनेवाले यंत्रज्ञों के प्रशिक्षण का उपबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो।

एयर लाइन्स के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। एयरलाइन्स कारपोरेशन में व्योम बालाओं का वेतन ३२० रुपये से घटाकर २२४ रुपये प्रति मास कर दिया है और उसमें भत्ते आदि सभी कुछ शामिल हैं। मुझे इसके लिये कोई कारण दिखाई नहीं देता है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रश्न की जांच करें। न केवल उनके वेतन में कमी की गई है वरन उनको चौथी श्रेणी से दसवीं श्रेणी में रख दिया गया है। इस बात का प्रभाव उक्त व्योम बालाओं के गार्हथ्य जीवन पर पड़ेगा क्योंकि उनमें से अधिकांश आर्थिक परिस्थिति के काण ही नौकरी करती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन से मुझे ज्ञात हुआ है कि निवासस्थान सम्बन्धी सुविधाओं के लिये ३२ लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है। मैं आशा करती हूं कि कुछ राशि छोटे नगरों के डाकघरों के लिये व्यय की जायेगी क्योंकि मैं देखती हूं कि उन पर कोई विचार ही नहीं किया जाता है । कुछ डाकघर तो २५ या ३० वर्ष पहले बनाये गये थे और उनमें ६ या ८ व्यक्तियों के बैठने का उपबन्ध किया गया था। अब गतिविधियों के बढ़ जाने से उनमें २५ या ३० व्यक्ति बैठते हैं। यदि माननीय मंत्री कृष्ण-नगर, नवद्वीप और शांतिपुर आदि स्थानों के डाकघरों में जाकर देखें तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि वहां स्थिति कितनी खराब है।

माननीय मंत्री का ध्यान मैं एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। रात के समय जो स्काई मास्टर विमान चलते हैं उनमें आगे की दो सीटों पर सामान रखा जाता है उसे एक नीले कम्बल से ढांक दिया जाता है। विमान में एक तरफ तीन सीटें होती हैं और दूसरी तरफ दो। मैं यह नहीं कहती हूँ कि महिलाओं के बैठने के लिये स्थान रक्षित होने चाहिये किन्तु रात्रि को यात्रा करनेवाले विमानों में सामान के कुछ हिस्से को एक तरफ रखा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि महिलायें किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ बैठने के बजाय सामान के साथ बैठना अधिक पसंद करेंगी।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करती हूं कि रेलवे डाक सेवा विभाग को रेलवे के निकट सहकार्य से काम करना चाहिये अन्यथा वह अपनी दक्षता को खो बैठेगा। मुझे ज्ञात हुआ है कि रेलवे डाक सेवा विभाग को कलकत्ते से बिहार ले जाया जा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों को समझेंगे। विशेषकर, जब कि रिक्त स्थानों के लिये विज्ञापन दिये जायें तो उन्हें यह देखना चाहिये कि उनका प्रकाशन बंगाल और बिहार के पत्रों में एक ही साथ हो ताकि बंगाल के उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का अवसर मिले।

माननीय मंत्री अपनी अपार सहानुभूति के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। वह मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि जब कोई चोरी का या संदेहास्पद चोरी का मामला ध्यान में आये तो विधिवत कार्यवाही आवश्य की जानी चाहिये किन्तु किसी व्यक्ति को मारा पीटा न जाये और न उसे बन्द ही किया जाये। मैं एक ऐसा मामला जानती हूं जिनमें एक व्यक्ति को काफी मारा-पीटा गया था और अस्पताल में यह सिद्ध हुआ कि उस व्यक्ति को कई चोटें आईं थी। हम लोग जंगली युग में नहीं रहते हैं और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में जांच की जायेगी। यह घटना एरणाकुलम् में हुई थी और उस व्यक्ति पर ताम्बे के तार चुराने का आरोप था।

प्रादेशिक सेना में भर्ती की ओर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कलकत्ता के डाक और तार विभाग की कोई २५० महिलाओं ने प्रादेशिक सेना से स्तीफा दे दिया है। जिस समय उनको भर्ती किया गया था उस समय यह कभी नहीं बताया गया था कि उनको एक महीने के लिये कैम्प पर जाना पड़ेगा, और बंगाल की सामाजिक स्थिति के कारण अब उनको कैम्प पर जाने में बड़ी असुविधा प्रतीत होती है। आजकल किसी लड़की के लिये एक महीने के कैम्प पर जाने में बड़ी कठिनाई होती है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उनको विषम सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और कई मामलों में लड़कियों को वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह प्रादेशिक सेना एक एच्छिक निकाय है और आप उसमें उन व्यक्तियों को नहीं रख सकते हैं जो उसमें कार्य नहीं करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भरती किये गये लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार पद न दिये गये तो प्रादेशिक सेना के प्रति लोगों का उत्साह भी कम हो जायेगा। यह प्रादेशिक सेना आपात के समय हमारी प्रतिरक्षा-व्यवस्था की दूसरी पंक्ति का कार्य करेगी और इसलिये हमको ऐसे व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करनी है जो वास्तव में उस क्षेत्र में कुशल हों।

[श्रीमती इला पालचौधरी]

डाक तथा तार कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं यह कह सकती हूँ कि इनके विभागीय नियमों का पंजीयन किया जाना चाहिये। इस समय भरती, पद वृद्धि आदि के नियम संविहित नहीं है; संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अनुसार इनको विधान के रूप में पारित किया जाना चाहिये।

दूसरे, आकस्मिक छुट्टी की मंजूरी डाक और तार कर्मचारियों के लिये प्रायः असंभव होती जा रही है। इस विभाग में इस समय ही आवश्यकता से कम कर्मचारी हैं। विशेषरूप से टेलीफोन कर्मचारियों को तो एक भी छुट्टी नहीं मिल पाती है। एक दिन की आकस्मिक छुट्टी के लिये भी डाक्टर का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है। एक व्यक्ति को शादी करने के लिये एक दिन की छुट्टी चाहिये थी, उसने डाक्टर को रुपये देकर प्रमाण-पत्र लिया और छुट्टी ली। पूरा विभाग इस बात को जानता है, परन्तु इसमें सुधार करने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह अत्यन्त ही अवांछनीय बात है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जिन डाक और तार कर्मचारियों को काफी दूर चलकर अपने दफ्तरों में पहुँचना पड़ता है उनके लिये किसी प्रकार की सवारी का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। पहले उनको सवारी दी जाती थी, परन्तु बाद में वह सुविधा वापस ले ली गई थी। इसका प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि प्रादेशिक सेना के कैम्प में साइकिल चलाने और घुड़सवारी की भी शिक्षा दी जानी चाहिये। ऐसी व्यवस्था किये जाने पर डाक और तार विभाग के ही अनेक रंगरूट मिल जायेंगे। सरकार को केवल पुरुषों के ही लिये नहीं, वरन् महिलाओं के लिये भी साइकिल चलाने और घुड़सवारी की शिक्षा का उपबन्ध करना चाहिये।

मैं संचार मंत्रालय को उसकी सफलताओं के लिये पुनः बधाई देती हूँ। डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कोई विशाल जनसमूह पहले किसी भी समय इतने थोड़े से लोगों के प्रति आभारी नहीं रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समान संचार मंत्रालय के लिये भी यह उतना ही सच है कि वह इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है :

बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय।

†**श्री फेशव अय्यंगार** (बंगलौर–उत्तर) : मैं सामने की ओर बैठे मित्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का विरोध और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत की गयी मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मंत्रालय ने जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उसके लिये मैं उसकी हार्दिक प्रशंसा करता हूँ।

एक चीज़ जिसने मुझे विशेष रूप से आकृष्ट किया है और जिसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ वह यह है कि मंत्रालय ने इस उपयोगी सेवा को देश के सूदूर-स्थिति कोने-कोने में पहुँचाने का प्रयास इस बात के बावजूद भी किया है, कि अत्यन्त पिछड़े हुए गांवों में उसको एक-एक हजार रुपये प्रतिवर्ष तक के घाटे का सामना करना पड़ा है। मेरे पास इन ग्रामीणों के पास से दसियों ऐसे पत्र आये हैं जिनमें इस छोटी सी सेवा की हार्दिक प्रशंसा की गई है। हमारे देशवासी अच्छे, निष्ठावान और ईमानदार हैं और यदि हम केवल सही रास्ते पर रहेंगे तो वह हृदय से हमारी प्रशंसा करेंगे।

इस प्रयास को निरन्तर बढ़ाते जाना चाहिये और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जानी चाहिये। हमारे पचासी प्रतिशत देशवासी गांवों में रहते हैं और हम उनके गांवों तक रेलगाड़ियां तो ले नहीं जा सकते हैं इसलिये, यही एक ऐसी सेवा है जिसको हम उनके दरवाज़े तक ले जा सकते हैं, यदि सभी गांवों में नहीं तो भी दस में से एक गांव में तो निश्चय ही ले जा सकते हैं। मुझे इस बात से प्रसन्नता

†मूल अंग्रेजी में

है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद लगभग ३० हजार ग्रामीण डाकखाने खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि हमारे देश के कुछ नगरों में विभाग के जो चलते-फिरते डाक घर हैं वह बहुत ही उपयोगी सेवा कर रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो यह समझते हैं कि इन चलते फिरते डाकघरों को गांवों की व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाना चाहिये; वह बड़ी आसानी से विभिन्न गांवों में स्थित डाकघरों में परस्पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और मार्ग में पड़ने वाले गांवों की भी सेवा कर सकते हैं। मंत्री महोदय से यह मेरी अपील है कि कम से कम प्रयोगात्मक रूप से वह इस योजना को आरम्भ करें। मैं समझता हूँ कि जैसे ही यह डाक घर गांवों में ले जाये जायेंगे, इन से गांववालों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं समझता हूँ कि डाक घर संचार साधनों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त छोटी बचत योजनाओं के रूप में भी देश की बड़ी सहायता करते हैं, समाचारों से हमें ज्ञात हो ही चुका है कि इस प्रकार १४ करोड़ रुपया एकत्र किया गया है, और यदि हम अंशदान के लिये अधिक सुविधाओं का उपबन्ध कर सकें तो इस राशि में और भी अधिक वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार गांवों में संचार साधनों की यह सेवा गांववालों के लिये अतीव सहायक सिद्ध होगी ।

पिछले वर्ष मुझे डेनमार्क जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां के गांवों में मैंने देखा कि प्राय: प्रत्येक फार्म में एक टेलीफोन था। हम अपने यहां इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते ? इस मामले पर विभाग द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

आजकल हम पुलिस-दलों को मौखिक संदेश भेजने के लिये जिन यंत्रों का प्रयोग करते देखते हैं उनके द्वारा गांवों में तार भेजने की व्यवस्था भी की जा सकती है। यदि मंत्रालय इसका प्रबन्ध कर सके तो यह एक महान् कार्य होगा ।

तारों से सम्बधिन्त मामलों पर विचार करते समय हमारा ध्यान बरबस मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गयी नयी नयी प्रादेशिक भाषाओं के लिये हिन्दी लिपि को लागू किये जाने, की ओर आकृष्ट हो जाता है। निस्सन्देह मैं इस कार्य की प्रशंसा करता हूं, परन्तु मेरा यह भी सुझाव है कि हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों के शुल्क में कमी करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। इससे लोगों को हिन्दी लिपि का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं पिछले वर्ष हिन्दी लिपि में भेजे गये तारों की संख्या में लगभग ३५०० की वृद्धि होने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यह छोटी सी रियायत करने से सरकार को कोई विशेष घाटा नहीं होगा। साथ ही दर के कम किये जाने के फलस्वरूप हिन्दी में भेजे जाने वाले तारों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जायेगी कि उससे होने वाला लाभ इस हानि से कहीं अधिक होगा।

मैं मंत्रालय के हिन्दी संचार कार्यालय की स्थापना करने के प्रयास की हार्दिक प्रशंसा करता हूं। यह बड़ी ही अद्भुद वस्तु है ।

प्रतिवेदन में एक विशेष बात और है। इस विभाग के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा सिखाने के लिये रात्रि कक्षायें चलायी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि हमको कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये कुछ अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये । एक अवधि निर्धारित कर दी जानी चाहिये जिसके बाद परीक्षा ली जाय। यदि कोई कर्मचारी उस निर्धारित अवधि के भीतर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाये तो इसके लिये विशेष पुरुस्कार स्वरूप उसकी कुछ पदवृद्धि की जानी चाहिये। हम हिन्दी भाषी क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों के लिये अन्य प्रादेशिक भाषाओं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की शर्त भी निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार हिन्दी भाषा के प्रसार को विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

[श्री केशव अय्यंगार]

लगभग एक वर्ष, या उससे भी कुछ समय पूर्व मैंने कुछ रियायतों का उल्लेख किया था। संसद् सदस्यों के लिये, जो विमान द्वारा यात्रा करना चाहें, विशेष रूप से हममें से उनको जो २,५०० मील से अधिक दूरस्थ स्थानों से आते हैं, सरकार को विशेष घाटा पहुंचाये बिना इस सुविधा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। हम अपने पास और विमान के वास्तविक किराये का अन्तर चुका सकते हैं, उसी प्रकार जैसा कि भाड़ा अन्तर चुकाने के बाद हम रेल के शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों में यात्रा करते हैं। मैंने निगम के सभापति से बात की थी और उनका कहना है कि वह बिना किसी कठिनाई के यह व्यवस्था कर सकते हैं।

विभिन्न प्रकारों के सत्रह विमानों को प्राप्त करने के लिये मैं मंत्रालय को हार्दिक बधाइयां देता हूं। हमारे पदाधिकारियों द्वारा विदेशों में जो सेवा की जाती है उसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। कर्मचारियों द्वारा मुझे बताया गया है कि वहां महिला कर्मचारियों को वर्ष में एक बार भारत आने की रियायत नहीं दी जाती है। जहां तक हमारे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमको इस प्रकार विभिन्न लोगों के प्रति व्यवहार में भेदभाव नहीं करना चाहिये।

मुझे कर्मचारियों के संघ के सम्बन्ध में भी एक बात और कहनी है। यह कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध एक संघ है परन्तु उस पर जो नियम लागू किये जाते हैं वह नागरिक सेवा नियम हैं। संभव है कि हम लोगों के लिये इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने के हेतु किसी व्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक हो जाये। मेरा सुझाव है कि उनको उचित संस्थिति प्रदान की जाये और जहां तक कर्मचारियों की असुविधाओं का प्रश्न है, हम बराबर के भागीदारों के समान आमने-सामने बैठकर वार्त्ता कर सकते हैं।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह आपका संचार मंत्रालय बहुत ही उपयोगी विभाग है और अगर यह डिपार्टमेंट् (विभाग) न होता तो देश में अंधकार पैदा हो जाता। इस डिपार्टमेंट के जरिये तीन पैसे के अन्दर देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आदमी अपने समाचार को पहुंचा सकता है। आजकल यह डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया में तीसरे नम्बर का है। पहला रेलवे का विभाग है, दूसरा फौज का अर्थात् प्रतिरक्षा मंत्रालय और तीसरे नम्बर पर यह पोस्ट एंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट (डाक और तार विभाग) आता है जिसमें करीब ८५ करोड़ रुपये खर्च होते हैं और करीब २ लाख ६३ हजार लोग काम करते हैं। इस महकमे का काम बहुत ही उत्तम ढंग से चलता है और इसमें बहुत कम गुंजाइश मैल प्रैक्टिस (कदाचार) या रिश्वतखोरी चलने की है। इस विभाग ने उत्तरोत्तर तरक्की की है और पिछले साल से इस साल इसने और अधिक तरक्की की है। इस विभाग द्वारा तमाम ऐसे गांवों में, जिनकी कि आबादी दो हजार तक की है पोस्ट आफिस खोले गये हैं और तमाम कस्बों और छोटे-छोटे शहरों में टेलीफोन और टेलिग्राफ आफिसेज (तार कार्यालय) खुलते जा रहे हैं। यह संचार मंत्रालय व्यापार, और लोगों की वेलफेयर (कल्याण) और हर एक दृष्टि से देश के लिये काफी उपयोगी और सहायक साबित हो रहा है और इस नाते इस महकमे की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। इस महकमे में, डाक, तार, टेलीफोन और वायुयान के जरिये डाक ले जाने का काम होता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि एयर सर्विसेज (वायु सेवाओं) से डाक ले जाई जाती है। मेल मोटर्स (डाक की मोटरें) भी जारी कर दी गई हैं। साथ ही जहां पहले देहातों में डाक पैदल ले जाई जाती थी वहां अब साइकिलों के द्वारा ले जाई जाती है। इसका मतलब यह है कि सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि डाक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दिल्ली से चली हुई चिट्ठी आगरे में एक या दो दिन में पहुंचती है जब कि मद्रास की चिट्ठी आगरे या दिल्ली में एक दिन में पहुंच जाती है। कारण यह है

कि वहां से एअर (विमान) से डाक आती है। यह बहुत सन्तोषजनक बात है कि हम लोगों को डाक बहुत सुविधा से मिलती जा रही है।

बजट के सम्बन्ध में जरूर हमारे वित्त मंत्री जी ने १ आ० टेलिग्राम (तार) में और २ आ० रजिस्ट्री में बढ़ा दिया है। पिछले साल करीब २८७९ मिलियन पोस्टल आर्टिकल्स (डाक-वस्तुयें) भेजे गये और ३३ मिलियन टेलिग्राम्स और १९ मिलियन ट्रंक काल्स की गईं। इस तरह से हम देखते हैं कि हर तरह से डाक तार टेलीफोन विभाग का काम बढ़ रहा है।

जहां तक नैशनल प्लैन सर्टिफिकेट्स (राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों) का सम्बन्ध है, जब से यह योजना जारी की गई है, करीब सवा चौदह करोड़ रुपये के पांच और दस रुपये वाले सर्टिफिकेट्स बिके हैं। लेकिन यह और भी ज्यादा हो सकते थे। जहां तक मेरा खयाल है, इसके लिये पब्लिसिटी (प्रचार) कम है और कोशिश भी कम की जा रही है।

इसी तरह से खादी की हुंडियां बेचने के सम्बन्ध में भी हम देखते हैं कि पोस्ट आफिस के जरिये जब से इस काम को करने की कोशिश की गई तब से काम बहुत कम हुआ और इसका भी कारण यही है कि इसका प्रचार बहुत कम किया गया। हमारा स्वयं का तजुर्बा है कि जब हम लोग यह हुंडियां बेचा करते थे तो लाखों और हजारों रुपये की बिक जाती थीं, लेकिन डाकखाने के जरिये तो हजारों व सैकड़ों की भी नहीं बिकीं। इसलिये इन सब चीजों के लिये काफी प्रचार करने की आवश्यकता है।

एक बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह टेलीफोन के बारे में है। जहां पर टेलिफोन्स का नम्बर (की संख्या) ज्यादा है वहां पर तो उनको आटोमैटिक (स्वचालित) कर दिया गया है, लेकिन जहां पर नम्बर ज्यादा नहीं हैं वहां पर उनको आटोमैटिक नहीं किया गया है और वह साधारण तरीके से एक्सचेंज के जरिये से ही काम करते हैं। लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट (संघ सरकार) के कायदे कैसे हैं कि कहीं तो मीटरिंग कर दी गई है और कहीं पर नहीं की गई है। आपको शायद मालूम हो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर में ही आटोमैटिक टेलिफोन्स हैं, दूसरी सब जगहों पर एक्सचेंज के जरिये ही काम होता है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मीटरिंग सिर्फ हमारे आगरे में ही की गई है जिससे वहां के व्यापारियों को बड़ी दिक्कत होती है ; इसका खास कारण यह था कि वहां के एक्सचेंज के सम्बन्ध में काफी एनएफिशिएन्सी (अकुशलता) थी और लगातार संस्थाओं और लोगों ने उसकी शिकायतें कीं। इसलिये उन लोगों को जिन्होंने कि शिकायत की थी पेनलाइज (दण्डित) करने के लिये एक्सचेंज स्टाफ व अन्य अधिकारियों ने मिनिस्टर (मंत्री महोदय) के द्वारा सिर्फ आगरा एक्सचेंज पर मीटरिंग चालू कर दी। आपको यह देख कर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में बनारस, इलाहाबाद, बरेली, हाथरस, हापुड़ आदि कहीं पर भी मीटिरिंग सिस्टम (प्रणाली) चालू नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस डिमाक्रेसी (लोकतंत्र) के जमाने में गवर्नमेंट को सबके साथ क्यों एक सा बर्ताव नहीं होना चाहिये अर्थात् सब के साथ एक ही सिद्धांत या उसूल होना चाहिये न कि एक के साथ एक किस्म का और दूसरे के साथ दूसरे किस्म का और वह भी इस इरादे से कि लोगों को पेनलाइज (दण्डित) किया जाय। जो आदमी पहले एक वर्ष में २८५ रुपये देता था उसको अब ४००, ५०० और ६०० रुपये तक देने पड़ेंगे। अगर पैसा ज्यादा वसूल करने की बात है तो सब जगह मीटरिंग सिस्टम चालू कर देना चाहिये। लेकिन यह नामुनासिब है कि सिर्फ आगरे क व्यापारियों को जिन्होंने कि शिकायत की थी, उनको ही पेनलाइज किया जाये।

एक माननीय सदस्य : मीटरिंग होनी चाहिये।

सेठ अचल सिंह : मीटरिंग बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन सब जगह होनी चाहिये।

श्री भगत दर्शन (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर-पूर्व): आगरा इस बारे में नेतृत्व कर रहा है ।

सेठ अचल सिंह : जिस वक्त मीटरिंग की गई थी उस वक्त कहा गया था कि यह सिर्फ तीन महीने के लिये एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) के लिये की जा रही है । अब तीन महीने खत्म हो गये हैं और मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी से जल्दी खत्म हो जायेगी और उस वक्त मीटरिंग की जायेगी जब कि आटोमैटिक टेलिफोन जारी हो जायें ।

इसके अलावा जो काम हो रहा है, उसके लिये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत सन्तोषजनक है । इसमें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं है और मैं इस डिमांड (मांग) का समर्थन करता हूं ।

श्री यू० एन० त्रिवेदी : डाक और तार विभाग का विषय ऐसा है जिसमें प्राय: प्रत्येक भारतीय की अभिरुचि है और श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी और श्रीमती मणिबेन पटेल ने भारत के जन साधारण की इस धारणा को ही प्रकट किया है कि डाक विभाग में सुस्ती बढ़ती जा रही है । श्रीमती मणिबेन पटेल ने जो शिकायतें की हैं उनमें से अधिकांश सही हैं और मंत्री महोदय की सूचना के लिये मैं यह बता दूं कि नयी दिल्ली में ईस्टर्न कोर्ट की फोनोग्राम-सर्विस तो बिल्कुल ही बेकार है : आप एक फोनोग्राम भेजने के लिये चालीस मिनट तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते । चालीस मिनट में तो तार अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंच जायेगा और पाने वाले के पास पहुंचा दिया जायेगा । यहां एक फोनोग्राम के भेजने के लिये आपको चालीस मिनट तक टेलीफोन पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मेरा सुझाव है कि यदि मंत्री महोदय उचित समझें तो यहां के सारे कर्मचारियों को बम्बई भेज दें और बम्बई वालों को यहां बुला लें । बम्बई में आप तीन मिनट में एक फोनोग्राम भेज सकते हैं । मद्रास में इसमें दो मिनट लगते हैं । यहीं केंद्र में, दिल्ली में इनको न जाने क्या हुआ है ?

मैं आपको बताऊं कि आपका डाक विभाग किस प्रकार कार्य करता है ? मैं इस पत्र को लोक सभा पटल पर रखना चाहता हूं । यह पूरा छपा हुआ है—उस पर हाथ से कुछ भी नहीं लिखा गया है । इस पर जयपुर का पता छपा था, और इसको लखनऊ से भेजा गया था । परन्तु यह निर्ज्ञात पत्र कार्यालय लाहौर चला गया । यह पता लगाने के लिये कि जयपुर कहां है उसको लाहौर भेजा गया । क्या यही आपकी कार्य कुशलता का परिचायक है ?

इसलिये, कार्य कुशलता की बात करने से पूर्व हमको सावधानी पूर्वक इस बात की जांच करनी होगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमने कुछ प्रगति की है अथवा नहीं ?

तीसरी शिकायत यह की गयी है कि चिट्ठियां सेन्सर की जाती हैं । मुझे दुर्भाग्यवश इसका अनुभव तो नहीं हुआ है परन्तु मैं एक बात अवश्य कह सकता हूं । मैं वकील हूं परन्तु मेरे मुवक्किलों के पत्रादि मुझे समय पर प्राप्त नहीं होते हैं । वह जानबूझ कर मेरे पास समय पर नहीं पहुंचाये जाते हैं । एक वकील होने के नाते मैं यह तो जानता हूं कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत आप किसी के पत्र रोक सकें । इसलिये मैं तो यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि पत्रों को सेंसर किया जाता है, परन्तु जब पंडित सी० एन० मालवीय जैसे आपके दल के सदस्य ही कहते हैं कि ऐसा किया जाता है तो निश्चय ही आपको इसकी जांच करनी चाहिये और पुलिस द्वारा किये जाने वाले इस संदिग्ध कार्य को रोक देना चाहिये क्योंकि इस षड्यंत्र में आप भी लिप्त हो जाते हैं ।

हमारे कुछ मित्रों ने विमान सेवाओं की आलोचना की है । मेरे बारे में श्री केशव अय्यंगार यह नही कह सकते हैं कि मैंने विमानों में यात्रा ही नहीं की है । वह सेठ अचल सिंह, पंडित जी० बी० पन्त

और माननीय मंत्री श्री राज बहादुर को ही हवाई अड्डे पर ले जायें और हेरोन विमानों में सवार कराने को कोशिश करें। जरा बैठ कर देखिये तब आपको ज्ञात होगा कि आप उसमें घुस भी सकते हैं अथवा नहीं। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री गुरुपादस्वामी सरीखे छोटे आकार वाले व्यक्ति ही विमानों से यात्रा करें। हम तो चाहते हैं कि स्थूल कार्य व्यक्ति भी यात्रा कर सकें और विमान इस प्रकार के होने चाहियें जिनमें कि वह मजे में चल फिर सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को स्पष्ट ही कुछ कठिनाई हुई है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : मेरी कठिनाई उतनी नहीं थी जितनी कि हम लोगों की सेवा करने वाली व्योम बालाओं को होती थी। प्रत्येक बार उस बेचारी को मुश्किल से दबते पिचते निकलना पड़ता था। चालक को अपना कार्य करना पड़ता है, कोई सहायक चालक नहीं होता है। बेचारे रेडियो-अफसर के बैठने के लिये जगह नहीं होती है, उसको खड़ा रहना पड़ता है। ईश्वर जाने इन हेरोन विमानों को किसने खरीदा है। इनको खरीदने की बात शुरु करने वाले पदाधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

हाल ही में, इस महीने की ५ तारीख को चालक की सावधानी से एक भीषण दुर्घटना होते होते बची अन्यथा आपकी सरकार को मुंह पर कालिख पुत जाती। जब आप इन विमानों में प्रवेश करते हैं तब दिल धड़कता रहता है। इनके लिये दिये गये १० या २० हजार रुपयों से मनुष्य के जीवन का मूल्य कहीं अधिक है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन हेरोन विमानों को जितने शीघ्र रद्दी किया जाय उतना ही अच्छा है।

मुझे यह भी कहना पड़ता कि विमान द्वारा ले जायी जाने वाली डाक सर्विस की भी जांच की जानी चाहिये। आप यहां से जोधपुर तक तो डाक विमान में ले जाते हैं, परन्तु वहां—हवाई अड्डे—से उसको ले जाने के लिये आपके पास क्या सवारी है—कोई नहीं। इसको सिर पर ढोकर ले जाया जाता है। तीन मील तक डाक को ले जाने के लिये भी कोई मोटर गाड़ी नहीं है।

†**श्री राज बहादुर** : मेरे मित्र को बहुत ही गलत सूचना मिली है।

†**श्री यू० एन० त्रिवेदी** : मैं आपको बता दूं मुझे इतनी ही सूचना मिली है कि आपने मेरी शिकायत पाने के बाद मोटर गाड़ी का उपयोग किये जाने का आदेश दिया है। यह अभी तैयार नहीं हैं और अभी दी नहीं गयी है।

†**श्री राज बहादुर** : मैं अपने मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि डाक को कभी सिर पर उठा कर नहीं ले जाया जाता था। उसे साइकिल पर लाद कर ले जाया जाता था और डाक का औसत भार केवल एक या डेढ़ मन होता है। हवाई अड्डे और नगर के बीच तीन मील का फासला है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : एक और महत्वपूर्ण विषय जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं भर्ती का प्रश्न है। बहुत से माननीय सदस्य इसके बारे में कह चुके हैं। लगभग १२ मास पूर्व राजस्थान सर्किल में ५७० क्लर्कों की भरती की गई थी। सबसे अधिक उम्मेदवार दिल्ली, जयपुर, पंजाब आदि के लिये गये थे। मेरे जिले चित्तोड़ से या मंदसौर या रतलाम से एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया था। क्या वहां रहने वाले सब मूर्ख हैं और क्या सब निपुण लोग उत्तर में ही रहते हैं। इस शिकायत की जांच की जानी चाहिये। मंत्री महोदय को, जो मेरे राज्य के हैं राजस्थान और मध्य भारत राज्यों की जनता के साथ न्याय करना चाहिये और भरती राजनैतिक प्रभावों से प्रभावित होकर नहीं बल्कि गुणावगुणों के आधार पर की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि संभवतः यह भर्ती गुणावगुण के आधार पर नहीं की गई थी, किन्तु वह यह दावा नहीं कर सकते कि इन जिलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** मैं ऐसा दावा तो बिल्कुल नहीं करता हूं, किन्तु मैं कहता हूं कि इन जिलों के सभी लोग मूर्ख नहीं हैं ।

'अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो' योजना के बारे में, मैं मंत्री महोदय को लिख चुका हूं। मुझे बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गत तीन वर्ष से लोगों ने २,५०० रुपये जमा करवा रखे हैं किन्तु उन्हें टेलीफोन नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में अहमदाबाद और बम्बई सर्किल में लोगों को बहुत शिकायतें हैं । इस बात की जांच की जानी चाहिये ।

हमारे जिले में एक और शिकायत यह है कि डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। रसीदें कागज के टुकड़ों पर दी जाती हैं। फार्म नहीं मिलते हैं। डेगाना के डाक और तार घर के बारे में मैंने श्री जगजीवन राम से यह शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद कुछ फार्म मिलने लगे थे किन्तु ६ मास बाद जब मैं वहां फिर गया, तो वही स्थिति देखी। मेरा निवेदन है कि केवल दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के लोगों की ही सुविधा को नहीं देखना चाहिये, निर्धन लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

इंगलैंड में यह व्यवस्था है कि चाहे डाक गाड़ी किसी स्टेशन पर रुके या न रुके रेलवे डाक सेवा का डिब्बा लाइन के सभी स्टेशनों से डाक लेता है और फैंक भी देता है। यहां भी यह व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ? फ्रन्टियर मेल हमारे क्षेत्र में से होकर गुजरती है किन्तु बीच के स्टेशनों पर से न तो डाक ली जाती है और न फैंकी जाती है। इन स्टेशनों के लिये हवाई डाक की व्यवस्था भी नहीं है, जैसा कि इलाहाबाद, बनारस, बम्बई, नागपुर आदि में है। इंगलैंड के तरीके को अपनाने का समय अब आ गया है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तार घर खोलने में बहुत विलम्ब किया जा रहा है। मुझे एक पत्र में बताया गया था कि अक्तूबर, १९५३ में बेगुन में एक तार घर खोल दिया जायेगा किन्तु यह अभी तक नहीं खुला है। मेरी मांग यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक तहसील और उपविभाग में तारघर खोले जायें।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नगिरि—दक्षिण) : संचार मंत्रालय ने पिछले वर्ष बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिये यह बधाई का पात्र है । डाकघरों और कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यह गर्व की बात है कि संचार मंत्रालय की प्रगति पंचवर्षीय योजना के अनुरूप रही है। मंत्रालय को इस बात के लिये भी बधाई दी जानी चाहिये कि इसने देवनागरी लिपि को जारी किया है और उसे प्रोत्साहन दिया है। देवनागरी लिपि में लिखे हुये तार ग्रामों को सब लोग पढ़ सकते हैं ।

मेरे जिले के सब डाक कर्मचारियों को पानी भत्ता दिया गया है, केवल रत्नगिरि के पोस्ट मास्टर को यह भत्ता नहीं दिया गया है। मेरे विचार में यह विभेद दूर किया जाना चाहिये ।

डाक विभाग एक वाणिज्यिक विभाग है। हमें बताया गया है कि इस वर्ष ६५ लाख रुपये का लाभ होगा । संभव है कि वर्ष के अन्त में यह लाभ २ या ३ करोड़ रुपये हो जाये। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हमें केवल लाभ पर ही दृष्टि नहीं रखनी चाहिये, लोगों की आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना चाहिये । मैं पंडित सी० एन० मालवीय से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रत्येक ग्राम में एक डाकघर होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभाग की कार्यवाहियों को बताने वाली पुस्तिका के पृष्ठ १६ पर बम्बई और कच्छ के मील क्षेत्रों को ३१–३–१९५५ से पहले पिछड़े हुये क्षेत्र माना गया था। अब १९५५-५६ में एक नये क्षेत्र उत्तर कनारा जिले, को भी पिछड़े हुये क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। मुझे खेद है कि न श्रीराज बहादुर ने और न श्री जगजीवन राम ने मेरे जिले का दौरा किया है। यदि वे इस जिले में गये होते, तो उन्हें मानना पड़ता कि जहां तक संचार साधनों का सम्बन्ध है यह जिला अत्यधिक पिछड़े हुये जिलों में से है। बम्बई से भेजा हुआ पत्र इसके पहाड़ी क्षेत्र से ग्रामों में ८ या १० दिन के बाद पहुंचता है। मेरे जिले में १,६०० ग्राम हैं और साथ वाले कोलाबा जिले में लगभग ९०० ग्राम हैं। इन २,५०० ग्रामों के लिये केवल ३०० डाकिये हैं। क्या ३०० व्यक्ति इतना काम कर सकते हैं? मेरे जिले के डाक अधिकारी स्वयं मानते हैं कि यह संख्या बहुत अपर्याप्त है। किन्तु यह व्यवस्था पिछले ५० या ७५ वर्षों से चली आ रही है और इसे सुधारने के लिये कुछ नहीं किया गया है।

हमें बताया गया है कि डाक और तार विभाग के लिये प्रादेशिक समितियां हैं। किन्तु हमें यह मालूम नहीं कि इनके सदस्य कौन हैं। पूछ-ताछ करने से मुझे मालूम हुआ है कि बम्बई के एक व्यक्ति को, जिसका मेरे प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है कोंकण जिला का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यदि डाक समितियों को अपना काम अच्छी तरह करना है, तो उस व्यक्ति को जिले का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना चाहिये, जो उस जिले की स्थिति को जानता हो, मैं यह केवल अपने जिले के बारे में नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी क्षेत्रों में बारे में कह रहा हूं।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं डाकियों के मामले का उल्लेख करना चाहता हूं। बहुत से मैट्रिक पास उम्मेदवार डाक के चपरासी या डाकिये बन जाते हैं। दो तीन साल की अच्छी सेवा के बाद भी इन्हें क्लर्क नहीं बनाया जाता है और क्लर्कों की नई भर्ती कर ली जाती है। मेरे विचार में इस स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

ऋतु विज्ञान विभाग आंधियों आदि के बारे में संदेश भेजता है, किन्तु लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है। लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिये ये संदेश उचित रूप से घोषित और प्रकाशित किये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के कार्यों में समन्वय होना चाहिये। मैंने कई बार देखा है कि सीमा-शुल्क चौकियों में प्राप्त होने वाले खराब मौसम के संदेश उचित रूप से घोषित नहीं किये जाते हैं, इससे पत्तनों पर यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। सीमा-शुल्क विभाग को खराब मौसम की घोषणायें अविलम्ब करनी चाहिये।

मेरे जिले में डाक ले जाने की एक बहुत अच्छी प्रणाली थी, जिसे 'मेल गार्ड' योजना कहा जाता था। इसके अन्तर्गत प्रत्येक पत्तन पर, डाक तटीय जहाजों द्वारा लाई और ले जाई जाती थी और डाक की रक्षा के लिये प्रत्येक जहाज पर दो मेल गार्ड (डाक चौकीदार) होते थे। न जाने क्यों सरकार ने इस प्रणाली योजना को बन्द कर दिया है। यह लोगों के लिये बहुत सुविधा जनक थी। अब परिणाम यह हुआ है कि उस डाक ले जाने वाली जहाजी कम्पनी के पास जिसका सरकार के साथ ४,००० रुपये का ठेका था, अब ६,००० रुपये प्रति मास का ठेका है। इससे सरकार को २,००० रुपये प्रति मास की हानि हो रही है। नया ठेका क्यों और किसने किया, यह मैं नहीं जानता, किन्तु यह एक बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि लोगों को असुविधा हो रही है और सरकार को हानि। इस बात की जांच किये जाने की आवश्यकता है कि यह ठेका क्यों दिया गया, इसके लिये कौन उत्तरदायी है और पुरानी व्यवस्था को क्यों समाप्त किया गया है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि संचार साधनों को यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिये। किसी विशिष्ट नियम पर जैसे कि २,००० या १,००० की जनसंख्या वाले ग्राम के लिये

[श्री एम० डी० जोशी]

ही एक डाक घर होना चाहिये, दृढ़ रहने की बजाय, हमें ग्रामों की आवश्यकताओं, स्थिति, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री बी० डी० पांडे (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र चाहे यहां कुछ भी कहें कितनी ही हवाई बातें कहें लेकिन मुझे यह कहना पड़ता है कि डाकखाने का जो महत्व है वह सब से ज्यादा बढ़ कर है और यह विभाग बहुत उपकार का है, हमेशा रहा और हमेशा रहेगा । हमारे त्रिवेदी जी ने केवल तीन वेद पढ़े हैं, चौथा वेद लोक व्यवहार का उन्होंने नहीं पढ़ा । यहां वे इस समय हैं नहीं । लोगों के सोचने में भेद होता है । अगर वे चाहते हैं कि भारत लन्दन जैसा हो जाय, सात वर्ष में ही लन्दन, वाशिंगटन या पेरिस के बराबर हो जाय तो मुझे यह कुछ अनुचित सा मालूम पड़ता है । रफ्ता रफ्ता हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है सब महकमों में, खास कर डाकखानों में तो बहुत ही अच्छा हो रहा है । एक मित्र कहते हैं कि गांव गांव में डाकखाना खुले, हां खुले, मैं भी चाहता हूं कि खुले । जब विद्या का प्रचार होगा, जब देश का विकास हो जायेगा, जब सब जगह विद्या का प्रकाश हो जायेगा तो सब जगह डाकखाने भी खुलेंगे । लेकिन अगर हम आज सब जगहों पर डाकखाने खोलने लगें तो इस पर कितन रुपया खर्च होगा और लोग उससे कितना लाभ उठायेंगे ? मैं तो कहना चाहता हूं कि अनुत्पादक डाकखाने नहीं खुलने चाहियें । हालांकि डाकखानों की सबसे ज्यादा जरूरत हिमालय में है, मैं जानता हूं कि मेरे प्रदेश में डाकखानों की कितनी जरूरत है क्योंकि वह एक बार्डर (सीमा) पर है । वहां पर तिब्बत का बार्डर है और हमारे ऊपर बड़ा खतरा है, वहां अधिक डाकखाने होने चाहियें, एअरोप्लेन (विमान) भी अधिक जाने चाहिये, टेलिफोन्स का भी बहुत ज्यादा प्रबन्ध होना चाहिये । सब प्रकार की सुविधायें होनी चाहियें क्योंकि वह एक कमजोर इलाका है जहां से किसी भी समय हमारे ऊपर चीनी दुश्मन आ सकता है, ईश्वर न करे कि वह आये, कम से कम मेरे जीवन में तो नहीं आता, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ पड़े.....

श्री जगजीवन राम : आशा कीजिये कि कभी नहीं आयेगा ।

श्री बी० डी० पांडे : मैं भी चाहता हूं कि न आये । लेकिन वहां पर एक जगह कमजोर है जिसका नाम लिपूलेक है । वहां पर एअरोप्लेन का अड्डा जरूर होना चाहिये, वायरलेस (बेतार) तो खैर है, लेकिन टेलिग्राफ का होना बहुत जरूरी है । उस जगह से अगर कोई शत्रु आना चाहे तो उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी । इसलिये उस अड्डे को मजबूत होना चाहिये । कल मुझे मौका नहीं मिला नहीं तो मैं डिफेन्स डिपार्टमेंट (प्रतिरक्षा विभाग) से भी कहता, अब मैं एक्सटर्नल ऐफेअर्स (वैदेशिक कार्य) के वाद-विवाद के दिन वहां की बातें कहूंगा ।

डाकिया को देख कर सभी स्त्री पुरुष और बच्चे प्रसन्न होते हैं, तार वाले को देखकर कभी कभी जरूर घबरा जाते हैं, लेकिन डाकिया तो मनी आर्डर लेकर आता है, चिट्ठी लाता है, प्रेम पत्र लाता है, इसलिये उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं, कौन ऐसा है जो खुश न होता हो । यहां पर मेरे इस ओर के दो एक मित्र ही कुछ नाराज मालूम होते हैं नहीं तो मैं समझता हूं कि सभी लोग इस महकमे से प्रसन्न हैं । फिर भी आज की दुनियां में ४२० घुस गया है, जमाना ही ४२० का है, इसलिये जो यह बड़ा पवित्र महकमा था सीधा और सच्चरित्र महकमा था, जो अच्छे और सीधे आदमियों का महकमा गिना जाता था, उसमें भी कुछ बीमा चुराने वाले, चिट्ठियां चुराने वाले, मनी आर्डर हड़प जाने वाले पैदा हो गये हैं । लेकिन यह सिर्फ उनका ही दोष नहीं है, वक्त ही ऐसा खराब आ गया है । परमात्मा चाहेगा तो थाड़े ही दिनों में वह ठीक हो जायगा और अच्छा वक्त आयेगा ।

मेरे और भाइयों ने इधर उधर की तो तमाम बातें तो कह दीं हैं, मैं केवल जो मेरे यहां की दो चार बातें हैं उनको ही सदन के सामने रखना चाहता हूं । पिथौरागढ़ का डाकखाना तोड़ दिया गया, उसका बहुत सा माल भी बेचा गया । यह कहा गया था कि उसको नये तौर से बनाया जायेगा, लेकिन दस वर्ष

हो गये इस बात को और वह दस वर्ष से बन ही रहा है। उसका सारा मलवा तक बेच दिया गया और रुपया भी जमा हो गया, लेकिन अब तक वह बना नहीं है। वहां के लोगों को बड़ी तकलीफ है, मैं वहां पर खुद देख कर आया हूं, वहां पर वह डाकखाना जरूर बनना चाहिये। हम को आश्वासन जरूर दे दिया गया है लेकिन बजट को देखने से मालूम हुआ कि उसके लिये रुपया नहीं रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि वह जल्दी ही बनाया जायेगा।

जो पिंडारी ग्लेशियर की लाइन है वह बहुत सुन्दर है, उसी लाइन पर कौसानी भी है जहां पर जब गांधी जी गये थे तो उन्होंने कहा था कि आखिर लोग स्विटजरलैंड क्यों जाते हैं जब ऐसी सुन्दर जगहें मौजूद हैं यहां पर। वहां पर एक तार घर जरूर खुलना चाहिये। गरुड़, सोमेश्वर और बागेश्वर में भी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर की लाइन में हैं, बहुत से लोग जाते हैं बड़े बड़े पैसे वाले जाते हैं, वहां पर भी एक तार घर की जरूरत है। हमारे उत्तरप्रदेश की सरकार ने यह आश्वासन भी दे दिया है कि अगर वहां पर कोई टोटा हुआ तो उस को वह पूरा करेगी, इसलिये उसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि इसके खुलने में विलम्ब नहीं होगा।

जो दो शहर हैं मेरे प्रदेश में नैनीताल और अल्मोड़ा उनमें से नैनीताल तो रेलवे के नजदीक है, लेकिन अल्मोड़ा शहर काफी दूर है। यह एक पठित शहर है। १४,००० की आबादी में से १३,००० आदमी पढ़े हुये निकलेंगे, इसका सेन्सस लिया जा चुका है उससे पता चलता है कि इन १३,००० आदमियों में से २,५०० ग्रैजुएट्स हैं। वहां पर चिट्ठी पत्र और अखबार बहुत आते हैं। जब हम में से भी वही महसूल लिया जाता है जो कि आप दूसरों से लेते हैं तो औरों का तो आप एअरोप्लैन की सर्विस से डाक पहुंचाते हैं और हमारे यहां मामूली तरह से डाक जाती है। हमारे यहां की सड़कें अक्सर टूट जाती हैं। अल्मोड़ा रेल से मोटर के रास्ते से ८४ मील पड़ता है, पैदल के रास्ते से ३७ मील पड़ता है, लेकिन जिस तरह से कौवा उड़ता है उस तरह से केवल १५ मील होता है। अगर एअरोप्लैन से डाक भेजी जाय तो हमें वह १५ मिनट में मिल सकती है। किदवई साहब मेरे मित्र थे, गोरखपुर जेल में हम दोनों छः महीन साथ रहे थे, उन्होंने मुझ से कहा था कि वह हमारे लिये एक डकोटा ला देंगे। वह तो बेचारे चले गये, बहुत अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे, हमारी डाक के लिये डकोटा भेजना चाहते थे, लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं.....

श्री जगजीवन राम : डकोटा उतरेगा कहां ?

श्री बी० डी० पांडे : अगर हो सकता हो तो हमारे यहां के लिये भी उड़न खटोला होना चाहिये। हमारे यहां रेलवेज तो हैं नहीं, रोडवेज हैं, कभी कभी वह टूट जाते हैं और हम को तीन तीन चार चार दिन तक डाक नहीं मिलती है। मैंने सुना है कि वहां पर रोपवे (रज्जु मार्ग) बनाने का भी कुछ विचार है और लिखा-पढ़ी हो रही है। इसके लिये भी जल्दी जल्दी करनी चाहिये क्योंकि अब तो हमारे यहां कौपर (तांबा) और लेड (सीसा) माइन्स (खानें) भी पाई गई हैं। उनके बढ़ाने के लिये अब हमारे यहां रोपवेज कितनी जल्दी खुल सकेंगे, इसकी जांच सरकार को करनी चाहिये।

जब मैं अल्मोड़े में कम से कम एक एअरोप्लैन के आने की बात करता हूं कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि उस पर अनुत्पादक व्यय हो, अगर खर्चा ज्यादा पड़ता हो तो सरकार उस को न चलावे, लेकिन अगर हो सके, तो हम को डाक जल्दी पहुंचाने के लिये एअरोप्लैन की सर्विस दी जाय। पिंडारी सड़क में हमारे यहां कभी कभी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वे अपने घरों को तार भेजना चाहते हैं, मनी आर्डर भेजना चाहते हैं और चीजें भेजना चाहते हैं, इसलिये वहां पर तार की लाइन होना लाजिमी है। मैं समझता हूं कि अगले पांच सालों में हमारी यह तकलीफें जरूर दूर हो जायेंगी।

[श्री बी० डी० पांडे]

मैं केवल इतनी ही बातें कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बातें कहने से तो परमात्मा भी उनको ठीक नहीं कर सकता है। परमात्मा से तो एक ही बात मांगी जाती है और वह है मुक्ति। उसी तरह से मैं आप से भी केवल दो एक तार घर उड़न खटोला और दो एक डाकखाने मांगता हूं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५	श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर-उत्तर)	विमान दुर्घटनाओं का अधिक होना ...	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	डाक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ...	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	सारे देश में डाक कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के नौरंगिया, तीनवर्धा बाजार, राम नगर, जथा बाजार, नंतरजंगल, किनुएरपट्टी, मराड़ बूडवालिया, कुठाई, सिसवालिया देवताताहा, सिसवां गोटी, निबोआ और पदरी बाजार में देहाती डाक घर खोलने में असफलता ...	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	गोरखपुर नगर में गोलधर या गांधी पार्क में एक नये डाक घर की इमारत बनाने में असमर्थता	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश में गोरखरपुर जिले के सरदार पटेल नगर, नौतांनवां, लछमीपुर, परतावल बाजार, मिटौली, महाराजगंज तहसील मुख्य कार्यालयों में और निचलौल में तार घरों की व्यवस्था करने में असमर्थता	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चिटन्नी में तार घर की व्यवस्था करने में असमर्थता ...	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के थाना निचलौल में कटहरी बाजार में उप-डाक घर खोलने असमर्थता	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की तहसील महाराजगंज के ढेकाई बांसपार, गौरा, समदुआरवा, जराड़, पंसीरा बाजार, खुठा बाजार, बागपर, नदुआ बाजार, गोपाला रजवाल, मिठौरा बाजार ग्रामों में शाखा डाकघर खोलने में असमर्थता	१०० रुपये
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में डाकघर, तारघर और टेलीफोन कार्यालय खालने में असमर्थता ...	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
५	श्री एस० एल० सक्सेना	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के नौतनवा बाजार, आनंदनगर, ब्रिजमैन गंज, लछमीपुर बाजार, कैम्पियर गंज, पैपेगंज, पनीरा बाजार, कुठा बाजार, परतावल बाजार, पाटिल नगर, निचलौल, डूंगरूपुर बाजार, भिटानली और मिठौरा बाजार ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने में असमर्थता ...	१०० रुपये
५	श्री बूबराघस्वामी (पैरम्बलूर)	मद्रास राज्य के जिला तिरुची में पैरम्बलूर स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन को फिर से खोले जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	श्री बूबराघस्वामी	मद्रास राज्य के जिला तिरुची में जयनकोंडम स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल)	योजनाओं के स्वीकृत हो जाने के वर्षों पश्चात् भी सरकार द्वारा लोगों को तार सुविधाओं का न दिया जाना	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पंजीयन फीस में वृद्धि	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	विभाग की राज्यकोषीय नीति की जांच करने के लिये एक संसदीय आयोग के नियुक्त किये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	डाकघरों के सहायक निरीक्षकों के वर्ग के समाप्त किये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कर्मचारियों को फिर से विशेष रियायती टिकटों की सुविधा के दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित निम्नतम वेतन से कम सेवा-निवृत्ति-वेतन न दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कर्मचारियों के लिये बनाये जा रहे क्वार्टरों के निर्माण कार्य की मन्द प्रगति ...	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की गति के तेज किये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रत्येक तालुक मुख्यालय में टेलीफोन की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कार्यालयों की तंग और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक इमारतें	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६	श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को फिर विशेष रियायती टिकटों की सुविधा का दिया जाना	१०० रुपये
६	श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी	गाडगील समिति की सिफारिशों के अनुसार 'ग' वर्ग के स्टेशनों पर डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को घटाये गये मकान किराया भत्ते का पुनः दिया जाना ...	१०० रुपये
६	श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी	डाक और तार कर्मचारियों को १० रुपये मासिक प्रति बालक के हिसाब से जो अधिकतम ३० रुपये हो सकता है परिवार भत्ता दिया जाना	१०० रुपये
६	श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाये जाने के लिये उनकी चिकित्सा परीक्षा कराने के हित निर्धारित प्रक्रिया	१०० रुपये
६	श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी	दिल्ली में १५० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करना	१०० रुपये
६	श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी	डाक घरों के काऊंटरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को मध्यान्ह भोजन के लिये समय दिये जाने की व्यवस्था करना ...	१०० रुपये
६	श्री बूबराघस्वामी	ग्रामीण क्षेत्रों में तार घर खोले जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्री बूबराघस्वामी	मद्रास राज्य के जिला तिरुची में टी० पालूक स्थान पर एक तारघर खाले जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्री बूबराघस्वामी	मद्रास राज्य के जिला तिरुची में तिरुमानुर और तिरुमालयवाड़ी में एक-एक तारघर खोले जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	श्री बूबराघस्वामी	प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या के आधार पर नियुक्तियां करने में असफलता ...	१०० रुपये
६	श्री बूबराघस्वामी	सेवा में विभिन्न अर्हताओं के लिये उपयुक्त विभिन्न पदों को रक्षित करने में असफलता ...	१०० रुपये
६	श्री बूबराघस्वामी	ग्रामीण पोस्ट मास्टरों और डाकियों को उचित वेतन देने में असफलता	१०० रुपये
६	श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै)	'ग' वर्ग के स्टेशनों पर डाक कर्मचारियों को पर्याप्त भत्ते की व्यवस्था	१०० रुपये
७	श्री ए० के० गोपालन	अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग में कथित अवक्रमणों के मामलों की जांच करने के लिये १९४९ में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा	

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
		जिन व्यक्तियों को पदोन्नति के योग्य पाया गया था उनकी भूतलक्षीप्रभाव से पदोन्नति किये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	विमानों के पेट्रोल आदि के लिये दिया गया अत्यधिक मूल्य	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा हैरोन, स्काई मास्टर और अन्य विमानों की खरीद ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन में पदोन्नतियों के मामले में अनियमितायें ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के प्रबन्धकों और कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत सूत्र के अनुसार ही कर्मचारियों का वर्गीकरण किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडिय एअर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों की कमी	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में स्थायी आदेशों का उल्लंघन	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सवारी भत्ता दिये जाने और इस विषय में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के हवाई अड्डे के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के मध्य भेदभाव के दूर किये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के काम करने के घन्टों के नियमित किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	वरिष्ठ इंजीनियरों द्वारा कम से कम प्रत्यक्ष प्रविधिक उत्तरदायित्व ग्रहण किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	निर्माण-समिति द्वारा कार्य न किया जाना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कर्मचारी संघ को मान्यता दिये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	श्रेणी २ तथा श्रेणी ३ के उन सभी कर्मचारियों को जो ३ वर्ष से सेवा में है, स्थायी बनाया जाना...	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के लिये मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में स्कूल खोलना	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	जोखिम का काम करने वाले कर्मचारियों के लिये दुर्घटना बीमे की व्यवस्था	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
९	श्री ए० के० गोपालन	२० दिन की आकस्मिक छुट्टियां देना पुनः आरम्भ किया जाना	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग के सभी संचालन कर्मचारियों को अतिरिक्त समय भत्ता दिया जाना	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	हवाई अड्डे के संचालकों की दक्षतावरोध को पार करने के लिये लिखित परीक्षा लेना बन्द करना	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग में चौकीदारों का अधिक समय तक काम करना	१०० रुपये
९	श्री ए० के ० गोपालन	श्रेणी २ के सभी पदों पर श्रेणी ३ के कर्मचारियों की पदोन्नतियां करके नियुक्तियां करना ...	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये निःशुल्क यातायात की व्यवस्था	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी संघ को कार्मिक संघ मानना	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग के संचालन कर्मचारियों को घोषित छुट्टियों के दिन ड्यूटी पर रहने के लिये प्रतिकर दिया जाना	१०० रुपये
९	श्री ए० के० गोपालन	असैनिक उड्डयन विभाग के प्रविधिक कर्मचारियों के वेतनक्रमों का पुनीरीक्षण ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिये मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में रिहायशी स्कूल खोलना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	हवाई अड्डा संचालक कर्मचारी ग्रेड के संवरण पदों की प्रतिशतता को १५ से बढ़ा कर २५ प्रतिशत करना	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सेवा संहिता और भर्ती नियमों का तुरन्त प्रख्यापन	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक कमरे के क्वार्टर देने की प्रथा को बन्द करना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	हवाई अड्डे और संचार स्टेशनों के प्रभारी अघोषित कर्मचारियों को प्रभारी भत्ता दिया जाना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सभी बड़े-बड़े हवाई अड्डों पर डिस्पैंसरियां (दवा-घर) खोलना	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन के उन कर्मचारियों को जो वहां	

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
		काम कर रहे हैं जम्मू संचालन भत्ता और आसाम प्रतिकर भत्ता देने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन कर्मचारियों को बीमारी की अवस्था में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगे नि:शुल्क यातायात की व्यवस्था ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये नि:शुल्क परिवहन-व्यवस्था	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	२० दिन की आकस्मिक छुट्टियां फिर दिये जाने की तुरन्त व्यवस्था करना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सभी संचालक कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नये हवाई अड्डे बनाने से पहले निवास स्थान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के संचालन कर्मचारियों को घोषित छुट्टियां दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सभी संचालन कर्मचारियों को अतिरिक्त समय भत्ता दिये जाने की आवश्यकता ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ को कार्मिक संघ के रूप में मान्यता देना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रत्येक असैनिक हवाई अड्डे पर उड्डयन विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को निवास-स्थान देना ...	१०० रुपये
९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को १–४–५४ से ३०–९–५४ तक हीराकुण्ड बांध परियोजना भत्ता मंजूर किये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं। श्री हेम राज।

श्री बी० डी० पांडे : मैं एक और बात की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका जिक्र मैं पहले नहीं कर सका.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं हो सकता, आप बाद में अलहदा उसके बारे में कह सकते हैं।

श्री बी० डी० पांडे : एक मिनट में मैं हैलीकौपटर्ज के बारे में.....

श्री जगजीवन राम : आपने उड़न खटोला कह दिया है, उसके मानी यही हैं।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले जो दो वक्ता बोल चुके हैं, उन्होंने वही बातें कहीं हैं, जो मैं कहना चाहता हूं। वे भी हिमालय प्रांत से आते हैं और मैं भी हिमालय प्रांत से आता हूं। वे उत्तर प्रदेश के हिमालय प्रांत से ताल्लुक रखते हैं और मैं पंजाब के हिमालय प्रांत से ताल्लुक रखता हूं।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो संचार मंत्रालय है, उसने जो अच्छा काम किया है उसके लिये वह बधाई का पात्र है और मैं उसे उसके इस शानदार काम के लिये बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। मैं खास तौर से उसे इसलिये भी बधाई देता हूं कि उसने पिछड़े हुये क्षेत्रों की ओर खास तौर से ध्यान दिया है। इस चीज को देखकर और भी खुशी होती है कि उसने पिछड़े हुये क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के साथ-साथ देहाती क्षेत्रों की ओर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और दे रहा है। जो विवरण इस साल का हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उससे पता चलता है कि जो डाकखाने १-४-५५ तक खुले थे, और जो १-१-५६ तक खुलने वाले थे या खुल चुके थे, उनकी तादाद कहीं ज्यादा थी और इसमें देहातों की ओर खास तौर से ध्यान दिया गया है। लेकिन जैसा कि पांडे जी ने कहा है कि पहाड़ी लोगों को जो तकलीफात हैं वह बहुत ज्यादा हैं। हमारे संचार मंत्री जी एक बार कुल्लू तशरीफ लाये थे और उस वक्त उनको मैंने अपना पहाड़ी इलाका दिखाया था। पहाड़ी क्षेत्रों की जो तकलीफात हैं उनसे मैंने उनको परिचित कराया था। मैं यहां पर आपको एक पहाड़ी लोकोक्ति सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

इक नालू दो क्वालू

दो चढ़ाइयां होती हैं और एक नाला होता है। यानी अगर आपने प्लेन (मैदान) में सफर करना हो तो वहां आप दिन में १० मील जा सकते हैं लेकिन पहाड़ी इलाकों में आप दो चार मील ही चल सकते हैं। इस वास्ते जो हमारी तकलीफात हैं मैं चाहता हूं कि आप उनकी तरफ खास तौर पर ध्यान दें।

जो हमारे यहां आप एक्सट्रा ब्राँचिज़ (अतिरिक्त शाखायें) खोल रहे हैं उसमें आपने तीन या चार मील का रकबा (क्षेत्रफल) रखा है और एक आदमी मुश्किल से इस रकबे में चक्कर लगा पता है। इस वास्ते जो चिट्ठियां होती हैं उनको चाहे आप दुकानदारों की मार्फत भेजें, चाहे आप स्कूल टीचर्स की मार्फत भेजें, लोगों को पहुंचती नहीं हैं या देर से पहुंचती हैं। जो स्कूल टीचर होता है वह तो बच्चों के हाथ जो उसके पास पढ़ने आते हैं, भेज देता है और जो दुकानदार होता है वह जो उसके पास सौदा लेने आते हैं उनके हाथ भेजता है। यह चिट्ठियां पहुंचती नहीं हैं और अगर पहुंचती भी हैं तो वक्त पर नहीं मिलतीं। आपने एक सिस्टम डिलिवरी एजेंटों (वितरण अभिकर्ताओं) का रखा है। मालवीय जी ने अभी कहा कि यह काम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाये। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर पंचायतों को आप कुछ पैसा देंगे तो ही वह इस काम को करने के लिये तैयार होंगी। इस वास्ते आपने जो डिलिवरी एजेंटों का सिस्टम (प्रणाली) शुरू किया है उसके जरिये चिट्ठियां पहुंचाई जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि जोशी जी ने कहा है हमें देखना यह चाहिये कि उस इलाके की हालत क्या है, टोपोग्राफी (स्थानवृत्त) कैसी है। अगर वह इलाका ऐसा है जो कि प्लेंस (मैदानों) की तरह से नहीं हैं और वहां पर आसानी से चिट्ठियां नहीं पहुंच सकती हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिलिवरी ज़ोंस (क्षेत्र) बनाने चाहियें।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके महकमे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और यही एक महकमा ऐसा है जो देहातों तक पहुंच पाता है। यही एक महकमा है जो छोटी से छोटी चीज देहातों तक पहुंचाता है। इसी महकमे के जरिये से खादी हुंडियों की और नैशनल प्लान सर्टिफिकेट्स (राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों) की बिक्री भी होती है। लेकिन एक बात जो इस सिलसिले में देखने को मिली है वह यह है कि जो खादी हुंडियां हैं उनका प्रचार देहातों में नहीं किया गया है और कोई खरीदने

लिये वहां आता नहीं है । हमने पहले इन हुंडियों को देहातों में बेचने की कोशिश की थी और हम नको बेचने में सफल भी हो गये थे । लेकिन जिस वक्त से यह डाकखानों में गई हैं और वहां पर इनके चने का प्रबन्ध किया गया है, यह बहुत कम बिक पा रही हैं । अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा क १९५४ में हमने जितनी खादी हुंडियां बेची थीं और उसके मुकाबले में आपने अपने डाकखानों की र्फत १९५५ में जितनी बेची हैं, उसमें कितना अन्तर है ।

श्री जगजीवन राम : आप इनका प्रचार करें ।

श्री हेम राज : हम करते ही हैं ।

इसके साथ ही साथ जो ५–१० रुपये के नैशनल प्लान सर्टिफिकेट्स हैं वह भी आपके डाकखानों की मार्फत बेचे जाते हैं । उनका प्रचार करने की भी अभी काफी ज्यादा आवश्यकता है । हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय भी बैठे हैं और मुझे आशा है वह भी आपको इस काम में सहायता देंगे ताकि गवर्नमेंट की जो इन सर्टिफिकेट्स को बेचने की स्कीम है वह कामयाब हो सके ।

इसके बाद मुझे एक बात यह कहनी है कि हमारे रेलवे मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिये खादी खरीदने का जो फैसला किया है वह बहुत ही सराहनीय है । मैं समझता हूं कि हमारे जो संचार मंत्री हैं वह भी रेल मंत्री से पीछे नहीं रहेंगे और अपने कर्मचारियों के लिये खादी खरीद करेंगे । संचार मंत्रालय के यह जो दो महानुभाव बैठे हुये हैं यह दोनों ही पक्के गांधी भक्त हैं और मैं आशा करता हूं कि वह इस ओर ज्यादा ध्यान देंगे ।

आपके जो एक्सटरा डिपार्टमैंटल पोस्ट आफिसिस (अतिरिक्त विभागीय डाक घर) हैं उनके लिये आप जो डिलिवरी एजेंट्स लेते हैं वह आमतौर पर आप मिडिल पास या मैट्रिक पास लेते हैं । आपने जो एलाउंस (भत्ता) उनके लिये रखा है वह बहुत ही कम रखा है । मैंने देखा है कि जो डिलिवरी एजेंट होता है वह सारा दिन घूमता फिरता रहता है और अपना कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है । यह चीज मैंने खास तौर पर पहाड़ों पर देखी है । उनको आप २० रुपये सबसिस्टेंस एलाउंस (निर्वाह भत्ता) के तौर पर देते हैं । यह बहुत कम हैं और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि वह उनके एलाउंस को बढ़ायें ।

हमारा जो कांगड़ा प्राविंशल (प्रांतीय) डिविजन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं । उसमें आपने ऐसे कर्मचारी रखे हैं जो कि काश्मीरी हैं । हो सकता है कि काश्मीरी दूसरे डिविजंस में भी हों । उनकी एक खास शिकायत है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब कभी कोई वेकेंसी (रिक्त स्थान) जम्मू में या श्रीनगर में निकलती है उस वक्त भी उनको वहां पर भेजा नहीं जाता है । यह बहुत थोड़ी-थोड़ी तनख्वाहों वाले लोग हैं और इनका गुजारा अपने घरों से बाहर आकर बड़ी मुश्किल से होता है । होशियारपुर डिविजन में भी यह लोग काम करते हैं । उन पर यह बन्दिश लगा दी गई है कि वे जम्मू और काश्मीर डिविजन में नहीं लगाये जा सकते । उनके जो बाल बच्चे होते हैं वे तो काश्मीर में ही रहते हैं लेकिन वे खुद यहां पर आकर नौकरी करते हैं । उनको जब कभी भी अपने घर जाने की जरूरत पड़ती है तो उनको छुट्टी भी नहीं दी जाती है । मुझे कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि उनको कई मर्तबा एप्लाई (आवेदन) करने पर भी छुट्टी नहीं दी गई । अगर उनको साल में दो बार भी अपने घर जाने की जरूरत पड़ जाये तो वे हमेशा के लिये कर्ज के नीचे दब जाते हैं । इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपकी आम तौर पर यह पालिसी (नीति) हो कि जो कर्मचारी संचार विभाग में लगे हुये हैं उनको जम्मू और काश्मीर न भेजा जाये, तो कम से कम उनके लिये इतना तो किया जाय कि उनको जम्मू भेज दिया जाये और जब कभी वहां वेकेंसीज निकले तो उनको वहां वापस जाने का चांस (मौका) दिया जाये ।

[श्री हेमराज]

एक बात मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) के दो इलाकों के बारे में कहना चाहता हूं। पांडे जी ने जो अपने यहां के इलाके की हालत बयान की है, मेरे यहां के इस लाहौल स्पित्ती के इलाके की हालत उससे भी खराब है। पांडे जी ने जिस इलाके का जिक्र किया है उसमें आदमी साल भर में आ जा तो सकता है, लेकिन मेरे यहां के इस इलाके में छः से आठ महीने तक आना जाना रुक जाता है क्योंकि वहां जाने वाला पास बर्फ से ढक जाता है और रास्ता बन्द हो जाता है और स्पित्ती के इलाके की सारी डाक और मनीआर्डर वगैरह मनाली के डाकखाने में आठ महीने तक पड़े रहते हैं। यह चीज़ संचार मंत्री महोदय खुद देख आये हैं। वहां पर साल भर तक डाक पहुंचने की एक सूरत हो सकती है। वहां की एडवाइजरी काउंसिल (मंत्रणा परिषद्) के जो मेम्बर आये थे उन्होंने बतलाया था कि अगर रामपुर बुशहर की तरफ से होकर यानी अम्बाला पोस्टल डिवीजन में होकर वहां डाक भेजने का प्रबन्ध किया जाये तो साल भर तक वहां डाक पहुंच सकती है। मैं समझता हूं कि इस पर मंत्री महोदय विचार करेंगे ताकि उस इलाके में सारे साल डाक भेजी जा सके।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

इसके बाद मैं एक बात कोठीकोड़ और सवार के इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। उस इलाके में गांवों की आबादी इतनी कम है कि वहां आपके कायदे के मुताबिक डाकखाने खुल ही नहीं सकते। आप चाहे दो हजार से घटा कर एक हजार या पांच सौ की तादाद भी कर दें तो भी वहां डाकखाने नहीं खुल सकते। लेकिन आज यह जरूरत है कि हर एक आदमी बाहर के हालात से भिज्ञ हो। ऐसी हालत में आपको अपने रूल (नियम) को ढीला करना होगा ताकि उस इलाके के लोग भी इस विभाग की सेवाओं से फायदा उठा सकें।

जिस समय हमारे मंत्री महोदय कुल्लू तशरीफ ले गये थे तो उन्होंने देखा था कि वहां पर कम्युनिकेशन्स (संचार साधन) की बहुत बुरी हालत है। जिस वक्त वहां बारिश हो जाती है तो आना जाना रुक जाता है। जिस वक्त मंत्री जी वापस आ रहे थे उस वक्त थोड़ा छींटा ही हुआ था, लेकिन उनकी मोटर आगे नहीं जा सकी और उन को मंडी में ही रुकना पड़ा। वहां हालत यह है कि अगर जोर की बारिश हो जाती है तो सड़कें टूट जाती हैं और आदमी कुल्लू घाटी में रह जाता है, बाहर नहीं जा सकता। चुनांचे हमारे प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) के मेम्बर श्री नियोगी जी को वहां बारिश की वजह १५ दिन रुकना पड़ा था। हमने उस वक्त एक रिप्रेजेंटेशन (अभ्यावेदन) किया था कि कुल्लू घाटी के लिये एक एअर स्ट्रिप (विमान उतरने की पट्टी) बनाया जाये और वहां एअर सरविस (वायु सेवा) जारी की जाये। लेकिन मुझे पता चला है कि वहां पर एअर स्ट्रिप बनाने की जो तजवीज थी वह रद्द की जा रही है। इससे पहले दो मर्तबा हमारे प्रधान मंत्री महोदय उस एअर स्ट्रिप पर उतर चुके हैं। अब समझ में नहीं आता कि कौन सा विघ्न पड़ गया कि उस प्लान को छोड़ा जा रहा है। अगर वहां बड़े प्लेन (विमान) नहीं उतर सकते तो वहां पर छोटे प्लेन्स के उतरने का ही इन्तिजाम किया जाये। कुल्लू घाटी को हिन्दुस्तान का स्विटजरलैंड कहा जा सकता है लेकिन उसका डेवेलपमेंट (विकास) बहुत कम हुआ। आपने काश्मीर का तो काफी से ज्यादा डेवेलपमेंट किया है लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया है। इसका नतीजा यह है कि जो शख्स (व्यक्ति) एक बार वहां जाता है वह दूसरी बार जाने का नाम नहीं लेता क्योंकि वहां पर आने-जाने के साधन बहुत खराब हैं। इसलिये मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे अपने सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट (असैनिक उड्डयन विभाग) को यह कहें कि अगर वहां बड़े जहाज नहीं उतर सकते तो कम से कम छोटे जहाजों के उतरने का वहां प्रबन्ध जरूर होना चाहिये।

एक बात की तरफ और मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हू। उसके बारे में मैंने यहां सदन में प्रश्न भी किया था और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि उस पर गौर होगा। आपने जिला

कांगड़ा में ऐसी जगहों पर जैसे कि पालमपुर है, धरमशाला है, जोगिन्दरनगर है, वहां कम्पेन्सेटरी इलाउंस (प्रतिकर भत्ता) अपने विभाग के कर्मचारियों को दिया है लेकिन जो जगहें इनके दरम्यान में आती हैं, जैसे बैजनाथ है, या पिपरौला है, और बहुत सी जगहें हैं, जहां के एम्प्लाईज (कर्मचारियों) को आप कप्पेन्सेटरी एलाउंस नहीं देते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप एक ही क्लास (श्रेणी) के कर्मचारियों के साथ दो तरह का स्लूक क्यों करते हैं। अगर आप उन जगहों की हाइट्स (ऊँचाई) को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनमें १०० या ५० फीट का फर्क है। वह सारा इलाका बर्फ के इलाके से लगा हुआ है। आप मौसम के लिहाज से देखें, महंगाई के लिहाज से देखें किसी लिहाज से देखें तो आप पायेंगे कि उन सब लोगों का जीवन स्तर एक सा है। लेकिन आप कुछ जगहों पर कम्पेन्सेटरी एलाउंस देते हैं और दूसरी जगहों पर नहीं देते। मैं समझता हूं कि यह वाजिब होगा कि संचार विभाग के कर्मचारी दूसरी वैसी ही जगहों पर काम करते हैं उनको भी कम्पेन्सेटरी एलाउंस मिलना चाहिये।

एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आपके बजट में हर साल स्टाफ क्वार्टर्स के लिये रुपया मंजूर किया जाता है। लेकिन आपकी सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० उस काम को वक्त के अन्दर पूरा नहीं कर पाती है और वह रुपया एक साल से दूसरे साल को चला जाता है। मैं समझता हूं कि अच्छा हो कि आप अपने विभाग के लिये इस काम को करने के वास्ते कोई अलग डिपार्टमैंट क्रियेट (विभाग बनाना) कर लें ताकि जिस काम के लिये बजट में रुपया मंजूर होता है उसको वह पूरा कर सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० विभाग को ज्यादा उत्तेजना दें ताकि वह विभाग उस काम को वक्त के अन्दर पूरा कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय के काम की सराहना करता हूं और दोनों मंत्री महोदयों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इस मंत्रालय के काम को इतना आगे बढ़ाया है।

†**श्री राज बहादुर** : सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने डाक और तार विभाग के २६२,००० कर्मचारियों के काम की सराहना की और उनको प्रोत्साहन दिया है। मैं केवल डाक और तार विभाग के बारे में कही गई बातों का ही उत्तर दूंगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक माननीय सदस्य के अतिरिक्त, जो मेरे राज्य के ही रहने वाले हैं, सभी ने डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा और स्वामीभक्ति की प्रशंसा की है। अभी तक उन्होंने इसी प्रकार कार्य किया है और मैं लोक-सभा को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में भी वे इस से भी अच्छा कार्य करेंगे। मेरे पास समय कम है अतः मैं अब माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देता हूं।

सब से पहले, मेरे माननीय मित्र श्री थामस ने पूछा कि पंजीयन और तार की दरें क्यों बढ़ाई गई हैं। जो सांख्यकी मेरे पास है उसकी सहायता से मैं इसका औचित्य स्पष्ट करूंगा। विभाग के तीन भागों अर्थात् डाक, तार और टेलीफोन में से टेलीफोन को छोड़कर शेष दोनों कई वर्षों से घाटे में चल रहे थे। हमें इस बात पर ध्यान देना पडा। १९५४-५५ में डाक में २३ लाख रुपये का घाटा रहा। १९५५-५६ के आय व्ययक प्राक्कलनों में यह घाटा ९१ लाख रुपये था और पुनरीक्षित प्राक्कलनों में यह ४९ लाख रुपया रह गया। इस वर्ष के आय-व्ययक प्राक्कलनों में १०४ लाख रुपये के घाटे का अनुमान है। तार व्यवस्था में घाटा १९५४-५५ में ५५ लाख रुपये था, १९५५-५६ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में १३१ लाख रुपये था। १९५५-५६ के पुनरीक्षत प्राक्कलनों में ८२ लाख रुपये था, और १९५६-५७ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में ११९ लाख रुपये था। स्पष्ट है कि हम ने जो विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किया है उसे सरलतापूर्वक चलाने के लिये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो विभाग एक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

वाणिज्यिक व सार्वजनिक उपयोगिता विभाग की तरह चलता रहा है वह जहां तक सम्भव हो अपना खर्च स्वयं पूरा करे। आपने लोक-सभा के सामने विभाग की जो राजकोषीय नीति रखी थी मैं उससे सहमत नहीं हूं। यदि उस नीति को स्वीकार किया गया तो परिणाम क्या होगा ? तो अप्रत्यक्ष करारोपण की बजाये हमें प्रत्यक्ष करारोपण करना पड़ेगा क्यों यदि एक बार हम यह स्वीकार कर लें कि डाक और तार विभाग में जो घाटा होगा वह सामान्य राजस्व में से पूरा किया जायेगा। जैसे कि आपने विरोधी दल की ओर से बोलते हुये सुझाव दिया था तो स्पष्ट है कि वह प्रत्यक्ष रूप से साधारण करदाता को देना होगा और इसका यह अर्थ होगा कि हम वर्तमान साधनों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष करारोपण द्वारा डाक और तार की सुविधायें प्रदान करेंगे। मेरा निवेदन है कि यह सब कुछ सोचने विचारने के पश्चात लोक-सभा ने और इससे पहले अस्थायी संसद् ने यह निश्चय किया था कि इस विभाग को वाणिज्यिक व सार्वजनिक उपयोगिता विभाग के रूप में काम करना चाहिये। जहां तक दरों में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, पहले मैं तार व्यवस्था के बारे में कहूंगा। १-४-१९५० से पूर्व साधारण तार के लिये पहले आठ शब्दों के लिये नौ आने और प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिये एक आना लिया जाता था। १-४-१९५० से यह दर घटा कर साधारण तारों में पते समेत पहले आठ या आठ से कम शब्दों के लिये आठ आने और प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिये एक आना और ऐक्सप्रेस तारों में पते समेत पहले आठ शब्दों के लिये एक रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिये दो आने किया गया था। १-४-१९५० से पहले वही दरें थीं जिनका हमने अब सुझाव दिया है। अब तक किये गये विस्तार को और सेवा में किये जाने वाले विस्तार और सुधार की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये और कर्मचारियों की आवश्यकताओं, सामान, मशीनरी, लाइनों, और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता को देखते हुये यह स्पष्ट है कि इस विभाग की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये हमें धन प्राप्त करने के साधन ढूंढने चाहियें।

तार व्यवस्था के बारे में मैं यह भी बता दूं कि पड़ोसी देशों की तुलना में हमारी दरें कम हैं। पाकिस्तान में आठ शब्द के तार की दर १४ आने है और ब्रिटेन में १२ शब्द के लिये तीन शिलिंग हैं।

पोस्ट कार्डों और मनी आर्डरों की दरें तो बढ़ाई नहीं जा सकतीं। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त पंजीयन में हमें अधिक घाटा हो रहा है अतः हमें पंजीयन में ही घाटा कम करने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी वस्तु के पंजीयन पर होने वाले घाटे का इस बात से पता चलेगा कि भारत में एक पंजीबद्ध वस्तु को लाने ले जाने में १२ आने ११·३ पाई खर्च होता है। अब तक हम इसके लिये केवल छः आने लेते रहे हैं और हम इसे बढ़ा कर आठ आने करना चाहते हैं। छः आने से बढ़ाकर आठ आना करने पर भी ४ आने ११·३ पाई का घाटा रहेगा। इन तथ्यों के आधार पर इन दोनों की दरों का बढ़ाया जाना उचित जान पड़ता है। इसका साधारण व्यक्ति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पंजीयन की सुविधा का उपयोग अधिकतर व्यापारी लोग ही करते हैं। हम निर्धन लोगों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर यह बोझ डाल रहे हैं जो सरलतापूर्वक इसे सहन कर सकते हैं।

श्री थामस ने डाक जीवन बीमा के बारे में भी कहा था। उन्होंने कहा कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा करते समय इसकी कटु आलोचना की गई है। मैं एक वर्ष में जारी किये गये बीमा पत्रों की संख्या और उनके कुल मूल्य से सम्बन्धित केवल दो आंकड़े बतलाऊंगा। १९५०-५१ में ७,४६१ बीमापत्र जारी किये गये। १९५१-५२ में ८,३६३, १९५३-५४ में १३,५५९ और १९५४-५५ में १५,६७२। इन चार पांच वर्षों में बीमा पत्रों की संख्या दुगुनी से अधिक हो गई है। जारी किये गये बीमा पत्रों के मूल्य से सम्भवतः अधिक जानकारी मिल सकती है। १९५०-५१ में जारी किये गये बीमा पत्रों का मूल्य १,९६,४५,५३४ रुपये था। और १९५४-५५ में जारी किये गये बीमा पत्रों का मूल्य ४,०७,०३,२०० रुपये था।

यदि किये गये कारबार को आधार माना जाये तो आप देखेंगे कि जहां तक डाक जीवन बीमा का म्बन्ध है यह सतोषजनक ढंग में काम कर रहा है । मेरा यह आशय नहीं है कि यह संगठन दोष रहित है हां तक सम्भव हो सका है हमने इसे दोष रहित बनाने के लिये कुछ कार्यवही की है. हमने बहुत से काम ा विकेन्द्रीकरण किया है जो कि अब सर्कलों को दे दिया है । विकेन्द्रीकरण और अन्य कार्यवाही ो हम ने की है इससे डाक जीवन बीमा में जो त्रुटियां या दोष अनुभव किये गये थे वे यथासमय र हो जायेंगे या कम हो जायेंगे ।

श्री थामस ने तीसरी बात कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी गाडगील समिति की सिफारिशों के बारे में कही थी । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि सिफारिशों को स्वीकार कर लेने से अधिक कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । विभाग में काम करने वाले केवल उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनका वेतन ७४ रुपये और १०२ रुपये की बीच है, और माननीय सदस्य को विदित होगा कि हम पहले ही इस विषय में विचार कर रहे हैं कि इस घाटे को कैसे पूरा किया जाये और इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया जाये । इस विषय पर सरकार विचार कर रही है और आशा है कि शीघ्र कोई निश्चय किया जायेगा ।

सभानेत्री महोदया, आपने जो अन्य बातें कर्मचारियों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में कही हैं, और जिसके सम्बन्ध में आपने कहा है कि कहीं-कहीं तो वह अपर्याप्तता २५ प्रतिशत तक पहुंच गई है, उसके सम्बन्ध में, मैं आपके सामने केवल कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिनसे प्रकट हो जायेगा कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से आज तक कर्मचारियों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई है । अविभाजित भारत में, १४-८-१९४७ को कुल कार्यकर्त्ताओं की संख्या १,७२,४८६ थी; विभाजित भारत में, अर्थात् हमारे अपने देश में, ३१-३-१९४८ को डाक और तार विभाग में कुल कार्यकर्त्ताओं की संख्या १५३,०६२ थी, और अब वह २६२,९९९ तक पहुंच गई है । इन सात वर्षों में, डाक तथा तार कर्मचारियों की संख्या में १०९,००० कार्यकर्त्ताओं की वृद्धि हुई है । मैंने आपको ३१-३-१९५५ तक के आंकड़े बता दिये हैं, और उनसे स्पष्ट हो जायेगा कि कर्मचारियों की संख्या लगभग दूनी हो गई है । इस विभाग का विस्तार इस सीमा तक हो गया है कि डाकघरों की संख्या दूनी हो गई है और तारघरों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है । लेकिन इसके साथ ही साथ, कर्मचारियों की संख्या भी इसी के अनुसार बढ़ गई है । भर्ती, प्रशिक्षण और उपयुक्त पदों पर अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के मामलों में हमारे सामने जो भी कठिनाइयां आईं, उनका निराकरण करने के लिये जो भी हो सकता था हमने किया है; बात यह नहीं कि कर्मचारियों की कमी के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को दूर करने, उन्हें कम से कम करने या उन्हें बन्द करने की हमारी इच्छा नहीं है या उसके लिये हमने कोई निश्चय नहीं किया है, यदि कुछ मामलों में हम अपेक्षित सीमा तक आगे नहीं बढ़ पाये हैं, तो उसका कारण इस स्थिति में निहित कुछ कठिनाइयां और बाधायें ही हैं । हमने उन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिये कुछ उपाय किये हैं, कुछ निश्चित कार्यवाही की है । इसी प्रकार, हम उन का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं । अब भर्ती के मामले में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिये भर्ती की एक नयी पद्धति का परीक्षण किया जा रहा है । हमन इसी कारण से पहले प्रयुक्त होने वाली परीक्षा की उस पद्धति को हटा दिया है जिसमें कि कुछ केन्द्रों में २००–५०० पदों के लिये ३०,००० तक उम्मीदवार सम्मिलित हुआ करते थे । अब भर्ती उम्मीदवारों द्वारा भूगोल, हिन्दी, अंकगणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जाती है । हम उम्मीदवारों का चुनाव करके, उन्हें प्रशिक्षण के लिये भेज देते हैं । हां, चरित्र और पूर्व-वृत्तांत के सम्बन्ध में कुछ औपचारिकताओं का पालन तो करना ही पड़ता है । इनका सत्यापन तो करना ही पड़ता है । हम इसमें होने वाले विलम्ब को दूर करने या उसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे ।

[श्री राज बहादुर]

श्री थामस, और सभानेत्री महोदया आपने भी, एक और भी बात कही थी कि एक भारी संख्या में कर्मचारी अस्थायी हैं। मेरे पास प्रमाणिक आंकड़ें मौजूद हैं। कुल २,६२,९९३ कर्मचारियों में से, स्थायी कर्मचारी लगभग १,८८,१६१ हैं और अस्थायी लगभग ७४,८३२ । इसमें १,१७७ अधिकारी और ७०,११४ अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। यदि हम इस संख्या को इसमें से घटा दें, तो शेष संख्या बहुत अधिक नहीं रह जायेगी। अब भी जो अस्थायी कर्मचारी रह गये हैं, हम उन्हें यथाशीघ्र स्थायी बनाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। आप ने जो भी कहा है, उसको बड़े सम्मान के साथ ध्यान में रखा जायेगा। इसके पश्चात् प्रश्न आता है अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का। यह स्वयं ही एक प्रतिष्ठापन के समान है। माननीय मंत्री ने इसे बहुत ही उचित और ठीक ढंग से रखा था कि यदि आप इस विभाग का विस्तार देहाती क्षेत्रों तक करना चाहते हैं, जहां कि डाकघर का काम केवल एक-दो घन्टों का ही रहता है, तो क्या आप उसके लिये पूरे समय कार्य करने वाले अभिकर्त्ता रखेंगे ? इसीलिये, हमको कुछ समय काम करने वाले व्यक्ति रखने पड़ते हैं। लेकिन, माननीय मंत्री ने इसके साथ ही साथ एक आश्वासन भी दिया था हम इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के कार्य करने की दशा को किस प्रकार सुधारा जाये। लेकिन, इस मामले पर तो अलग से विचार किया जाना चाहिये ।

आप ने एक बात कही थी कि उसमें पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है। केवल यही एक विभाग है जहा सिद्धान्ततः ही नहीं व्यावहारिक रूप में भी यह सम्भव है कि क्लर्क की हैसियत से इसमें आने वाला कोई भी कर्मचारी महानिदेशक तक के पद तक उन्नति कर सकता है। इस विभाग में कोई भी विभागीय परीक्षा में उतीर्ण होकर निरीक्षक बन जाता है, और फिर निरीक्षक से वह द्वितीय श्रेणी के अधीक्षक के पद पर पहुंच सकता है, और उसके बाद प्रथम श्रेणी के अधीक्षक, और फिर पोस्टमास्टर जनरल तथा महानिदेशक के पदों तक उन्नति कर सकता है। इसलिये, पदोन्नति की गुंजाइश तो है। लेकिन, यह तो स्पष्ट है कि, अधीक्षकीय पदों की संख्या की तुलना में, क्लर्कों की संख्या कहीं अधिक है। हमारे यहां देश भर में निरीक्षकों के कुल ७०० पद हैं। यह एक सीमित क्षेत्र है और यह आवश्यक भी है कि नीची श्रेणी के पदों की संख्या की तुलना में, अधीक्षकीय पद सदैव ही संख्या में सीमित और कम ही रहेंगे।

अब मैं खादी की वर्दी के प्रश्न को लेता हूँ। इस नये प्रयोग का हमें वर्ष भर का अनुभव है और हम दूसरों की बातें सुनने को तैयार हैं। हमने जिस आधार पर इन वर्दियों को आरम्भ किया है उसे सभी जानते हैं और उसके पूरे इतिहास को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यही कहूँगा कि खादी बोर्ड हमारी आवश्यकताओं के प्रति सजग है और वह कम लागत पर टिकाऊ खादी तैयार करेगा। हमें विश्वास है कि अम्बर चरखा बन जाने से अब कुछ समय में हमारी यह कठिनाई भी दूर हो जायेगी। लेकिन, इस पर भी यदि हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वर्दियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो हम उस पर भी विचार करेंगे। मेरा विचार है कि अब प्रति दो वर्षों में चार वर्दियां दी जाती हैं। अनुभव के आधार पर, इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा तभी किया जा सकता है कि जबकि उसका कोई औचित्य हो। हमने अपना यह प्रयोग अभी एक वर्ष पहले ही तो शुरू किया था ।

अब मैं वर्दियों के सम्भरण में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में भी कुछ कहूँगा। मैंने स्वयं इस बात की जांच की है कि पिछले कुछ वर्षों में कपड़े का सम्भरण किस प्रकार हुआ है। मुझे आपको यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि कपड़ा मिलों की अपेक्षा खादी बोर्ड ने हमें खादी का कपड़ा अधिक शीघ्रता से दिया है। उन दिनों इसमें आठ महीने या इतना ही कुछ समय लगता था, जबकि इस बार अगली साल की वर्दियों के लिये ५० प्रतिशत से अधिक कपड़ा हमें मिल भी चका है। वर्दियों के लिये १३ लाख गज

खादी की आवश्यकता थी, और उसमें से पांच लाख गज़ हमें दी जा चुकी है और सात लाख गज़ अभी महानिदेशक (एस० डी०) के निरीक्षकालय में पड़ी हुई है। वर्दियों के लिये जो ७०,००० गज़ कपड़ा और तैयार करना है, वह भी आशा है कि एक महीने में हमें मिल जायेगा। इसमें कोई भी विलम्ब नहीं होगा। इस वर्ष पिछले वर्ष हुये विलम्ब को कम कर दिया गया है। अगले वर्ष, उसे और भी कम कर दिया जायेगा और पूरी तौर से दूर कर दिया जायेगा।

हमने एक और युक्ति निकाली है और हम उसके द्वारा चाहते हैं कि वर्दियों के सम्भरण में बिलकुल भी विलम्ब न हो। हमने विभिन्न डाक सर्किलों से कह दिया है कि वे अपनी वर्दियों के लिये खादी के कपड़े की आवश्यकतायें अठारह महीने पहले ही महानिदेशक (एस० डी०) के पास सीधे भेज दें। १९५८ में होने वाले सम्भरण के लिये, उन्हें अपनी वस्तु सूचियां १ अक्तूबर, १९५६ तक भेज देनी पड़ेंगी। इससे खादी बोर्ड को कपड़े के सम्भरण के लिये बारह महीने और उनकी सिलाई आदि के लिये छः महीने मिल जायेंगे। पहले तो सिलाई सर्किलों में ही कराई जाती थी। अब उसे डिवीज़नों के स्तर पर किया जायेगा इन उपायों से मुझे आशा है कि वर्दियों के सम्भरण में होने वाले विलम्ब को, मेरा मतलब है कि हमेशा होने वाले विलम्ब को, कम कर दिया जायेगा। मुझे इसकी चिन्ता है। हमने इस विलम्ब को दूर करने का यथा सम्भव प्रयास किया है। जहां तक खादी के टिकाऊपन को बढ़ाने की बात है, उस सम्बन्ध में हमें अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से उत्तम कोई अन्य प्रत्याभूत नहीं मिल सकता।

रेलवे और रेलवे डाक सेवा के बीच सहकारिता के अभाव का भी उल्लेख किया गया था। हमारा पिछला अनुभव भी यही था, और सभानेत्री महोदया, आपने ठीक ही कहा था कि रेलवे डाक सेवा के कार्यालय के लिये स्थान प्राप्त करने और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां थीं। नये कार्यालय बनाने या पुराने कार्यालयों का विस्तार करने और रेलवे डाक सेवा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर प्राप्त करने के सम्बन्ध में हम उतनी प्रगति नहीं कर सके हैं जितनी कि हम चाहते थे दोनों विभागों में सम्पर्क तो है। अधिकारीगण अपने ही स्तर पर कुछ कार्यवाही करते हैं। लेकिन आप जानती हैं कि रेलवे प्रशासन की भी अपनी आवश्यकतायें हैं और वे लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और जब दो विभागों के हितों में परस्पर संघर्ष होता है तो प्रत्येक पहले अपने विभाग की ही आवश्यकताओं को देखता और दूसरा विभाग उसके अपने बाद ही आता है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। साथ ही साथ, मैं यह भी कहता हूँ कि रेलवे विभाग ने हमारी आवश्यकताओं की बिलकुल उपेक्षा नहीं कर दी है और इस दिशा में भी हमने कुछ संतोषप्रद प्रगति ही की है।

मेरी माननीय बहिन, श्रीमती मणिबेन पटेल ने चिट्ठियां मिलने में विलम्ब होने की शिकायत की थी उन्होंने कहा कि बम्बई में डाकिये चालों में ढेर की ढेर चिट्ठियां एक साथ डाल जाते हैं। मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि जब भी उन्हें ऐसे किसी मामले का पता चले वे कृपया हमें बता दें। हमें जब तक अपनी त्रुटियां नहीं मालूम होंगी, तब तक हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकेंगे। हम आप से अपनी त्रुटियां जानना चाहते हैं जिससे कि हम अपनी सेवा में सुधार कर सकें।

उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ चट्ठियों पर केवल एक ही मुहर लगी हुई थी चिट्ठी भेजे जाने के स्थान के डाकघर की मुहर। उस पर चिट्ठी के निर्दिष्ट स्थान के डाकघर की मुहर नहीं थी। कल उन्होंने मुझे वह लिफाफा दिया था और मैं उस की जांच कर रहा हूँ। लेकिन मैं यह बता दूं कि इसके विरुद्ध कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। प्रति दिन करोड़ों चिट्ठियां निबटानी पड़ती हैं वास्तव में, यदि कोई रेलवे डाक-सेवा कार्यालय में, उदाहरण के लिये दिल्ली के ही कार्यालय में, जाकर वहां का कार्य देखे तो वह अनुभव करेगा कि किस प्रकार काम किया जाता है। शाम को सारे दिन की डाक जमा हो जाती है, और आप देखेंगे कि उसे छांटने का कार्य किस प्रकार किया जाता है और कार्यकर्त्ताओं पर उस समय काम का कितना अधिक भार रहता है। मेरे विचार से, वे हमसे पूर्ण सहानुभूति की अपेक्षा

[श्री राज बहादुर]

रखते हैं। उन्हें हज़ारों चिट्ठियां छांटनी पड़ती हैं। मेरे मित्र श्री यू० एम० त्रवेदी ने बताया था कि जयपुर की एक चिट्ठी लाहौर के निर्ज्ञात पत्र-कार्यालय में भेज दी गई थी। उस पर कुछ गिचपिच लिखा हुआ था, लिफाफे पर तमाम कटा-फटा था। लेकिन, मैं उसकी भी जांच करूंगा। लेकिन मैं निवेदन कर चुका हूँ कि हमें जितने अधिक कार्य परिमाण को संभालना पड़ता है उस में ऐसी ग़लतियां होंगी ही, और मैं डाक और तार विभाग के कार्यकर्त्ताओं की ओर से ऐसी ग़लतियों के लिये आपके अनुग्रह की याचना करता हूँ।

†**श्री ए० के० गोपालन :** इतना ही नहीं, कई बार एक्सप्रेस डिलीवरी चिट्ठियों पर भी प्रेषक के स्थान पर डाकघर की मुहर नहीं रहती है, क्योंकि उससे चिट्ठी पहुंचने में हुये विलम्ब का पता लग सकता है। पुलिस अधिकारी हमारी चिट्ठियों को खोलते हैं और इससे उनके मिलने में विलम्ब होता है।

†**श्री राज बहादुर :** हम इस की जांच करेंगे।

हम एक दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक तो एक्सप्रेस डिलीवरी की चिट्ठियों का वितरण तार बांटने वाले डाकिये किया करते थे। कुछ बड़े शहरों में हमने यह कार्य फिर से डाकघरों को सौंप दिया है। अभी तक तो उस का परिणाम संतोषप्रद रहा है। यदि उसका परिणाम आगे भी संतोषप्रद सिद्ध हुआ तो हम अन्य शहरों में इसी प्रणाली को चालू कर देंगे। स्पष्ट है कि इस प्रणाली में काफ़ी अतिरिक्त व्यय पड़ता है, और तार बांटने वाले डाकियों के द्वारा इसे कराने में यह व्यय नहीं होगा।

मेरी माननीया बहिन श्रीमती मणिबेन पटेल द्वरा उल्लिखित बात डाकघरों की इमारतों की देखरेख के प्रश्न को लीजिये। मैं उनके सुझाव को ध्यान में रखूंगा। हम उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण राय का स्वागत करते हैं और उसे स्वीकार करेंगे।

इसके बाद, डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के पुत्रों और सम्बन्धियों को नौकरी देने के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। मुझे खुद है। ऐसा करने में संविधान द्वारा भारत की जनता को दी गई गारंटियां आड़े आती हैं। हमने अपने लिये एक संविधान बनाया है और हमने उसमें यह व्यवस्था की है कि सरकारी सेवाओं में नौकरियां देने के सम्बन्ध में जाति, समुदाय, पंथ, लिंग, जन्म स्थान या वंश का कोई विभेद नहीं किया जायेगा। यदि किसी राजा का पुत्र राजा नहीं हो सकता है, यदि किसी कलक्टर का पुत्र कलक्टर नहीं हो सकता है, तो एक डाकिये का पुत्र अधिकार के रूप में एक डाकिया भी नहीं हो सकता है।

श्रीमती मणिबेन पटेल : मैं ने तो यह कहा था कि उनके लड़के पूरी तरह से क्वालिफाइड (अर्हता-प्राप्त) हो तो उनको प्रेफ़ेंस (वरीयता) मिलनी चाहिये।

†**श्री राज बहादुर :** यह तो होता ही है। मैं इसका आश्वासन दे सकता हूँ कि अर्हता का निर्णय, गुणों का निर्णय, विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर नहीं किया जायेगा, बल्कि विश्वविद्यालयों और बोर्डों द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें एक और सुविधा दी गई है। यदि उनका डाक विभाग से पहले कोई भी सम्बन्ध रहा है, यदि उनकी वैसी कोई पृष्ठभूमि है, अर्थात, उन्होंने यदि किसी अस्थायी पद पर भी तीन-चार दिनों तक काम किया है, तो उनको १५ अतिरिक्त अंक दे दिये जाते हैं। इसका अधिकतर लाभ डाक विभाग के कर्मचारियों के पुत्रों तथा सम्बन्धियों को ही प्राप्त होता है। हम केवल इसी सीमा तक शर्तों को शिथिल कर सके हैं। मैं नहीं समझता कि यह शैथिल्य संविधान के प्रतिकूल है। इससे अधिक हम जो भी कुछ करेंगे वह संविधान के प्रतिकूल कार्य करना होगा। हमने इस बात को ध्यान म रखा है और इसीलिये ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के किसी कार्यालय का कुछ ज्ञान होता है, या उससे उनका कुछ सम्बन्ध रहा होता है तो उन्हें १५ अतिरिक्त अंक दे दिये जाते हैं। यह उनके लिये एक लाभ ही है।

अब मैं टेलीफोनों पर ट्रंककॉल तथा क्रॉस टॉक्स के प्रश्न पर आता हूँ। मेरा निवेदन है कि ट्रँककॉल में होने वाला विलम्ब अब बहुत कम हो गया है। किन्तु छोटे शहरों के लिये किये जाने वाले ट्रँककॉल में अवश्य विलम्ब होता है।

†**एक माननीय सदस्य** : कानपुर में क्या होता है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा ख्याल है कि जहाँ तक कानपुर का सम्बन्ध है, वह शीघ्र ही इन विलम्बों को भूल जायेगा क्योंकि हमारे विस्तार कार्यक्रम में यह सम्मिलित है।

श्रीमती मणिबेन पटेल : मैंने आपको बतलाया था कि बम्बई के लिये ट्रँककॉल लेने में मुझे पूरे ६ घंटे लगे।

श्री राज बहादुर : बम्बई की सर्विस ट्रँककॉल की और टेलीफोन की, मैं समझता हूँ काफी अच्छी सर्विसों में से एक है। श्री त्रिवेदी ने कहा था कि बम्बई के स्टाफ को यहाँ भेज दिया जाए और यहाँ के स्टाफ को वहाँ भेज दिया जाए।

श्री भक्त दर्शन : ताकि बम्बई भी बिगड़ जाये।

†**श्री राज बहादुर** : टेलीफोन सर्विस इस बात पर निर्भर रहती है कि आपके पास कितने सर्किट हैं। ठीक जिस प्रकार कि जिस सड़क पर तीन कारें आती हैं वहाँ आप सोलह कारें नहीं चला सकते वही चीज़ टेलीफोन सर्विस के सम्बन्ध में है। टेलीफोन ट्रैफिक में तीन-चार गुना वृद्धि हुई है। यही सारी कठिनाई है। बिल्ट-ऑफ कॉल्स अथवा ट्रान्सिट कॉल्स में पड़ने वाली कठिनाई के साथ-साथ हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिये।

पंडित सी० एन० मालवीय ने कहा कि सेंसर बड़े बेढंगे तरीके से किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक सेंसरशिप अधिनियम है। यह इस देश के लोगों के लिये नहीं है। अन्य स्थानों से इस देश में आने वाले कितने ही पंचमांगी हो सकते हैं। जैसा माननीय सदस्य को विदित है, भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा २६ में भी सरकार को कुछ अधिकार दिये गये हैं.....

†**पंडित सी० एन० मालवीय** : मैंने सेंसरशिप पर आपत्ति नहीं की थी। मेरी आपत्ति है उस तरीके पर जिस पर सेंसर किया जा रहा है।

†**श्री राज बहादुर** : इस सम्बन्ध में जो भी कठिनाई अनुभव की गयी है मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा।

श्री गुरुपादस्वामी ने दूसरे वेतन आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा। गत वर्ष जो इस सम्बन्ध में कहा गया था उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वित्त मंत्री पहले ही उसका उत्तर दे चुके हैं।

फिर उन्होंने डाक व तार कर्मचारियों के नागरिक अधिकारों को कम किये जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें निर्वाचनों में भाग नहीं लेने दिया जाता और यदि वे कार्मिक संघों या अन्य समितियों के पदधारी चुन लिये जाते हैं तो उन्हें तंग किया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है। जहाँ तक उनके तबादला करके तंग किये जाने का प्रश्न है, मैं कहना चाहूँगा कि यह नियम है कि यदि कोई कर्मचारी यूनियन का पदधारी चुन लिया जाये तो उसका एक वर्ष तक तबादला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

नहीं किया जा सकता। जहाँ तक निर्वाचनों में भाग लेने का सम्बन्ध है, हमें सदा के लिये एक बार यह निर्णय कर लेना है कि क्या हम सरकारी कर्मचारियों में भी राजनीति घुसाना चाहते हैं या नहीं। मेरा विश्वास है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति की विषमता से दूर रखना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों का राजनीति में दखल किसी भी प्रजातंत्र के लिये खतरनाक वस्तु होगी; तब यह प्रजातंत्र न रह कर तानाशाही में परिणत हो जायेगा क्योंकि सत्तारूढ़ कोई भी दल जो सरकारी कर्मचारियों की सहायता अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये लेता है अपनी सत्ता का प्रयोग मनमानी ढंग से करेगा।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : क्या मैं जान सकता हूँ कि गत निर्वाचन के समय यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि ये अतिरिक्त-विभागीय कर्मचारी पूर्णकालीन सरकारी नौकर नहीं हैं, और सामान्य मानों में सरकारी कर्मचारी न होकर आंशिक रूप से ही हैं, इसलिये वे अन्य कार्यों, राजनीतिक अथवा दूसरे, में भाग लेने के लिये स्वतंत्र हैं।

†**श्री राज बहादुर** : बात यह है कि यह चीज अभी गृह-कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है। हमें इस बात पर निर्णय लेना है कि वे पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं। वास्तव में वे पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी नहीं हैं किन्तु उन पर कुछ नियम लागू होते हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यह प्रश्न किसी पंचायत निर्वाचन के समय सामने आया था तथा कुछ मामलों में निर्वाचन लड़ने की अनुमति दे दी गयी--केवल इन अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को, नियमित विभागीय कर्मचारियों को नहीं। यहाँ हमारा सम्बन्ध विभागीय कर्मचारियों से ही है, अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से नहीं। उनका प्रश्न भिन्न है।

श्रीमती इला पालचौधरी ने डाकघरों की इमारतों की खराब हालत के बारे में कहा, विशेषकर जिलों तथा छोटे नगरों में। मैं यही कह सकता हूँ कि इमारतों को देखने-भालने के प्रश्न पर हमने भरसक प्रयत्न किया है। निर्माण कार्य में प्रगति करने के लिये भी हमने कदम उठाये हैं। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के साथ एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार संचार मंत्रालय का सारा इमारती काम करने के लिये एक भिन्न इंजीनियरिंग डिवीजन खोला जायेगा। अब तक जो तीन मुख्य इंजीनियर हमारे काम को देख रहे थे उनके स्थान पर एक पृथक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर हमारे काम की देखभाल करेगा। सभा में गत वर्ष जो सुझाव दिये गये थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुये हमने यह कदम उठाया है। मेरा ख्याल है कि यह विशेष कर श्री भक्त दर्शन का सुझाव था। अब हमारे पास यह प्रबन्ध है, जिससे हमारे पृथक एक्ज़ेक्यूटिव इंजीनियरों का डिवीजन डाक व तार, उड्डयन, ऋतु विज्ञान तथा समुद्र पार संचार सेवा सम्बन्धी इमारतों के निर्माण के लिये संचार डिवीज़न के अंतर्गत होगा। मुझे आशा है कि सदन की आकांक्षाओं की इससे पूर्ति होगी और डाक व तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा बार-बार की गयी माँगो का भी समाधान होगा।

श्रीमती इला पालचौधरी ने एर्नाकुलम में एक विशिष्ट मामले में पुलिस की ज्यादतियों का जिक्र किया। जब मैं एर्नाकुलम गया था तो श्री ए० एम० थामस ने भी मुझे यह मामला बताया था। मैं यही कह सकता हूँ कि ताँबे के तार की चोरी बार-बार होती रही है। यदि कोई पकड़ा जाता है, तो जिस सीमा तक कानून इज़ाजत देता है वहाँ तक ही कानून के हाथ पहुंच सकते हैं। यदि कोई ज्यादतियां हुई हैं तो जो लोग इसके शिकार हुये हैं हम उनकी सहायता को जायेंगे। किन्तु फिर भी प्रश्न रहता है कि ज्यादतियां की गयी हैं या नहीं, और इसे सिद्ध करना है। फिर, इसका वादस्थल क्या हो? निश्चय ही यह स्थल संचार मंत्रालय नहीं हो सकता। हम यह देख सकते हैं कि पुलिस निर्दोष कर्मचारी को नहीं पकड़े, किन्तु यदि पुलिस को संदेह है और उस कर्मचारी को पकड़ने के लिये उसके पास दिखाने को साक्ष्य है, तो हम रास्ते में नहीं आ सकते। तब कानून को अपना रास्ता लेना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

२५० महिला कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रादेशिक सेना से स्फीपन दिये जाने का भी ज़िक्र किया गया था। उनकी ओर से यह कहा गया था कि उन्हें प्रादेशिक सेना में भर्ती से छूट दी जाये। मैं कहूँगा कि वर्त्तमान भारत में बहनों और भाइयों को देश की रक्षा के लिये एक साथ मिलकर काम करना चाहिये। इसलिये माननीय महिला सदस्य से, जिन्होंने इस प्रश्न को उठाया था, मेरा निवेदन है कि हमारी बहनों को बहादुर बनाने के लिये तथा देश की रक्षा के लिये तैयार रहने के लिये प्रेरित करें। इसलिये स्तीफे का प्रश्न नहीं उठता और यह प्रस्ताव हमें ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे आशा है कि बंगाल की बहनें भी हमारी पंजाब की बहनों की तरह आगे बढ़ेंगी तथा देश की रक्षा में उतनी ही बहादुरी से भाग लेंगी जितनी कि किसी भी अन्य देश की महिलाएँ।

माननीय महिला सदस्या ने यह भी कहा कि आकस्मिक छुट्टी असम्भव हो गयी है। इस सम्बन्ध में वे कृपया मुझे विशिष्ट मामले बतलाएँ।

श्री केशव अय्यंगार ने चलते-फिरते डाकघरों के सम्बन्ध में कुछ कहा। यह प्रयोग हम कर चुके हैं। दुर्भाग्यवश, यह आशानुसार सफल नहीं हुआ। यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रयोग फिर प्रारम्भ किया जायेगा या नहीं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गाँव को टेलीफोन प्रदान किया जाना चाहिये तथा पुलिस द्वारा प्रयुक्त चलती-बोलती प्रणाली का भी लाभ उठाया जाना चाहिये। जहाँ तक गाँवों को टेलीफोन सुविधाएँ प्रदान किये जाने का प्रश्न है, हमें अनेक गाँवों में अभी डाकघर स्थापित करने हैं और कितनी ही तहसीलों में तार की सुविधाएँ प्रदान करनी हैं। लेकिन मुझे आशा है कि एक दिन आएगा जब कि भारत के सब गाँवों में टेलीफोन सुविधाएँ होंगी। किन्तु वह दिन अभी कुछ दूर है।

अब मैं संसद-सदस्यों के लिये मुफ्त वायु-यात्रा के सम्बन्ध में कहूँगा।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं उन्हीं शर्तों पर यह प्रस्ताव मानने को तैयार हूँ जिन पर रेलवे ने माना है।

†**श्री राज बहादुर** : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता। किन्तु माननीय सदस्यों को पदाधिकारियों पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिये। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि वे उतने ही देशभक्त हैं जितना कि हम में से और कोई। चपरासी से लेकर सचिव तक किसी ने भी कोई गलती की हो तो उसकी जिम्मेवारी हम मंत्रियों पर है, वह उन लोगों के कंधों पर न रक्खी जाये जो अपनी सचाई पेश करने के लिये यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

श्री अचल सिंह ने आगरे में मीटर प्रथा चलाने का विरोध किया। मैं बतला दूं कि आगरे में अधिकतर लोगों द्वारा इसका स्वागत किया गया है क्योंकि टेलीफोन कॉल की संख्या के अनुसार बिल होने के कारण यह सस्ता पड़ता है। केवल व्यापारिक लोगों को शिकायत है। मुझे आशा है कि यथासमय वे भी इसे अधिक युक्तियुक्त तथा उचित पायेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी फोनोग्राम सर्विस के सम्बन्ध में बहुत रुष्ट थे। मैं उन्हें कुछ आँकड़े देना चाहता हूँ जो आशा है उनके लिये दिलचस्प होंगे। १ मार्च, १९५५ से २९ फरवरी, १९५६ तक दिल्ली केन्द्रीय तार घर ने फानोग्रामों की यह संख्या व्यवहृत की 'ए' श्रेणी—१४,४३६; 'बी' श्रेणी—१४,८५३ उक्त काल में प्राप्त लिखित शिकायतों की संख्या उपरोक्त फोनोग्रामों की संख्या को देखते हुये नहीं के बराबर थी। जो भी शिकायतें प्राप्त हुईं उन पर तत्काल ध्यान दिया गया। हाल में फोनोग्राम लाइनों की संख्या में भी वृद्धि की गयी है और आशा है भविष्य में शिकायत का कोई मामला नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर].

श्री त्रिवेदी को यह सूचित करते हुये भी मुझे हर्ष है कि बम्बई में जो पदाधिकारी सी० टी० ओ० (केन्द्रीय तार घर) की देखरेख के लिये था उसका दिल्ली में सी० टी० टी० के रूप में तबादला कर दिया गया है और मुझे आशा है कि उससे कुछ सीमा तक बम्बई से दिल्ली तबादला किये जाने की माँग पूरी हो गयी है ।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि 'अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो' स्कीम असफल रही है। मैं उन्हें बतला दूं कि १ मार्च तक २२,९९० अर्जियाँ प्राप्त हुई थीं तथा ५,२८,५८,५०० रु० संकलित किये गये । जहाँ तक बम्बई का सम्बन्ध है, हमने अधिकतर माँगों को पूरा कर दिया है। माननीय सदस्य बम्बई का जिक्र कर रहे थे। वहाँ ८,४८२ अर्जियाँ प्राप्त हुई थीं। जिनमें से ७,८९५ को टेलीफोन दिया गया । जहाँ टेलीफोन कनेक्शन देना सम्भव नहीं था उन मामलों में जमा की हुई राशि वापस कर दी गयी अर्थात् १९४ व्यक्तियों को । निलम्बित अर्जियों की संख्या केवल ३९३ है । मुझे आशा है कि उस माँग को भी शीघ्र ही पूरा किया जा सकेगा ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : सन् १९५१ की भी जमा हुई राशियों पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसी चीज नहीं है । मैं उन्हें बम्बई में हुये विस्तार के सम्बन्ध में बतला सकता हूँ । सन् १९४७ में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या २०,००० थी । १ जनवरी, १९५६ तक यह बढ़ कर ३२,१११ हो गयी जो ६० प्रतिशत की वृद्धि है । अब हमारी योजना बम्बई में ४०,००० अतिरिक्त लाइनें लगाने तथा १२,००० लाइनों को बदलने की योजना है जिसमें १२ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इसलिये मैं समझता हूँ कि बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों की तथा ट्रंक कौल्स की कठिनाई समाप्त हो जायेगी ।

श्री त्रिवेदी ने जोधपुर में डाक ले जाने की प्रणाली का जिक्र किया । मैं उन्हें बता चुका हूँ कि डाक साइकिल पर ले जाई जाती है, सर पर लाद कर नहीं । हम इस प्रयोजन के लिये डाक मोटर गाड़ी चालू करने का विचार कर रहे हैं ।

राजस्थान को छोड़ कर दिल्ली तथा अन्य राज्यों से लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि संविधान भारत के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति को—कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक—केन्द्रीय सरकार में आवेदन-पत्र भेजने की पूरी स्वतंत्रता है । यदि दिल्ली अथवा पंजाब के लोग परीक्षाओं में सफल हो जाएँ तो राजस्थान के लोगों को उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । उन्हें अधिक योग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या माननीय मंत्री इस तथ्य की जाँच करेंगे कि जिनको ४४ प्रतिशत अंक मिले हैं उन्हें ले लिया गया जब कि ५७ प्रतिशत अंक पाने वाले छोड़ दिये गये ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशिष्ट मामला बतलायें तो बड़ी खुशी से मैं उसमें जाँच करूँगा । प्रथा यह है कि न केवल परिणाम मौखिक रूप से घोषित किये जाते हैं वरन् सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर भी लगाये जाते हैं । अंक भी दिये जाते हैं । जो कोई यह दावा करे कि चुने गये व्यक्ति उसे अधिक अंक मिले हैं वह गलती बता सकता है और उत्तरदायी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है । यदि किसी सुधार का सुझाव हो तो मैं उसका स्वागत करता हूँ ।

डाक उठाने और उसके ले जाने के बारे में मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूँ कि कुछ समय में हम इस पर विचार करेंगे । हमने पहले ही इस प्रश्न का परीक्षण कर लिया है और यह देखा गया कि

†मूल अंग्रेजी में

कठिनाइयों को देखते हुये यह व्यवहार्य नहीं होगा । उसमें दोनों के लिये ही, अर्थात् डाक उठाने वाले डाक-कर्मचारी और उसे ले जाने वाले व्यक्ति के लिये जबकि गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही हो, कुछ जोखिम है । गत वर्ष भी उन्होंने यही बात कही थी । मेरे विचार से हमें इसके लिये ठहरना पड़ेगा ।

श्री एम० डी० जोशी ने यह शिकायत की है न मैं और न मेरे वरिष्ठ सहयोगी उनके जिले में गये हैं । मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि हममें से कोई न कोई वहाँ आकर वहाँ की हालत देखेगा । उन्होंने जो कुछ कहा है हम उसे ध्यान में रखेंगे । डाकियों की कमी के बारे में भी मैं केवल यही बात कह सकता हूँ ।

टेलीफोन मंत्रणा समिति के सम्बन्ध में, जब कभी समिति बनायी जाती है, हम उस क्षेत्र के संसद् सदस्य को नियुक्त करते हैं । राज्य सरकारें विधान सभा के सदस्यों की सिफारिश करती हैं । वाणिज्य मंडल, शरणार्थी संघ, डाक्टरगण आदि लोगों को चुनते हैं और सिफारिश करते हैं और हम उनका नाम निर्देश करते हैं । जहाँ तक संसद् सदस्य का सम्बन्ध है, हमने यह सिद्धान्त बनाया है कि हम टेलीफोन मंत्रणा समिति में उस विशिष्ट नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्य को रखेंगे ।

हमने हिन्दी के विषय में क्या किया है इस बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा । श्री केशव अय्यंगार के दृष्टिकोण और उनकी सलाह को मैंने सहर्ष ध्यान में रखा है । हम परीक्षण करेंगे कि उनके सुझाव कहाँ तक कार्यान्वित किये जा सकते हैं । हिन्दी तार सेवाओं में विस्तार किया गया है । ३१-३-५५ को ६५१ हिन्दी तारघर काम कर रहे थे, अब उनकी संख्या ७६६ है अर्थात् ११ महीनों में ११५ तार-घरों की वृद्धि हुई है । हिन्दी तार डाक के काम में तार भेजने वालों को प्रशिक्षित किया गया है और अनेक तारघरों में हिन्दी तार सेवा चालू की गयी है । मद्रास, बम्बई और नई दिल्ली के बीच हिन्दी तार डाक सेवा चल रही थी और अब वह मद्रास तथा कलकत्ता के बीच भी चालू की गयी है । जहाँ हिन्दी तार निबटाने के लिये पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं, उन सभी कार्यालयों में काम के घंटे बढ़ाने के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी सफलताओं का जहां तक सम्बन्ध है, हमने १८,९०० डाकघर खोले हैं जब कि योजना केवल १८,००० डाकघर खोलने की थी । उसी प्रकार १२०० नये तारघर खोलने की योजना होते हुये हमने १,२८८ तारघर खोले हैं । उस हद तक हम लक्ष्य से आगे बढ़ गये हैं । टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में हमने १३०,००० कनेक्शन की योजना बनायी थी किन्तु हम केवल १००,००० कनेक्शन ही लगा सके । सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के सम्बन्ध में ६६० कार्यालयों की योजना थी किन्तु हमने लंबी दूरी के ८२४ कार्यालय स्थापित किये हैं । एक ही नगर में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के सम्बन्ध में हमारी योजना १,००० थी किन्तु हमने १,३०२ कार्यालय खोले हैं । दूसरी योजना में १८,००० डाकघर खोलने और १८०,००० टेलीफोन लगाने का हमारा विचार है । दूसरी योजना के लिये ये आंकड़े अभी अस्थायी हैं और सम्बन्धित विभाग, योजना आयोग तथा इस सदन को उस पर अभी अन्तिम निर्णय देना है ।

मेरा निवेदन है कि डाकतार विभाग के कर्मचारीगण और विभाग बड़ी कार्यकुशलता और संतोषपूर्ण तरीके से काम करते रहे हैं और मुझे आशा है कि आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से वे अधिक अच्छा काम करेंगे ।

†**सभापति महोदय** : समय अब कम रह गया है । माननीय सदस्य दस-दस मिनट के लिये ही बोलें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन और डाक-तार विभाग के सरकारी कर्मचारियों की स्थिति की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा में काम करने वाले इन कर्मचारियों को वहाँ उपलब्ध सब से बुरे ढंग के संचार साधनों के कारण बहुत कठिनाई होती है। अत्यंत आवश्यक वस्तुएँ तक उन्हें नहीं मिलतीं और यदि मिलती भी हैं तो बहुत ज्यादा ऊंचे दाम पर। रेलवे में अनेक अवरोधों के कारण इन कर्मचारियों को अपनी चीजें हवाई जहाज से मंगानी पड़ती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि इन्हें प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जाये। त्रिपुरा और अगरतला में काम करने वाले पदाधिकारियों को तो कुछ प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जा रहा है किन्तु आसाम और मनीपुर में डाक-तार और एअरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता। इन लोगों को सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिलचर, अगरतला और इम्फाल में उन्हें अपनी आवश्यक वस्तुयें कलकत्ते से हवाई जहाज से मंगवानी पड़ती हैं। किन्तु हवाई जहाज का माल भाड़ा बहुत ही ऊँचा होता है और इस कारण अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बहुत ऊँचे होते हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि सामान्य जनता के उपयोग के लिये जो चीजें हवाई जहाज से लायी जाती हैं उन पर माल भाड़ा कम किया जाये। इससे सामान्य जनता और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, दोनों को ही लाभ होगा। विशेष कर सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवारों के भरणपोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिये कुछ सुविधाएँ देने के हेतु माननीय मंत्री उनके लिये कुछ भत्ते निर्धारित कर दें।

देश के उस भाग में लोग अधिकतर रेलवे का उपयोग नहीं करते और सिलचर, अगरतला, इम्फाल, गौहाटी जैसे स्थानों से लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि हवाई जहाजों का सवारी भाड़ा भी कम कर दिया जाये। इससे शिलांग, इम्फाल, मनीपुर आदि को जाने वाले दर्शकयात्रियों को भी लाभ होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आगे आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा मैदानी क्षेत्रों में काम करने वालों की अपेक्षा अधिक खराब है। वहाँ कोई संचार साधन नहीं है और इस कारण पहाड़ों के भीतरी क्षेत्रों में अत्यावश्यक वस्तुएँ बहुत देर से पहुँचती है और उनके मूल्य भी बहुत ऊँचे हैं। वहाँ लोग प्रायः कालाजार बुखार से पीड़ित हैं। इसलिये इस क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को सामान्य भत्ते के अलावा एक विशेष भत्ता दिया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जंगली क्षेत्रों में भी काम करते हैं जहाँ जंगली और भयानक जानवर होते हैं इसलिये उन्हें शस्त्रास्त्र, मोटरगाड़ियाँ, और उनके स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा-सुविधाएँ भी दी जानी चाहियें।

देश के उस भाग में विशेषकर वर्षा और तूफान के मौसम में लगातार कई दिनों तक कोई समाचार या तार नहीं मिलते और न कहीं तार भेजे जा सकते हैं। इसलिये माननीय मंत्री से मेरी विशेष प्रार्थना है कि वहाँ खासकर इम्फाल, अगरतला, शिलांग, और नेफा के कुछ भागों में बेतार के और अधिक स्टेशन बनाये जांये।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : आप संथाल जिला भी शामिल कर लीजिये।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तूफान और वर्षा की ऋतु में वहां संचार साधन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। यदि तुलिहाल में एक हवाई अड्डा बनाया जाये, जैसा कि आप का विचार

†मूल अंग्रेजी में

है, तो मनीपुर राज्य को जाने वाली सामान्य जनता की कठिनाई दूर हो जायगी। अतः यह हवाई अड्डा यथासंभव शीघ्र बनाया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं डाक-तार मंत्रणा बोर्ड की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस बोर्ड ने पर्याप्त और बहुत अच्छी सेवा की है। पहाड़ियों के भीतरी क्षेत्रों में कई डाकखाने खोले गये हैं और उखरूल, नमेलंग, और चुराचनपुर जैसे भागों में तारघर खोलने का विचार है। यदि ये खोल दिये जाँयें तो मेरे विचार से इन पहाड़ी लोगों को अपने सम्बन्धियों को तार भेजने में बड़ी सुविधा होगी। किन्तु तारघर खोलने में मुझे और बोर्ड को यह कठिनाई दिखायी पड़ी कि धनराशि की मंजूरी में बहुत देर लगती है। अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि देश के उस भाग में डाकखानों और तारघरों के लिये कुछ धनराशि मंजूर कर दें। साथ ही इन तारघरों के लिये आवश्यक सामान भी तुरंत दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि मनीपुर में डाकखाने की इमारत बहुत पहले ही गिरा दी गयी थी किन्तु अब तक कोई दूसरी इमारत नहीं बनायी गयी है। किराये पर लिये हुये मकान में जगह काफी नहीं है जिस कारण वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और सामान्य जनता को भी बड़ी असुविधा होती है। इस लिये माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें कि यथासंभव शीघ्र एक इमारत बनायी जाये।

मैं तुलिहाल, शिलांग और नौगांग में भी नये हवाई अड्डों का विस्तार चाहता हूँ। इन स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने के लिये जो कोई धनराशि मंजूर की गई है मैं उसके लिये सरकार को धन्यवाद दूंगा।

मनीपुर के दर्शकों को वर्षाकाल में वहाँ बहुत रुकना पड़ता है क्योंकि सरकार जिस हवाई अड्डे का उपयोग करती है वह केवल सैनिक प्रयोजनों के लिये ही है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुलिहाल में नया हवाई अड्डा शीघ्र बनना चाहिये।

†**श्री वीरस्वामी** (मयूरम्-रक्षित-अनुसूचित जातियाँ) : यह संतोष का विषय है कि संचार मंत्री ने पत्रों पर मुहर लगाने की पद्धति में अस्पृश्यता-निवारण के दो नारे छापने की प्रथा चालू की है। इससे पत्र देखने वाले और मुहर लगाने वाले, दोनों को ही प्रेरणा मिलेगी और कुछ हद तक अस्पृश्यता दूर हो जायेगी। किन्तु ये नारे बहुत ही कम डाकखानों में और बहुत कम बार लगाये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि सभी महत्वपूर्ण नगरों के डाकखानों में और वह भी प्रायः ये नारे छापे जांयें।

मेरा अगला सुझाव यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने भी नये डाकखाने खोले जायें वे सभी अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों में खोले जायें और सवर्ण हिन्दू तथा अन्य लोग पोस्ट कार्ड और अन्य चीजें वहाँ खरीदने के लिये जायें। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

अभी पोस्ट कार्ड में कुछ हिन्दी शब्द जैसे नाम, डाकखाना, जिला आदि छापे जाते हैं। पोस्ट कार्ड में उससे काफी जगह घिर जाती है। वे शब्द बिलकुल अनावश्यक हैं और मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि वे शब्द न छापे जायें।

अब मैं डाक कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों के बारे में कहूँगा। संचार मंत्रालय में मंत्री ने वाद-विवाद के दौरान में बताया कि डाक कर्मचारी अपना काम उचित रीति से कर रहे हैं, और आशा प्रकट की कि वे भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। मैं कहता हूँ कि विभाग को भी कम वेतन वाले कर्मचारियों के प्रति अपना काम अच्छी तरह करना चाहिये। अधिकतम और न्यूनतम वेतन में बहुत अधिक असमानता है। यह ठीक है कि चपरासियों को अब वर्ग ४ के पदाधिकारी कहा जाने लगा है किन्तु केवल शानदार नाम से गरीब कर्मचारियों को अधिक अच्छा खाना-कपड़ा नहीं मिलेगा।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वीरस्वामी]

विशेष रियायती टिकटों की सुविधा एक साल तक हमारे देश में लागू होती रही किन्तु बाद में वह वापस ले ली गयी और यह कहा गया कि वह अस्थायी रूप में वापस ली जा रही है और वह फिर चालू की जायेगी। केन्द्रीय वेतन-आयोग ने भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जानी चाहिये। किन्तु आज तक उसे पुनः चालू नहीं किया गया है। माननीय मंत्री से मेरी अपील है कि उसे पुनः चालू करने की वांछनीयता पर वे विचार करें जिससे कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी और डाक कर्मचारी छुट्टी की अवधि में यात्रा कर सके। जब रेलवे कर्मचारियों को ये सुविधाएँ दी जाती हैं तब डाक कर्मचारियों को ऐसी ही सुविधाएँ क्यों न दी जायें ?

मेरा अगला सुझाव यह है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये भी कुछ भत्ता दिया जाये। १९५२ में भी मैंने यह निर्देश किया था कि फ्रांस में फ्रांसीसी कर्मचारियों के बच्चों के लिये भत्ता दिया जाता है। कल्याण राज्य और समाजवादी राज्य की स्थापना के समय हमें यह न भूलना चाहिये कि अधिकतम और न्यूनतम वेतन में कितना बड़ा अन्तर है। यद्यपि एकाएक यह अंतर दूर नहीं किया जा सकता, फिर भी कम से कम कुछ भत्ता तो सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये दिया जा सकता है।

मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में, गाडगील समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप जिनके अनुसार मंहगाई भत्ते का कुछ भाग वेतन में मिला दिया गया था, मकान किराया भत्ता घटा दिया गया है। इस कारण 'सी' श्रेणी के स्टेशनों के, जैसे मदुराई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, बडौदा, कोलाट, गया, कालीकट, तिहनेलवेली, शिलांग, अम्बाला इत्यादि जिनकी जनसंख्या १ लाख से ५ लाख के बीच है, डाक कर्मचारियों को हानि हुई है। यदि मंहगाई भत्ते को बढ़ाकर फिर उसका कुछ भाग मिला दिया गया होता, तब मकान किराया भत्ता कम करने की बात कुछ समझ में आती। वास्तव में मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और इसलिये यह बहुत अनुचित बात है कि विभाग ने उनका मकान किराया भत्ता कम कर दिया है।

आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन लोगों की डाक्टरी परीक्षा करने की बुरी पद्धति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो अपनी सेवा बढ़ाने के लिये आवेदन करते हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि कोटराकारा के सब-पोस्टमास्टर बर्नार्ड विटले की उसी दिन मृत्यु हो गयी जिस रोज वे डाक्टरी परीक्षा के लिये अस्पताल गये। मैं पूछता हूँ कि इन लोगों को डाक्टरी परीक्षा के लिये क्यों भेजा जाये। जब वे सेवा के विस्तार के लिये आवेदन करते हैं तब सरकार उनकी सेवा चाहे तो बढ़ा सकती है अथवा नहीं भी। यह बिलकुल अनुचित है और असभ्यतापूर्ण है कि उन्हें डाक्टरी परीक्षा के लिये जाने को कहा जाये। अतः यह बिल्कुल उचित नहीं है कि सरकार वृद्ध लोगों को डाक्टरी परीक्षा के लिये भेजे।

अन्त में सभा से और संचार मंत्री से मेरी अपील है कि वे इन शिकायतों और मांगों पर विचार करें और उन कर्मचारियों के संतोष और काम के लिये अनुकूल कार्यवाही करें, जो देश की डाक सेवाओं के विकास के लिये यथाशक्ति अधिक प्रयत्न करते रहे हैं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल, पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर, उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं क्योंकि जब इतने सदस्य बोलना चाह रहे हैं उस समय भी आपने मुझे बोलने का समय दे दिया। मुझे अफसोस है कि मैं आप का समय ले रही हूं क्योंकि हो सकता है दूसरे माननीय सदस्य मुझ से ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कहते। लेकिन जो आपने समय दिया है उसके लिये मैं फिर आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अपना भाषण जल्दी ही समाप्त कर दूंगी। मुझे कुछ थोड़ी सी ही बातें सदन के सामने रखनी हैं।

सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं क्योंकि मेरी जो भी मांगें थीं उनको उन्होंने लगभग पूरा कर दिया है। लेकिन फिर भी मांगने वाले का पेट नहीं भरता, इसलिये मैं थोड़ी सी मांगें उनके सामने और रखना चाहती हूं।

पहली बात मुझे यह कहनी है कि दिल्ली के डाकखानों में बड़ी भीड़ होती है और रजिस्ट्री कराने को या टिकट लेने को आदमियों को बड़े लम्बे लम्बे क्यू (लाइन) लगाने पड़ते हैं। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। अगर यहां स्टाफ बढ़ाया जाय तो उससे लोगों को बहुत ही फायदा हो।

अब मैं अपने जिले की तरफ जाती हूं। वहां हमारे डाक ले जाने वाले काफी नहीं हैं। उनका स्टाफ बढ़ाया जाय तो उससे हम लोगों को बहुत सुविधा हो सकती है। अभी एक एक डाक ले जाने वाले को १५ या २० मील रोज चलना पड़ता है। और जब वह नहीं चल पाता तो डाक समय पर नहीं पहुंचती और उन पहाड़ियों को जो अपने पत्रों के लिये दूर दूर से आते हैं बड़ी निराशा होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन गरीब लोगों के इस कष्ट को दूर करने के लिये यह स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मेरे जिले में नारी शिशु केन्द्र, समाज कल्याण केन्द्र आदि ६ केन्द्र खुले हैं। अगर हमको वहां पर ६ रेडियो सैटों के लिये लाइसेंस मिल जाय तो मैं मंत्री महोदय का बहुत उपकार मानूंगी।

पहाड़ों में आने जाने की कठिनाइयों को देखते हुये मेरा निवेदन है कि उस इलाके में डाक ले जाने वालों का वेतन बढ़ाया जाये। उनका वेतन बहुत कम है। अगर आप उनका वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि उनको हिल एलाउंस दिया जाय और उनको प्रॉवीडेंट फंड आदि के रूप म कुछ दिया जाये। मैं जानती हूं कि इस समय सरकार बहुत बड़े बड़े खर्च कर रही है और इस लिये सरकार का खर्च बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ सरकार करों आदि के द्वारा अपनी आमदनी भी बढ़ा रही है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से सरकार और कामों के लिये रुपया खर्च कर रही है उसी प्रकार इन गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाकर इनके कष्ट कम करने के ऊपर भी विचार करेगी। मेरा निवेदन है कि उनको किसी न किसी रूप में कुछ मिलना चाहिये। उनके रहने के लिये स्थान नहीं होता। और मैंने देखा है कि वे अपना काम करके डाक-बंगलों के बरामदों में पड़ रहते हैं। उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। जैसा कि अभी मेरे एक भाई ने कहा था कि जो रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा इस विभाग के कर्मचारियों के मकान बनाने के लिये मंजूर किया जाता है उसके मिलने में बहुत देर लग जाती है और इन लोगों के लिये मकान नहीं बन पाते। इस कारण उन लोगों को बड़ा कष्ट रहता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

एक और मेरा सजेशन (प्रस्ताव) है। वह यह कि तार की व्यवस्था के अतिरिक्त हमको कम्युनिकेटिव रेडियो सैट्स की भी व्यवस्था करनी चाहिये। हमारे यहां बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां वर्षा आदि में डाक से पत्र पहुंचना कठिन होता है और तार के खम्बे लगाने में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसी जगहों पर समाचार भेजने का काम इन रेडियो सैटों से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये हमारी सुरक्षा के लिये भी काम में आ सकते हैं। अगर किसी समय समाचार भेजने के और साधन काम में न लाये जा सकें उस समय इनसे काम लिया जा सकता है और समाचार एक से दूसरे को भेजा जा सकता है। जैसा कि इस समय हमको पाकिस्तान की तरफ से खतरा हुआ था वैसे समय में हम इन से काम ले सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इन सैटों का प्रबन्ध करेंगे तो एक पत्थर से हम दो चिड़ियां मारेंगे। हमारी सुरक्षा के काम भी ये आ सकेंगे और इनके द्वारा हम अपने समाचार भी ऐसी जगहों में भेज सकेंगे जहां साधारण साधन उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहना चाहा था हमको ऐसा काम अवश्य करना चाहिये जिससे दो लाभ हों। जैसे कि अगर हम सिपाहियों को रखते हैं तो उससे एक लाभ तो यह

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

होता है कि हमारी बेकारी की समस्या किसी हद तक हल होती है और दूसरी ओर हमारी सुरक्षा भी होती है। इसी प्रकार यह कम्यूनिकेटिव रेडियो सैट हमारे लिये लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि मेरे सुझावों पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

†**पंडित एस० सी० मिश्र** (मुंगेर–उत्तर-पूर्व): मैं माननीय मंत्री द्वारा डाक तथा तार सेवाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाणिज्यिक पहलू से सर्वथा सहमत हूं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं इसे एक धनोपार्जन विभाग बनाने के पक्ष में हूं। यदि इसको जितना व्यय उतनी आय के आधार पर रखा जायेगा तो मेरा विचार है कि इससे राष्ट्र तथा सरकार दोनों की सेवा होगी। मेरा विचार है कि डाक विभाग को राज्यकोष से केवल वही धन मिलना चाहिये जो उसने पूंजी के रूप में लगाई हो तथा इससे अधिक के लिये उसे स्वयं व्यवस्था करनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि कर्मचारियों की सुविधाओं को कम न करके भी विभाग के कुछ कार्यों में वैज्ञानिकन किया जा सकता है तथा व्यय कम किया जा सकता है परन्तु फिर भी माननीय मंत्री के सामने कठिनाइयां आती होगीं तथा उन्हीं के लिये मैं उनको कुछ सुझाव देता हूं।

यह बताया गया है कि देहातों में कितने ही डाकखाने खोले गये हैं। परन्तु मैंने एक क्षेत्र में देखा कि डाक आने के तीन तरीके हैं। मैंने दो डाकखानों को देखा जहां गंगा के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर से डाक आती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक डाकखाना १९५२ में खोला गया था तथा दूसरा १९५४ में। यदि इसमें वैज्ञानिकन किया जाये तो केवल डाकखानों के संचालन में ही सुधार ही न हो अपितु व्यय भी कम हो जाये।

मैंने और भी गड़बड़ी देखी हैं। ४०० आदमियों की आबादी वाले गांव में डाकखाना है परन्तु ३०० आदमियों की आबादी वाले गांवों में कोई डाक्खाना नही है मैंने नियम पढ़े तो मुझे ज्ञात हुआ कि तीन मील से कम दूर पर बसें गांवों में नये डाकखाने नहीं खोले जायेंगे परन्तु आप पुराने डाकखानें को ही अधिक आबादी वाले गांव में ले जा सकते हैं। और इससे डाक खाने की आय बढ़ेगी। यह इसलिये नहीं किया गया क्योंकि मंत्रालय के पदाधिकारी उचित भावना से इस पर विचार नहीं करते हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : यह चीज समझ में आ सकती है।

†**पंडित एस० सी० मिश्र** : यह बात सराहनीय है कि माननीय मंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की गलतियों को अपनी गलती समझ लेते हैं। परन्तु सर्वदा ऐसा होता रहा तो पदाधिकारी निश्चित हो जायेंगे कि उनकी गलती तो मंत्री महोदय अपनी गलती मान लेते हैं इसलिये भय की कोई बात ही नहीं है। इसलिये इस पद्धति में परिवर्तन आवश्यक है।

समय कम होने के कारण मैं केवल कुछ सुझाव ही पेश करूंगा। हमारे सामने प्रस्तुत तार तथा टेलिफोन के प्रतिवेदन से यह जानकारी होती है कि टेलिफोन विभाग आत्म-निर्भर है। तार व्यर्थ हो गये हैं। तार के ५० में से ३० मामलों में तार बेकार ही रहते हैं। यदि इसमें सुधार किया जाये तो निश्चित रूप से आय बढ़ जायेगी।

अतिरिक्त वैभागिक पदाधिकारियों तथा कार्यालयों के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है कि उनके वेतन कम हैं। बहुत से अतिरिक्त वैभागिक कर्मचारी अपने वेतन को निवृत्ति वेतन समझते हैं तथा दिन में एक घंटा भी काम नहीं करते हैं। गांव के डाकखानों में ऐसा ही होता है।

मेरा एक सुझाव ग्राम्य पंचायतों के सम्बन्ध में हैं। यह गबन आदि पर ध्यान दें। तथा व्यय को कम करने के तरीके निकालें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरा सुझाव है कि एक केंद्रीय नियन्त्रण कुछ कड़ा हो जिससे माननीय मंत्री को समस्त देश के सम्बन्ध में जानकारी रहे ।

†**श्री एस० एल० सक्सेना** : मैं अपने इलाके की कुछ शिकायतें माननीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं आपके बोले बिना ही उचित शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री एस० एल० सक्सेना** : मैं यह कहना चाहता हूं कि २४ लाख की आबादी वाले गोरखपुर जिले में केवल ३ अथवा ४ सार्वजनिक टेलिफोन कार्यालय हैं । देवरिया तथा बस्ती जिलों का भी यही हाल है तथा कुछ तहसील मुख्यालयों में तो तारघर भी नहीं हैं । कई स्थानों पर तो वर्तमान डाकखानों से १० अथवा १५ मील दूर होने पर भी कोई डाकखाना नहीं है ।

मैंने गोरखपुर नगर के डाकखाने के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । पहले एक नीची सतह की भूमि डाकखाना बनाने के लिये चुनी गई थी । मैंने इस मामले में दिलचस्पी ली और अन्य दो सुन्दर स्थान छांटे गये परन्तु छः मास बीत गये हैं अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है । मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री केस पर ध्यान दें । साथ ही साथ कर्मचारियों के निवास स्थान की भी व्यवस्था करनी चाहिये ।

डाकखानों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पर्याप्त कहा गया है । मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें । विमान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दिया जाता है । मेरा भी यही विचार है । सबसे अन्त में, मैं विमान कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों की सराहना करता हूं तथा आशा करता हूं कि कर्मचारियों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री जगजीवन राम** : प्रारम्भ में मैं, सभा के सदस्यों द्वारा मेरे मंत्रालय तथा मेरे अधीन विभिन्न विभागों के प्रति, कहे गये उदार शब्दों के लिये, धंन्यवाद, प्रकट करता हूं ।

मुख्य विभाग अथवा वह डाक-तार विभाग जिसका जनता से अधिक सम्पर्क है, के सम्बन्ध में मेरे साथी पहले ही बता चुके हैं । यही एक विभाग है जो ऊंचे से ऊंचे तथा नीचे से नीचे और अमीर एवं गरीब, बकार तथा कारबार से लगे हुये सभी व्यक्तियों की सेवा करता है । (**अन्तर्बाधा**) विभाग की गतिविधियां देश के कोने-कोने में फैली हुई हैं । आप इस विभाग का महत्व तथा उपयोग समझ सकते हैं । इस विभाग के सम्बन्ध में मेरे साथी बता चुके हैं, इसलिये मैं विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कहूंगा ।

मैं अन्य विभागों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । अन्तरिक्ष शास्त्रीय के सम्बन्ध में जनता अधिक नहीं जानती है क्योंकि यह बहुत प्रविधिक तथा वैज्ञानिक विभाग है । परन्तु यह जो जनता की सेवा करता है वह अमूल्य है । ऋतु विज्ञान विभाग की सहायता बिना, न तो कोई विमान ही उड़ सकता है तथा न ही कोई जहाज चल सकता है । मिनट-मिनट पर विमानों को सूचना दी जाती है । महासागर तथा सागर में चलते हुये जहाजों को संक्षेप में मौसम का हाल बताया जाता है तथा यह सब काम ऋतु विज्ञान विभाग करता है ।

इस विभाग का एक पहलू कृषि सम्बन्धी ऋतु-विज्ञान है तथा इस विभाग में हमने, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की बहुत सहकारिता तथा समन्वयता से काम किया है । वे कुछ कृषि गवेषणा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

के लिये खर्चे का कुछ अनुदान देते हैं तथा कृषि सम्बन्धी ऋतु-विज्ञान कार्य के लिये उत्तम पदाधिकारी तथा वैज्ञानिक, हमारे पास हैं। ऋतु-विज्ञान विभाग के सन्देशों का प्रचार करना एक समस्या है। मैं मानता हूं कि हम अभी तक इस समस्या को नहीं सुलझा पाये हैं। श्री जोशी, मेरे मित्र ने शिकायत की कि सन्देशों का प्रसारण नहीं किया जाता है। यह सच है। हम, इन सन्देशों का, आकाशवाणी तथा इसके विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण का प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा बताये गये कितने ही केन्द्रों को, कई तार कृषकों को कृषि सम्बन्धी सूचना देने के लिये भेजे जाते हैं। परन्तु यह कहना कि यह बहुत लाभदायक है अथवा इनका बहुत प्रचार है, ठीक नहीं है। अभी तक हमने इस समस्या का एक लघु रूप भी नहीं लिया है परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि विशेष स्थान पर, भविष्य-वाणियां सही नहीं हैं। परन्तु वर्तमान स्थिति में ऋतु-विज्ञान एक विशेष खण्ड के सम्बन्ध में ही भविष्य-वाणी कर सकता है परन्तु किसी स्थान विशेष के सम्बन्ध में नहीं। तथा उस खण्ड के लिये ऋतु-विज्ञान विभाग द्वारा ऋतु सम्बन्धी भविष्य-वाणी सही हो सकती है, उस खण्ड से पांच अथवा दस मील की दूरी पर नहीं हों सकती है। परन्तु मैंने अधिकांश मामलों में भविष्य-वाणी को सही पाया है। हम कितनी ही वेधशालायें बनाने जा रहे हैं तथा मेरा विचार है कि हम पारिचालित पुस्तिका में वेधशालाओं की सूची दे चुके हैं। यदि वह आपके पास न हो तो मैं उसे आपको दे सकता हूं। हम इन वेधशालाओं की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इन ऋतु-विज्ञान के निरूपणों का सम्बन्ध वायु, भूमि, तथा भूमितल से है। एक भूकम्प-विज्ञान विभाग भी है जिसमें भूकम्प के सम्बन्ध में जानकारी होती है।

मैं ऋतु-विज्ञान के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा परन्तु इतना कहूंगा कि यह एक बहुत लाभदायक, वैज्ञानिक तथा बहुत ही टेक्नीकल विभाग है। जब हम कृषकों से अधिक सम्पर्क रखेंगे तभी यह प्रचलित होगा तथा यह राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित सरकारों पर आधारित है।

इसके पश्चात् मैं असैनिक उड्डयन विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों का एक संगठन है। इसको सरकारी कर्मचारियों की संस्था के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ऐतिहासिक कारणों से डाक तथा तार कर्मचारी संघ को एक कार्मिक संघ रूप में मान्यता दी गई है परन्तु असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों की संस्था को, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ किया गया है, असैनिक कर्मचारियों की संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। तथा वे दूसरे असैनिक कर्मचारियों के समान ही असैनिक कर्मचारी हैं। पूर्ण कार्मिक संघ के अधिकार, पूर्ण नागरिकता के अधिकार, तथा नागरिकता अधिकारों को कम करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं यह गुप्त नहीं रखना चाहता तथा यह अब गुप्त है भी नहीं कि सरकारी सेवा में भरती हो जाने से नागरिकता अधिकार किसी सीमा तक कम हो जाते हैं। इस तथ्य में कुछ भी झूठ नहीं है। परन्तु संचार मंत्रालय और डाक तथा तार विभाग इसका निर्णय नहीं कर सकता है कि हम उस न्यूनता को हटा दें तथा अपने कर्मचारियों को पूर्ण नागरिक अधिकार दे दें। यह नीति का प्रश्न है। तथा यह नीति न केवल सरकार द्वारा अपितु संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। यह इस मूलभूत प्रश्न को उत्पन्न करता है कि क्या मंत्रिमंडल के परिवर्तन के साथ-साथ असैनिक कर्मचारियों की वफादारी भी बदलनी चाहिये अथवा क्या असैनिक कर्मचारी, सरकार के राजनीतिक विचारों से परे रहने चाहियें। मैं यह प्रश्न पेश कर रहा हूं परन्तु मेरा निजी मत है तथा यदि आप विश्व के अन्य देशों की सरकारों का कार्य-वहन देखें तो आपको स्वयं जानकारी हो जायेगी कि यह देश तथा देश के प्रशासन के हित में है कि असैनिक कर्मचारी राजनीतिक दलों में न मिलें तथा उनसे अलग रहें। कार्मिक संघ के अधिकारों का अर्थ क्या है? संस्थाओं को सभी अधिकार हैं। वे अपनी शिकायतें तथा अपनी मांगें पेश करते हैं। वे पदाधिकारियों तथा प्राधिकारियों से मिलते हैं, वे मन्त्रियों से मिलते हैं तथा चर्चा करते हैं। उनको केवल हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। यह सभा निर्णय करेगी कि असैनिक कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार

दिया जाना चाहिये अथवा नहीं । यह नीति का प्रश्न है तथा मैं इसे सभा पर छोड़ता हूं । मेरा अपना यह मत है कि यदि असैनिक कर्मचारी तथा औद्योगिक कर्मचारी में अन्तर नहीं रखा गया तो प्रशासन को चलाना कठिन हो जायेगा ।

जहां तक अन्य शिकायतों तथा मांगों जिनको श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा अन्य सदस्यों ने प्रस्तुत किया है, का सम्बन्ध है, मेरा तथा निदेशालय का पूर्णत: ध्यान उन मांगों की ओर है । हमने इन प्रश्नों की कई बार जांच की है । हमने कई मांगों की जांच की है तथा उनके साथ चर्चा की है । हमने कुछ स्वीकार करली हैं तथा अन्य अस्वीकार कर दी हैं तथा और कुछ विचाराधीन हैं ।

कुछ ऐसी आवश्यक बातें जैसे निवास स्थान हैं जिनके सम्बन्ध में कर्मचारियों तथा प्रशासन में कभी मतभेद नहीं हो सकता है मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने कर्मचारियों के लिये विशेषतया आसाम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में, निवासस्थान की व्यवस्था करनी चाहिये । हम इसका प्रयत्न कर रहे हैं । जो प्रगति हमने की है मैं स्वयं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं । मेरे साथी ने अभी बताया है कि कार्यालय भवन तथा कर्मचारियों के निवास स्थान के निर्माण में शीघ्रता करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ हमने कुछ व्यवस्था की है । हमें आशा है कि इस व्यवस्था के अच्छे परिणाम निकलेंगे तथा हम डाक तथा तार अथवा असैनिक उड्डयन अथवा ऋतु-विज्ञान विभाग के कर्मचारियों के लिये भवन बना सकेंगे ।

परिवहन के सम्बन्ध में, मैंने महसूस किया है कि हवाई अड्डों पर रहने वाले कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के बच्चों को नगरों तथा उपनगरों में स्कूलों को भेजने के लिये कुछ परिवहन सुविधायें दी जानी चाहियें । मेरे ही कहने पर इस प्रश्न पर विचार किया गया था और अब उनके बच्चों को स्कूल आदि तक ले जाने के लिये सरकार द्वारा परिवहन का कुछ इन्तजाम किया गया है । इसका किराया नाम-मात्र रखा गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : किन्तु यह व्यवस्था तो केवल तीन या चार केन्द्रों में की गई है ।

†**श्री जगजीवन राम** : जिन स्थानों पर हमारे पास गाड़ियां नहीं है वहां ऐसी व्यवस्था करना कठिन है । किन्तु मैं इस बात पर भी विचार करूंगा । जिन-जिन हवाई अड्डों पर हमारे पास गाड़ियां हैं वहां हम यह सुविधा देने का प्रयत्न करेंगे ।

बीमार लोगों के सम्बन्ध में यूनियन से परामर्श करके ही परिवहन का प्रबन्ध किया गया था । यही मुझे बताया गया है और मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बात यह है कि यह जो सिद्धान्त बनाया गया है इससे पहले कई प्रारम्भिक बातें पूरी करनी पड़ती हैं और उन्हें पूरा करना ही कठिन है । इसलिये मैंने यह कहा था ।

†**श्री जगजीवन राम** : यदि इस में कोई कठिनाई है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं । क्योंकि इस बात पर हमारा कोई मतभेद नहीं है । मैं स्वयं चाहता हूं कि हमें उपचारिक बातों को छोड़ कर लोगों के कष्टों का निवारण करना चाहिये ।

यही बात चौकीदारों की भी है । उनके सम्बन्ध में भी यूनियन से एक समझौता किया गया है । अब उसे लागू किया जा रहा है । इसके अनुसार अनेकों चौकीदार रखने पड़ेंगे जिनका खर्चा लगभग ३ या ४ लाख रुपये होगा । मेरी यही इच्छा है कि यहां भी रेलों तथा अन्य मन्त्रालयों की भांति चौकीदारों के कर्त्तव्यों आदि में, कुछ न कुछ एकरूपता होनी चाहिये । और इस प्रकार किया भी गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

अब मैं तरक्की की बात लेता हूं । तरक्की के कई मार्ग हैं । मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । कुछ इस प्रकार के कर्मचारी हैं जिन के लिये नीचे से लेकर ऊपर तक तरक्की के लिये कोई न कोई मार्ग रखा गया है । कुछ संवर्गों के लिये ५० प्रतिशत जगह सुरक्षित रखी गई है और कुछ के लिये २५ प्रतिशत । इन स्थानों की पूर्त्ति नीचे से तरक्की करके की जाती है । और संचार मंत्रालय में विशेषतया डाक व तार तथा असैनिक उड्डयन विभाग में किसी भी अन्य मन्त्रालय की अपेक्षा तरक्की के अधिक मार्ग हैं । मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि ये सुरक्षित स्थान निचले संवर्ग से तरक्की द्वारा ही भरे जायें । मैं परीक्षाओं और टैस्टों को भी सरल कर रहा हूं । प्रतिवर्ष मैं उस क्षेत्र में होने वाली प्रगति को देखता रहता हूं और यदि कभी यह प्रगति संतोषजनक न हो तो मैं परीक्षा के कुछ भागों को सरल करवा देता हूं अथवा हटवा भी देता हूं । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं निचले संवर्ग की तरक्की का बड़ा उत्सुक हूं किन्तु उस तरक्की से ऊंचे संवर्ग की क्षमता कम न होनी चाहिये । हम सदा यह ध्यान रखते हैं कि किसी भी कीमत पर क्षमता में किसी प्रकार की कमी न आने पाये ।

किसी सदस्य ने पूछा है कि जो डाकिये वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें अब क्लार्क क्यों नहीं बना दिया जाता है । हम ऐसा करते हैं । ५० प्रतिशत क्लर्कों के स्थान पोस्टमेनों के लिये सुरक्षित हैं । किन्तु उसे क्लर्क बनाने के लिये उसमें कुछ न्यूनतम योग्यता को देखा जाता है ताकि वह क्लर्क के कर्त्तव्यों को भली भांति पूरा कर सके । अतः यह बात ऐसी नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति अपने आप तरक्की का हकदार हो जाये । यह देखना पड़ता है कि जिस व्यक्ति की तरक्की की जा रही है वह उसके योग्य भी है कि नहीं । असैनिक उड्डयन विभाग में भी ऐसा ही है ।

मैंने केवल सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का ही उत्तर दिया है । मैं प्रत्येक कटौती प्रस्ताव का उत्तर नहीं दे रहा हूं ।

अब मैं इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की ओर आता हूं । श्री गुरुपादस्वामी ने कहा है कि एयर इन्टरनेशनल तो लाभ में जा रही है किन्तु एयर लाइन्स कारपोरेशन घाटे में । इसकी क्या वजह है । इसका उत्तर तो बड़ा साधारण है । एयर इंडिया इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आई० ए० टी० ए०) की सदस्य है जैसे कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां होती हैं । कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय विमान चालक कम्पनी किराया तथा भाड़े को नहीं घटा सकती है । उन्हें संघ के नियमों के अनुसार एक विशेष दर के हिसाब से ही किराया आदि लेना पड़ता है और इससे उन्हें पर्याप्त लाभ बच जाता है । किन्तु एयर लाइन्स कारपोरेशन के किराये तथा भाड़े का ढांचा हम उसके ढंग पर नहीं रख सकते हैं । हमारा किराया उससे कहीं सस्ता है । हमारी दर प्रति यात्री मील के पीछे २ आने से ४ आने तक की है । अधिक से अधिक ४ आने है । कई क्षेत्रों में तो इससे लागत मूल्य भी नहीं वसूल हो पाता है । इसी कारण यह घाटा है ।

इसका एक और भी कारण है । सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमान चालक कम्पनियों को पेट्रोल शुल्क पर छूट दी जाती है । इस प्रकार हम इस देश में इनसे जो कोई भी शुल्क लेते हैं वह वर्ष के अन्त में इनको लौटा दिया जाता है । किन्तु इंडियन एयर लाइन्स को कोई ऐसी छूट आदि नहीं मिलती है ।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : इसकी कितनी रकम होती है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं वही बता रहा हूं । हां, तो मेरे पास एयर इंडिया इन्टरनेशनल के आंकड़े तो नहीं मौजूद हैं किन्तु मैं आप को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की बाबत बताता हूं । १९५४–५५ में एयरलाइन्स कारपोरेशन को कुल ९८·९६ लाख रुपया घाटा हुआ है । उस वर्ष हमने ८४·४३ लाख रुपये का सीमा तथा पेट्रोल शुल्क दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इसीलिये हम एक ही कारपोरेशन चाहते थे ।

†**श्री जगजीवन राम :** अब मैं दोनों कारपोरेशन्स के कर्मचारियों के वेतन क्रम तथा वेतनों की ओर आता हूं । मेरे माननीय मित्र को यह ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण से पहले एयर इंडिया इन्टरनेशनल एक ही संस्था थी और अब भी वैसी ही बनी हुई है । किन्तु इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को ९ भिन्न-भिन्न कम्पनियों को अपने में मिलाना पड़ा है जिनके कर्मचारियों के सेवा की शर्तें तथा वेतन सर्वथा भिन्न भिन्न थे । इनको मिलाना ही एक बड़ी जटिल समस्या थी । इन सब वेतन क्रमों को एक समान करने तथा एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को एक जैसा वेतन देने में एक बड़ा व्यय हो रहा है । यह व्यय प्रतिवर्ष लगभग ५२ लाख रुपये का है । इससे भी कारपोरेशन को घाटा हो रहा है ।

घाटे का चौथा कारण—यह दोनों कारपोरेशनों के लिये लागू होता है किन्तु इन्टरनेशनल में कमी-यह है कि इंडियन एयर लाइन्स को एयर इंडिया इन्टरनेशनल की अपेक्षा प्रतिकर के रूप में कहीं अधिक रुपया देना पड़ा है । इस कारपोरेशन और कम्पनी के बीच एक अन्तर है । कम्पनी तभी लाभांश देती है जब उसे लाभ होना शुरू हो जाय । किन्तु जो बांडस हमने खरीदे हैं, कारपोरेशन को उन पर प्रारम्भ से ही ब्याज देना पड़ रहा है ।

†**एक माननीय सदस्य :** वह कितने प्रतिशत है ?

†**श्री जगजीवन राम :** इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हम एक प्रकार का लाभांश ही दे रहे हैं यद्यपि वास्तव में हमें हानि हो रही है । मैं यह सब बातें इसलिये बता रहा हूं ताकि यह बात समझ में आ सके कि जो कुछ हमें हानि प्रकट हो रही है वह वास्तव में हानि नहीं है । वास्तव में लेटिन अमरीका की एक दो कम्पनियों को छोड़ कर संसार के किसी भी देश में वहां की आंतरिक कम्पनियों को लाभ नहीं हो रहा है । सभी को कुछ न कुछ वित्तीय सहायता देनी पड़ती है । मेर विचार में अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि क्यों इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को हानि हो रही है और एयर इंडिया इन्टरनेशनल को लाभ हो रहा है ।

अब मैं 'हिरानंस' की ओर आता हूं । इस प्रकार के वायुयान आशानुकूल कार्य नहीं कर सके हैं यद्यपि विशेषज्ञों ने हमें यह सलाह दी थी कि ये अच्छे विमान हैं । हमने इन्हें इसलिये खरीद लिया था क्योंकि हम थोड़ी दूर के लिये हल्के चार इंजन वाले जहाज चाहते थे । इसमें इतना स्थान और सुविधा नहीं होती है । किन्तु थोड़ी देर के लिये इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है । यह ऐसी कूद फांद—इतने थोड़े फासले के लिये होता है जिसमें कि चाय काफी आदि पीने की भी आवश्यकता नहीं होती है । किन्तु फिर भी हमें इससे कई कष्ट हुये हैं । शायद इसमें कुछ त्रुटियां हैं और प्रतिदिन कोई न कोई नयी त्रुटि निकलती ही रहती है । इसमें कोई बड़ा भारी अवरोध तो नहीं हुआ है किन्तु प्रायः इसकी कोई न कोई चूल बिगड़ी ही रहती है । इसलिये मैंने कहा है कि इसका कार्य कुछ आशाजनक नहीं रहा है । इसके निर्माताओं को निरन्तर सब बातों से सूचित किया जा रहा है । उन्होंने भी यहां पर एक इंजीनियर नियुक्त कर दिया है जो सभी प्रकार की त्रुटियों को देखता रहता है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता रहता है ।

†**श्री ए० एम० थामस :** वास्तव म यह बड़ा भयावह बात है । मन्त्रालय को ध्यान रखना चाहिये कि जब तक इसका भली भांति परीक्षण न हो जाय उसे उड़ने की अनुमति न दी जाय ।

†**श्री जगजीवन राम :** यही बात मैंने भी कही है कि जब तक विमान में पाई जाने वाली त्रुटियाँ दूर नहीं कर ली जाती हैं तब तक उस विमान को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है । और कम्पनी का इंजीनियर यह सब त्रुटियां दूर करता रहता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमने ऐसे अप्रमाणित विमान को किस सिद्धान्त पर खरीदा था अप्रमणित विमान से हमेशा आशंका बनी रहती है ।

†**श्री जगजीवन राम :** श्रीमती जी वह विमान अप्रमाणित नहीं था । हमारे आर्डर देने के पहले इन्डोनेशिया की गारुड एयरलाइन्स उसको काम में लाती रही है ।

†**श्री एम० डी० जोशी :** विशेषज्ञ सलाहकार कौन थे ?

†**श्री जगजीवन राम :** विशेषज्ञ सलाहकार विमानों के इंजीनियर होते हैं । वे इंजनों अथवा विमानों का परीक्षण करते हैं तथा अपनी राय दे देते हैं ।

†**श्री एम० डी० जोशी :** क्या वह विदेशी इंजीनियर थे अथवा कि भारतीय ?

†**श्री जगजीवन राम :** नहीं , नहीं । वह भारतीय थे, हमारे अपने इंजीनियर । किन्तु मैं अपने अधिकारियों अथवा इंजीनियरों पर दोष नहीं लगाता हूं । जब यह विमान यहां पहुंचे तो मैंने भी इनमें बैठ कर दिल्ली के ऊपर उड़ान की, मैंने इसकी उड़ान बड़ी अच्छी पाई परन्तु मैं अपनी राय को महत्व नहीं देता हूं । मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, किन्तु जिन इंजीनियरों ने इसे देखा तथा इसका परीक्षण किया उन्होंने इसे बिल्कुल ठीक पाया । मैंने निवेदन किया कि इसमें कोई आशंका की बात नहीं, परन्तु यह उतने अच्छे नहीं निकले हैं जितनी कि हमें आशा थी ।

†**श्री सातन :** क्या इस बारे में आप आशावादी हैं कि इन्हें अब ठीक किया जा सकता है ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी हां । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भर्ती, तरक्कियां आदि का प्रश्न उठाया, मैं उन्हें बता सकता हूं कि हम ने विमान निगम के कर्मचारियों के साथ उनकी सेवा की शर्तों, वेतन क्रमों तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में समझौता किया है । समझौता हो जाने के पश्चात मुझे कर्मचारियों की ओर से बधाई की चिट्ठी भी आयी है । सभा को यह कहने में मेरा उद्देश्य यह है कि जब नियोजक तथा कर्मचारियों में समझौता हुआ हो तो सदस्यों को अनावश्यक रूप से जहां तहां दोष निकालने का प्रयत्न न करना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं कि संघ ने क्या कुछ किया है । मैं केवल सीधी भर्ती तथा तरक्कियों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान दिला रही थी ।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं इन सभी बातों पर ध्यान दूंगा । मैं केवल यह कह रहा था कि कुछ लोगों की यह नीति न होनी चाहिये कि वह मौके बे मौके कुछ न कुछ दोष निकालते रहें । माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाये हैं उनके सम्बन्ध में संघ के साथ समझौता हुआ है । उन्हें गलत सूचना दी गई है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या सभी भर्तियां विज्ञापन के बाद की गई हैं ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं अभी केवल संघ के साथ हुये समझौते की बात कर रहा था, भर्ती के बारे में नहीं ।

भर्तियां हुई हैं । निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है । इसे उन नियमों के अनुसार भरती करनी पड़ती है जोकि इसने स्वयं बनाये हैं । क्लर्कों, मेकेनिकों तथा निम्न श्रेणी के अन्य कर्मचारियों की भर्ती हुई है । जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनकी बहुत कम भर्ती हुई है । मेकेनिकों आदि की भर्ती के सम्बन्ध में मैं सभा से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हमें यह काम स्वयं निगम पर नहीं छोड़ना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** किन्तु उन्हें विज्ञापित किया जाना चाहिये। यही सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है ।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैकेनिकों के पदों को विज्ञापित किया जाना चाहिये क्योंकि विज्ञापनों का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। जब सैकड़ों मेकेनिक तथा कर्मकर इस श्रेणी में काम कर रहे हैं तो क्या निगम जैसे वाणिज्यिक निकाय द्वारा इन सभी पदों को समाचार पत्रों में विज्ञापित करके भारी खर्च उठाया जाना चाहिये ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** किन्तु यह एक राष्ट्रीयकृत निकाय है ।

†**श्री जगजीवन राम :** क्या आप समझती हैं कि चूंकि यह एक राष्ट्रीयकृत निकाय तथा अखिल भारतीय संघटन है, इसलिये इन पदों को भारत के सभी राज्यों के समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाना चाहिये ? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । हम विज्ञापनों पर हजारों रुपया बर्बाद नहीं कर सकते हैं। परन्तु मैं इस बात को मानता हूं तथा मैं ने इस पर पहले भी ध्यान दिया है कि निम्नतम अर्हताओं के सम्बन्ध में कोई कसौटी निश्चित की जानी चाहिये। वास्तव में गत नवम्बर में जब ये चीजें आई थीं तो हमने निगम को एक निदेश दिया था कि निगम के सब श्रेणियों के पदों के पदाधिकारियों की न्यूनतम अर्हतायें क्या होनी चाहियें और हमने निदेश किया था कि इनका पालन सब भर्तियों के सम्बन्ध में किया जाना चाहिये। फिर, हमने निगम को इस सम्बन्ध में भी निदेश किया था कि पदों को किस हद तक बाहर से नये भर्ती किये गये व्यक्तियों से भरा जाना चाहिये और किस हद तक नीचे के पदों के व्यक्तियों को तरक्की देकर। इसमें कुछ आनम्यता भले ही हो, परन्तु अनुपात निश्चित होना चाहिये, जिसका सामान्यत: पालन किया जाना चाहिये ।

बाहर से भर्ती के मामले में हमने कहा था कि रिक्तताओं का विस्तृत प्रचार करने के लिये प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये। हमने वे शर्तें भी निर्धारित कर दीं थीं कि परीक्षायें कैसी होंगी—व्यावहारिक, लिखित अथवा मौखिक और भेंट (इन्टरव्यू) करने वाले निकायों में कौन से पदाधिकारी रहेंगे। इसलिये, हमने ये सब पूर्वविधान किये हैं। प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिये परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनका विज्ञापन सब पत्रों में किया जाना चाहिये ।

†**श्री एस० एल० सक्सेना :** विज्ञापन में क्या हानि है ?

†**श्री जगजीवन राम :** उनको विभिन्न कार्यालयों के सूचना बोर्डों पर लगा दिया जायगा जिसमें रिक्तताओं की संख्या का उल्लेख रहेगा। परन्तु मैं इस मांग को स्वीकार नहीं करूंगा कि उसका अनिवार्यत: विज्ञापन किया जाय क्योंकि निगम एक राष्ट्रीय संस्था है, एक अखिल भारतीय संगठन है, इसलिये यदि हमें विज्ञापन करना होगा तो हमें समस्त राज्यों के पत्रों में विज्ञापन करना होगा जिसमें निगम को अनावश्यक खर्च करना पड़ेगा ।

†**श्री एस० एल० सक्सेना :** परन्तु हमें सर्वोत्तम व्यक्ति तो मिलेंगें ।

†**श्री जगजीवन राम :** इन पदों के लिये मैं बता चुका हूं कि किस तरह का काम होगा। जहां तक बड़े पदाधिकारियों का सम्बन्ध है मैं कह चुका हूं कि उनकी नियुक्ति सरकार की स्वीकृति से की जाती है और उनके मामले में देश में विज्ञापन किया जा सकता है, और, जहां आवश्यक हो, उसका समस्त संसार में भी विज्ञापन किया जा सकता है। परन्तु मैं निम्न श्रेणी की नियुक्तियों और भर्तियों की बात कर रहा हूं, पदाधिकारियों की नहीं जिन्हें १,००० रुपये या इससे अधिक मिलता है ।

†**श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या कोई आयोग है जो प्रार्थनापत्र आमन्त्रित करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, निगम द्वारा निर्मित एक बोर्ड है। यह बोर्ड प्रार्थनापत्र आमंत्रित करता है। वह प्रवरण करता है। जहां आवश्यक होता है वह भेंट (इन्टरव्यू) करता है, जहां परीक्षा जरूरी होती है परीक्षा लेता है और तब नियुक्तियां करता है। परन्तु, जैसा कि मैं ने कहा, हमने निदेश नवम्बर में जारी किया था। कुछ नियुक्तियां उसके पूर्व की गई थीं। उन भर्तियों में निम्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी पक्षपात के कुछ आरोप लगाये गये हैं। मैं सभापति से उस मामले की जांच करने और उसके सम्बन्ध में जो भी कदम उठाना है वह आवश्यक समझें उनके उठाने के लिये कहूंगा। लोक-सभा भी इससे सहमत होगी कि हमें निगम को स्वायत्तशासी निगम बनाना चाहिये ताकि वह सरलता से कार्य कर सके। इन छोटी छोटी नियुक्तियों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि उससे निगम का उपक्रम छिन जायगा।

†**श्री मात्तन** : यही मांग तो हम सब निगमों के सम्बन्ध में करते रहे हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : इसलिये मैं कहता हूं कि लोक-सभा उसमें मेरा हस्तक्षेप करना पसन्द नहीं करेगी। निस्संदेह, यदि मैं हस्तक्षेप करना आवश्यक समझूंगा तो मैं हस्तक्षेप करने में झिझकूंगा नहीं। परन्तु मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि लोक-सभा मुझे ऐसी छोटी नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगी।

फिर स्थायी आदेशों और निर्माण समितियों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था। सम्भवतः श्रीमती रेणु चक्रवर्ती यह भूल रही हैं कि वे स्थायी आदेश, जिनका उन्होंने निर्देश किया, तत्कालीन नौ कम्पनियों के स्थायी आदेश हैं। जब हम एक बार मजदूरों को ले चुके और अपने वेतनों तथा सेवा-शर्तों को लागू कर चुके तो उन नौ विभिन्न कम्पनियों के स्थायी आदेश लागू नहीं रह सकते। इसलिये, हमने अपनी सेवा शर्तें निर्मित की हैं और हम अपने स्थायी आदेश भी बनाने जा रहे हैं। इन मामलों में हम संघों के परामर्श से काम करते हैं।

फिर मैं निर्माण समिति पर आता हूं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इन समितियों का निर्माण केवल वहीं आवश्यक है जहां उपयुक्त प्राधिकारी सम्बन्धित उद्योग से उसके निर्माण के लिये कहे। दिल्ली के मुख्य-आयुक्त ने उनके लिये कहा था। उन्होंने यह समिति यहां बना ली है। परन्तु अन्यत्र कहीं भी कोई निर्माण समिति नहीं बनाई गई है। परन्तु वे संघों से बातचीत कर रहे हैं। जब उन्हें कुछ भी कहना होता है तो चेयरमैन अथवा प्रादेशिक प्रबन्धक (रीजनल मैनेजर) अथवा, जहां आवश्यक हो, मैं भी उनसे मिलता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मजदूर सम्बन्ध समिति का क्या हुआ जो राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत बनाई जानी थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : कुछ कदम उठाये गये हैं। वह इससे सहमत होंगी कि मजदूर सम्बन्ध समिति का तात्पर्य कुछ प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है। जब तक कि हम नौ विभिन्न कम्पनियों के समस्त कर्मचारियों का पूर्ण एकीकरण नहीं कर लेते हम वह कदम नहीं उठा सकते थे। अब चूंकि वह एकीकरण पूर्ण हो गया है, मजदूर सम्बन्ध समिति के निर्माण के लिये कदम उठाये जायेंगे।

फिर कुछ छोटे प्रश्न अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये थे। श्रीमती इला पालचौधरी व्योम बालाओं (एअर होस्टेसेज) के सम्बन्ध में बहुत उत्कण्ठित थीं।

†**श्री केशव अय्यंगार** : हमें रेल यात्रा के कष्ट से बचाने और हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति देने में क्या कठिनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : कोई भी कठिनाई नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि मैं तैयार हूं यदि माननीय सदस्य वैसा पसन्द करें और श्रीमान् आपका सचिवालय और आप यह निर्णय करें कि माननीय सदस्य उन्हीं शर्तों पर, जिन पर वे रेल में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करें। सम्भवतः मेरे मित्र श्री केशव अय्यंगार को कोई कठिनाई नहीं होगी। अब यह प्रश्न उनके और आपके बीच हल किये जाने का है।

†**सरदार ए० एस० सहगल** (बिलासपुर) : टेलीफोन के सम्बन्ध में क्या बात है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यही चीज टेलीफोन के सम्बन्ध में है। मैं लोक-सभा के प्रत्येक सदस्य को उन्हीं शर्तों पर जिन पर उन्हें रेल में यात्रा करने की अनुमति है, एक टेलीफोन देने को तैयार हूं।

मैं पूर्णतया आपके हाथ में हूं। निर्णय आपको ही करना है। यदि आप आदेश दे दें तो मैं उस का पालन करूंगा, परन्तु उन्हीं शर्तों पर जो रेलवे के सम्बन्ध में हैं।

मैं नहीं जानता कि व्योम-बालाओं (एयर होस्टेसेज) के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है। वे बहुत आकर्षक लड़कियां होती हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है और जो उपयोगी भी होती हैं। वे बहुत अच्छी होती हैं। सम्भवतः माननीय सदस्या को यह ज्ञात नहीं है कि एक समय रेडियो पदाधिकारियों की एक व्यथा थी और ऐसा हुआ कि उनका वेतनक्रम इन व्योम बालाओं (एअर होस्टेसेज) के वेतनक्रम से कम था। फिर, एक प्रश्न ऊंच-नीच की भावना का भी था। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि एक ही हवाई जहाज में चलने पर भी व्योम बालाओं (एयर होस्टसेज) को रेडियो पदाधिकारियों से अधिक वेतन मिलता है। वह देखेंगी कि जो वेतनक्रम हमने निश्चित किया है वह काफी आकर्षक है और उससे अच्छी लड़कियां आती भी हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या जो वेतनक्रम आपने निश्चित किया है वह पहले से कम है ?

†**श्री जगजीवन राम** : वह कम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि उनको अनेक लाइनों में जो वेतन मिलता था उससे वह कहीं अधिक है। यदि माननीय सदस्या उनसे पूछताछ करें तो इसकी पुष्टि हो जायगी। वे यह स्वीकार करेंगी कि जो वेतनक्रम हमने निर्श्चित किया हैं वह उस वेतन से कहीं अधिक है जो उन्हें अनेक कम्पनियों में मिल रहा था।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : अधिकांश कम्पनियों में।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं माननीय सदस्य की बात समझ नहीं सका। एक मात्र कठिनाई यह है कि ये व्योम बालायें (एअर होस्टेसेज) बहुत जल्दी काम छोड़कर चली जाती हैं। यदि उन्हें अधिक दिन तक काम पर रखा जा सके तो उससे निगम को लाभ हो सकेगा।

फिर, इन समता के दिनों में मैं नहीं समझता कि श्रीमती इला पालचौधरी जैसी सुशिक्षित स्त्री ने यह प्रश्न कैसे उठाया कि स्त्रियों के लिये विमान में पृथक् सीटें होनी चाहियें। । (**अन्तर्बाधा**) सम्भवतः हमारे संविधान में वैसा भेद भाव करने की मनाही है। सम्भवतः उन्होंने यह बात गंभीरता से नहीं कही थी।

†**एक माननीय सदस्य** : वे समता की मांग करती हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : सम्भवतः वे हंसी के तौर पर कह रहीं थीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या समता स्थापित हो गई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : क्या आप को शक है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जगजीवन राम** : रात्रि के हवाई डाक ले जाने वाले विमानों की सीटें खूब आरामदेह हैं और मैं समझता हूं कि श्रीमती इला पालचौधरी ने उनका आनन्द लिया है और वह स्त्रियों के लिये 'स्त्रियों के डिब्बे' की तरह पृथक् स्थान नहीं चाहतीं । सम्भवत: वैसा कदम अवनति की दिशा में होगा और जब महिला परिषद् को यह मालूम होगा कि श्रीमती इलापाल चौधरी ने उसके लिये आग्रह किया था तो वह उन पर कुपित होंगी ।

कुछ प्रश्न सदस्यों द्वारा स्थानीय मामलों के सम्बन्ध में भी उठाये गये । गुजरात में हवाई जहाजों के समयों के बारे में कहा गया । मैं उनकी जांच कराऊंगा और जहां कहीं सम्भव होगा मांगों की पूर्त्ति कराने का प्रयत्न करूंगा ।

मैं कुछ शब्द अपने मित्र श्री जोगेश्वर सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में भी कहूंगा । आशा है कि यदि मैं निश्चित समय से कुछ अधिक ले लूं तो आप क्षमा करेंगे । आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा के उन क्षेत्रों में, जहां तक डाक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हम कुछ स्टेशनों में कुछ प्रतिकरात्मक भत्ता पहाड़ी स्थान के भत्ते अथवा दूरस्थ क्षेत्र भत्ते के रूप में देते हैं । अन्य कर्मचारियों को भी हम कुछ भत्ता देते रहे हैं । आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर में विभिन्न स्टेशनों में नियुक्त भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग, असैनिक उड्डयन विभाग और मैं समझता हूं भारत सरकार के अन्य विभागों के नान-गजटेड कर्मचारी निम्नलिखित दरों पर प्रतिकरात्मक भत्ता पाते हैं । शिलांग में ५५ रुपये से कम वेतन के लिये भत्ता ३ रुपये प्रतिमाह है, ५५ रुपये से १०० रुपये तक के लिये ५ रुपये है, १०१ रुपये से १४० रुपये तक के लिये ७ रुपये है, १४१ रुपये और उससे अधिक के लिये १० रुपये प्रति माह है । यह आसाम में शिलांग और मणिपुर में इम्फाल पर लागू होता है । त्रिपुरा में अगरतल्ला में यह ३५ रुपये से कम वेतन के लिये ५ रुपये प्रति माह, ३५ रुपये से ६० रुपये तक के लिये ७ रुपये ८ आने, ६१ रुपये से ८० रुपये तक के लिये १० रुपये, ८१ रुपये से १४० रुपये तक के लिये १२ रुपये ८ आने, १४१ रुपये से २०० रुपये तक के लिये १५ रुपये, २०१ रुपये से ३०० रुपये तक के लिये १७ रुपये ८ आने और ३०० रुपये से अधिक वेतन के लिये २० रुपये है । पासीघाट में यह दर मूल वेतन का २० प्रतिशत है जो चतुर्थ श्रेणी से भिन्न कर्मचारियों के लिये अधिक से अधिक २५ रुपये तक हो सकती है । प्रतिकरात्मक भत्ते की उपर्युक्त दरें वे हैं जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई हैं। ये कुछ प्रतिकरात्मक भत्ते हैं जो हम त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम में भी कुछ स्टेशनों पर दे रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने हवाई दरों और भाड़े की दरों की कमी के सम्बन्ध में कुछ कहा । मैं नहीं जानता कि यह क्षेत्र ऐसा है जिसमें साधारण आदमियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने अथवा कलकत्ता आने के लिये हवाई जहाज की जरूरत होती है । हमने एक विमान परिवहन परिषद् स्थापित की है और हमने उस परिषद् से किराये और भाड़े के अभिनवीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा है । परिषद ने जनता के लिये एक प्रश्नावली जारी की है और उसके प्रतिवेदन दे देने के पश्चात् मैं समझता हूं कि हम किराये और भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करेंगे ।

उस क्षेत्र में एक दो कठिनाइयां हैं । वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें हवाई जहाजों के टायरों और अन्य भागों की टूट-फूट बहुत होती है । जब हम किराये व भाड़े की दरें निश्चित करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है । इसमें ये बातें हैं । जैसा कि मैंने कहा यह प्रश्न विमान परिवहन परिषद् को निर्दिष्ट किया गया है और उसके प्रतिवेदन की प्राप्ति पर हम उस क्षेत्र के किराये व भाड़े के पुनरीक्षण का विचार करेंगे ।

†**श्री सी० के० नायर** (बाह्य दिल्ली): यह टूट-फूट हवा में होती है या जमीन पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : जमीन पर ही होती है ।

मणिपुर में डाक भवनों के सम्बन्ध में मैं अपने मित्र को आश्वासन देता हूं कि मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा ।

कुछ और भी प्रश्न राजमाता व अन्य सदस्यों के द्वारा उठाये गये हैं और मैं अपने विभाग से उनकी जांच करने को कहूंगा ।

मैं एक बात का संकेत करूंगा और वह है श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत अभिनवीकरण का प्रश्न ।

मैं स्वयं भी जानता हूं कि न केवल डाक विभाग में ही वरन् तार और टेलीफोन विभागों में भी अभिनवीकरण के लिये पर्याप्त क्षेत्र है । अभी प्रसार की अवस्था थी, अब एकीकरण की अवस्था प्रारम्भ होगी और वही अभिनवीकरण की अवस्था होगी । इस समय मान लीजिये दो स्थानों पर टेलीग्राफ कार्यालय हैं और उनके बीच में दस स्थानों पर टेलीग्राफ कार्यालय हैं । जिन कार्यालयों को थोड़ी दूर के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाना चाहिये था वे दूर के बहुत दूर के कार्यालय से सम्बद्ध किये गये हैं । ऐसी चीजें अभी हैं और उनके लिये अभिनवीकरण की आवश्यकता है ।

जहां तक डाक घरों का सम्बन्ध है, वे बहुत से गांवों के लिये सम्मान की चीज बन गये हैं । जब एक गांव में डाक खाना खुलता है तो पास के गांव वाले सोचते हैं कि हमारे गांव में भी खुलना चाहिये । हमें इस बात पर सोचना होगा कि क्या इतने पास-पास डाकखाने खोले जाने चाहियें ? एक डाकखाना खोलने में ७०० रुपये खर्च होते हैं और जनता का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि ऐसी जगहों पर डाकखाने न खोले जायें जहां उनकी आवश्यकता नहीं है । आज हमारे बहुत से डाकखाने ऐसे हैं जहां डाक का थैला खाली जाता है और खाली ही आता है । अभिनवीकरण आवश्यक है । इस बात से मैं सहमत हूं । हमने डाक-मार्गों, डाक-कार्यालयों, टेलीग्राफ सरकिट्स और टेलीग्राफ कार्यालयों के अभिनवीकरण के प्रश्न पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है । हम वह करेंगे अवश्य, परन्तु उसमें कुछ समय लगेगा ।

†**पंडित एस० सी० मिश्र** : मैंने इतना ही कहा कि भूतकाल की गलतियों का सुधार किया जाना चाहिये । इसमें विभाग को सम्मान-असम्मान का विचार नहीं करना चाहिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह सम्मान-असम्मान की बात नहीं है । कभी-कभी जनता का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि हम किसी ठीक चीज को भी नहीं कर पाते । उपयोगिता विभाग होने के नाते इसे जनता की सद्भावना पर निर्भर रहना पड़ता है । हम जन-भावनाओं का आदर करते हैं और वही हमारी कठिनाई हो जाती है ।

मैं समझता हूं कि मैंने उठाये गये समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और यदि कोई छूट गया हो तो मैं आश्वासन देता हूं कि उसकी जांच कराऊंगा और यदि उसको कार्यान्वित करना सम्भव हुआ तो उसे कार्यान्वित भी कराऊंगा ।

मैं एक बार पुन: माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंत्रालय के सम्बन्ध में अच्छे शब्द कहे । मन्त्रालय की इस प्रशंसा का श्रेय उन ३००,००० कर्मचारियों को है जो कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये सभा के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा । परन्तु इससे पूर्व टेलीफोनों के बारे में कुछ कहने के लिये मुझ से कहा गया है । इसके बारे में जहां तक मेरी सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैंने तो सिफारिशें दे दी हैं । मैं राज्य सभा के सभापति

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उनकी सहमति प्राप्त होते ही मैं सभा को सूचित कर दूंगा। जहां तक वैमानिक यात्रा का सम्बन्ध है वह एक बड़ा मामला है, उस पर अभी विचार करना है।

अब मैं सभा के सम्मुख सब कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के चौथे स्तम्भ में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गयी हैं, उन भारों के लिये दी जाये जिन का भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायगा"।

(जो मांगे लोक-सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५	संचार मंत्रालय	१५,१४,००० रुपये
६	भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	४८,१४,२७,००० रुपये
७	अन्तरिक्ष विज्ञान	१,२५,१८,००० रुपये
८	समुद्रपार संचार सेवा	९६,५०,००० रुपये
९	उड्डयन	३,४७,६३,००० रुपये
१०	संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१५,१३,००० रुपये
११४	भारतीय डाक तथा तार विभाग पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय)	२२,४४,३३,००० रुपयें
११५	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	३,०९,१५,००० रुपये
११६	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६,१४,१९,००० रुपये

सभापति तालिका के लिये नाम निर्देशन

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। सरदार हुक्म सिंह के लोक-सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने के परिणाम-स्वरूप सभापति-तालिका में एक स्थान रिक्त हो गया है। अतः प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ९ (१) के अधीन मैं श्री के० एस० राघवाचारी को सभापति तालिका के एक सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार २३ मार्च, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २२ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में घोषणा १३९९

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि प्रश्नों के सम्बन्ध में सदस्यों की सहायता के लिये सूचना कार्यालय में एक अधिकारी रहा करेगा।

अनुदानों की मांगें १४००–६२

संचार मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों की पूरी राशि स्वीकार हुई।

सभापति—तालिका १४६२

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि सरदार हुक्म सिंह के स्थान पर, जो उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गये हैं, श्री के० एस० राघवाचारी का नाम सभापति-तालिका में रखा गया।

शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि

परिवहन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा।

M101LSD—24-10-57—190—GIPF